लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit 18-8-92
Fumigated On 15-2-84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 17 अप्रैल, 1972/28 चैत्र, 1894 (शक)

No. 25, Monday, April 17, 1972/Chaitra 28, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		1—23
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
421. बैलगाड़ियों में रहने वाले राजस्थान के परिवारों के लिए आवास	Habitation for Families from Rajasthan Living in Carts ...	1—3
423. अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र के गवर्नरों के बोर्ड की बैठक	Meeting of Board of Governors of International Development Research Centre ...	3—4
424. उर्वरकों के संतुलित योग के लिए 10-सूत्री कार्यक्रम	Ten Point Programme on balanced Use of Fertilisers ...	4—6
425 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़ी जातियों के हाई स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां और पुस्तक अनुदान	Scholarships and Book Grants to High School Students belonging to S. C. & S. T. and Backward Classes ...	6—8
428. रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में मकानों को आगे किराये पर चढ़ाना	Sub-letting of Houses in R.K. Puram, New Delhi ...	8—10
430. मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग एवं पालिटैकनीक कालेजों के भवनों एवं होस्टलों के निर्माण के लिए ऋण	Loan to Engg. Colleges and Polytechnics in M P. for Construction of Buildings and Hostels ...	10—11
432. देश में ही जहाजों के डिजाइन तैयार करने सम्बन्धी कार्य में प्रगति	Progress in Developing Indigenous Ship Designing ...	11—12

* किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
434. पोषक आहार में सपरेटा दूध के समान मक्की की एक किस्म का विकास	Development of a Variety of Maize, Comparable to Skimmed Milk in Nutrition ...	12—13
435. स्नातकोत्तर स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Course at Post Graduate Level ...	13—15
436. पिछड़े वर्गों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां	Post Matric Scholarships to Backward Classes ...	15—18
437. कृषि मूल्य आयोग द्वारा रबी की फसल के वसूली मूल्य में कमी करने की सिफारिश	Cut in Procurement Price of Rabi Crop as recommended by A. P. C. ...	18—21
439. आदिवासियों के कल्याण के लिए आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की योजनाएं	Central Schemes for Welfare of Tribals in Andhra Pradesh ...	21—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		23—112
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
422. साक्षरता बढ़ाने का नया तरीका	New Technique for Promotion of Literacy ...	23—24
426. बीज वृद्धि फार्म और पौधा संरक्षण इकाइयाँ	Seed Multiplication Farm and Plant Protection Units ...	24
427. बिहार में मिश्रित बीज फार्म का विकास	Development of a Composite Seed Farm in Bihar ...	24—25
429. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ विलय	Merger of Central Hindi Directorate into Commission for Scientific and Technical Terminology ...	25—26
431. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र	Resignation by Chairman, UGC ...	26
433. जम्मू तथा काश्मीर में कृषि विकास योजनाएं	Agricultural Development Schemes in Jammu and Kashmir ...	26—27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
438. राजा राम मोहन राय की 200वीं वर्षगांठ का मनाया जाना	Bi-Centenary Celebration of Raja Ram Mohan Roy ...	27
440. अस्पतालों में रोगियों और डाक्टरों के सम्बन्धों में सुधार	Imrpovement of Relations between the Patients and Doctors in Hospitals ...	27—28
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2909 कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञ द्वारा परियोजना नक्शे का पूरा न करना	Non-Completion of Project drawing by Foreign Expert under Colombo Plan ...	28—29
2910. भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में भर्ती	Recruitment in I. C. A. R.	29
2911. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौवहन सेवाएं आरम्भ करने की योजना	Scheme for Introduction of Shipping Services in the Ganges and Brahmputra Rivers ...	29—30
2912. बिहार में बीज संवर्द्धन फार्म द्वारा बीजों की अपर्याप्त सप्लाई	Inadequate Supply of seeds by Seeds Multiplication Farms in Bihar ...	30—31
2913. बारह महीने जहाजरानी नदियों के बारे में सर्वेक्षण	Su, vey re : Perennial Navigable Rivers...	31
2914. वर्ष 1970-71 और 1971-72 में गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा ढोया गया माल	Freight carried by Private Shipping Companies during 1970-71 and 1971-72 ...	31—32
2915. वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैस-सरकारी नौवहन कम्पनियों को दिया गया ऋण	Loan given by Government and Financial Institutions to Private Shipping Companies during 1970-71 and 1971-72 ...	32
2916. भारत में गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियाँ	Private Shipping Companies in India ...	32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2917. गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़ के भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारियों के वेतन का भुगतान रोका जाना	Withholding of Salary of Ex-Medical Officers Government of India Press, Aligarh ...	32—33
2918. दिल्ली को सुन्दर बनाने के कार्यक्रमों पर किया गया व्यय	Expenditure of Beautification of Delhi...	33
2919. तिलक नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का औषधालय	CGHS Dispensary at Tilak Nagar, New Delhi ...	34
2920. गेहूं का न्यूनतम वसूली मूल्य	Minimum Procurement Price of wheat...	34
2921. तमिल नाडू सरकार का युवक कोर योजना के लिए सहायता देने का अनुरोध	Tamil Nadu Government request for Assistance for Youth Corps Scheme ...	34—35
2922. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में डिप्लोमाधारियों का सेवा प्रारम्भ करना	Diploma Holders join Service as Junior Engineers in C. P. W. D. ...	35
2923. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ श्रेणी प्रथम के पदों के लिए सीधी भर्ती	Direct recruitment to Junior Class I Posts in C. P. W. D. ...	35—36
2924. राष्ट्रीय राजपथों के विकास का परिव्यय	Outlay on Development of National Highways ...	36—37
2925. कालेजों का स्वायत्तता	Autonomy to Colleges	38
2926. गुलाबी बाग, दिल्ली में भूमि अर्जन	Acquisition of land in Gulabi Bagh Delhi ...	38—39
2927. गुजरांवाला ग्रह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा काटे गये आवंटित न किये गये प्लाट	Unallotted plots carved out by the Gujranwala House Building Co-operative Society, Delhi ...	39
2928. झूसी में गंगा पुल का निर्माण करना	Construction of bridge over Ganga at Jhoosi ...	40

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2929. पुस्तक सप्ताह	Book Week	40–41
2930. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों तथा यायावर जातियों के कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश को अनुदान दिया जाना	Grant by Central Government to Uttar Pradesh for Welfare of S. C. and S. T. and Nomadic Tribes ...	41—42
2931. फलों के उत्पादन को बढ़ाना	Boosting up Production of Fruits	42–43
2932. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने की परियोजना को वित्तीय सहायता	Financial assistance for Tube-well project in draught-affected areas of Rajasthan ...	43—44
2933. गया (बिहार) के पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाएं	Irrigation facilities in Hilly Regions of Gaya (Bihar) ...	44
2934. डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली	Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi ...	44–45
2935. अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था स्थापित करने के लिए स्थान और उसकी लागत	Location and cost of International Crop Research Institute for Semi Arid Tropics ...	45
2936. दिल्ली की अनधिकृत बस्तियों में नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था	Provision of Civic Amenities in Unapproved Colonies of Delhi ...	45—46
2937. मीठे सोरगम से गुड़ बनाया जाना	Gur from Sweet Sorghum ...	46
2938. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना	Employment of Handicapped Persons ...	46—47
2940. अमरीका में भारतीय विद्यार्थी	Indian Students in U. S. A.	47
2941. चीनी के वितरण का आधार	Basis for Distribution of Sugar	47—48
2942. मध्य प्रदेश को दिया गया चीनी का कोटा	Sugar Allotted to Madhya Pradesh ...	48

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2943. मध्य प्रदेश में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Rural Water Supply Schemes in Madhya Pradesh ...	49
2944. मजगांव गोदी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के अनुसार भारतीय जहाज निर्माता के सम्मुख आने वाली समस्याएं	Problems Faced by Indian Ship Builder as Stated by Chairman and Managing Director, Mazagon Dock ...	49—50
2945. अनाज, दालों, तेलों, तिलहन और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिक्री	Sale of Cereals, Pulses, Oils and Oilseeds and Protein Foods by F. C. I. ...	50
2946. गुर्दे और पित्ताशय में पथरी बनने के कारण	Causes of Formation of Stones in Kindneys and Gall Bladders ...	50—51
2947. सामुदायिक विकास और पंचायत राज के लिये एक परामर्शदात्री परिषद् का गठन	Constitution of a Single Consultative Council on Community Development and Panchayat Raj ...	51
2948 चौथी पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा	Girls Education During Fourth Plan. .	51—53
2949. बिहार में चीनी मिलों का कार्यकरण	Functioning of Sugar Mills in Bihar ...	53
2950. पटना विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति	Financial Position of Patna University ...	53—54
2951. बिहार में गन्ना फार्मों की मालिक चीनी मिलें	Sugar Mills in Bihar Owning Sugar Cane Farms ...	54
2952. रोहतक, हरियाणा में केन्द्रीय डेरियाँ खोलना	Setting up of Central Dairies in Rohtak, Haryana ...	54—55
2953. उच्च शिक्षा के लिए अलग विभाग की स्थापना	Separate Department for Higher Education ...	55
2955. नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में निजी मुर्गी-पालन फार्म	Private Poultry Farms in Government Colonies in New Delhi ...	55—56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

2956. नेहरू मैमोरियल म्यूजियम में जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti in Nehru Memorial Museum ...	56
2957. मध्य प्रदेश द्वारा विदेशी नस्ल के सांड और गायों की सप्लाई की मांग करना	Demand from Madhya Pradesh for Supplies of Foreign Breed Bulls and Cows ...	56—57
2958. अनर्ह चिकित्सक	Unqualified Medical Practitioners	57—58
2959. परिवार नियोजन के लिए मार्गदर्शी परियोजना	Pilot Projects for Family Planning	58
2960. देश में चिकित्सा सम्बन्धी और अस्पताल की सुविधाएं	Medical and Hospital Facilities in the Country ...	58—59
2961. जनसंख्या में वृद्धि की दर पर अनुसंधान	Research on Population growth rate ...	59—60
2962. वन्य विकास नियंत्रण में अनुसंधान	Research in Controlling Growth of Forests ...	60
2963. पूर्वी उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसान विकास एजेंसी	Small and Marginal Farmers Development Agency In Eastern U. P. ...	60—61
2964. देश में कैंसर का मूल कारण	Root cause of Cancer in the country ...	61
2965. स्नातक स्तर तक पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Courses at Degree Level ...	61—62
2966. अजमेर खण्डवा सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना	Declaration of Ajmer Khandwa Road as National Highway ...	63
2967. आवास तथा नगरीय विकास वित्त निगम द्वारा मध्य प्रदेश को दिया गया ऋण-वित्तीय सहायता	Loan/Financial Assistance to Madhya Pradesh by the Housing and Urban Development Finance Corporation ...	63—64
2968. गांधी सागर संघ पर एक नये राष्ट्रीय उद्यान का विकास	Development of New National Park at Gandhi Sagar Dam ...	64
2969. दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों का न मिलना	Non-Availability of Medicines in Hospitals of Delhi ...	64—65

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2970. नई दिल्ली स्थित संसद् सदस्यों के बंगलों के सर्वेण्ट क्वार्टरों में ए० सी० कनेक्शन देना	Provision of A. C. Connections in Servants quarters of MPs, Bungalows in New Delhi ...	65
2971. संसद् सदस्यों के बंगलों से लगे सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली लगाना	Electric Connection in Servants Quarters of M. Ps., Bungalows ...	65
2972. कलकत्ता में नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र	Shipping Training Centre at Calcutta ...	66—67
2973. पश्चिम बंगाल में यूरिया की चोर-बाजारी	Black marketing of Urea in West Bengal ...	67
2974. नई दिल्ली पूसा में आयोजित कृषि मेले में किसानों के लिए व्यवस्था	Arrangement for Farmers at Krishi Mela at Pusa, New Delhi ...	67—68
2975. कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किये गये गेहूं के वसूली मूल्यों में एकरूपता का होना	Uniform Procurement Prices of wheat as Recommended by Agricultural Prices Commission ...	68—69
2976. राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में दूध को मद्यसारिक पेय में बदलने की प्रक्रिया	Procedure for conversion of Milk into an Alcoholic Beverage in National Dairy Research Institute, Karnal ...	69—70
2977. विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच सम्पर्क के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of U. G. C. Chairman Regarding Contact between Students and Teachers ...	70—71
2978. जीवन बीमा निगम की नई आवास योजना	LIC's New Housing Scheme ...	71—72
2979. बंगला देश और वहां से आये शरणार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम	Steps for Increase in Food Productions due to Requirement of Bangla Desh and Refugees therefrom ...	72
2980. भारत और पोलैण्ड के बीच सांस्कृतिक करार	Cultural Agreement between India and Poland ...	72—73

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2981. उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि	Amount for National Highways in Orissa ...	73
2982. श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क, दिल्ली	Shyama Prasad Mukerjee Park, Delhi ...	73
2983. देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास	Development of National Highways in the country ...	73—74
2984. विश्वविद्यालय में आमूल परिवर्तन	Radical Reforms in Universities	74
2985. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, टोकियो एवं वसेडा (जापानी) विश्वविद्यालयों के बीच छात्र विद्वानों का आदान प्रदान	Exchange of Scholars among Students of Jawaharlal Nehru University, of Tokyo and Waseda University ...	75
2986. कृषि विश्वविद्यालयों का बाहुल्य	Proliferation of Agricultural Universities ...	75
2987. बंगला देश के लिए गेहूं का सुरक्षित भण्डार	Buffer Stock of wheat for Bangla Desh ...	75—76
2988. सिगरेट से कैंसर	Smoking Causes Cancer	76
2989. एम० डी० और एम० एस० पाठ्यक्रमों में आयुर्वेदिक स्नातकों का दाखिला	Admission to Ayurvedic Graduates for M. D. and M. S. Courses ...	76
2990. कृषि मशीनों तथा औजारों के लिए बोर्ड	Board for Agricultural Machines and Implements ...	76—77
2991. दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किए जाने वाले दूध के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Milk supplied by DMS ...	77
2992. विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के लिए कम मूल्य की राज सहायता प्राप्त पुस्तकें	Low Cost Subsidised Books For Inauguration of World Book Fair ...	77
2993. अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्रति एकड़ उपज	Per acre Yield from High Yielding Varieties of Foodgrains ...	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2994. टी० डी० मेडिकल कालेज, एलेपी केरल की एम० बी० बी० एस० डिग्रियाँ	M. B. B. S. Degrees of T. D. Medical College, Alleppey, Kerala ...	78
2995. तेल्लचेरी पत्तन का सुधार	Improvement in Port at Tellicherry ...	78—79
2996. भारत नार्वे परियोजना संबंधी समझौते का नवीकरण	Renewal of Indo-Norwegean Project Contract ...	79—80
2997. केरल में संस्कृत के अध्ययन के लिए संस्थान	Institution for Sanskrit Studies in Kerala ...	80
2998. केरल पोर्टस लैंडिंग एण्ड शिपिंग फीस बिल	Kerala Ports Landing and Shipping Fees Bill ...	80
2999. आन्ध्र प्रदेश में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Technological University in Andhra Pradesh ...	80—81
3000. छोटे तथा सीमांतक (मार्जिनल) किसानों के विकास की योजनाओं के लिए 1971-72 के दौरान किया गया राज्य-वार आवंटन	Allocation for Small and Marginal Farmers Development Schemes during 1971-72 (State-wise) ...	81
3001. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आवासीयभूमि के लिए मंजूर की गई राशि का उपयोग	Utilisation of Grant Sanctioned for House Sites to Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	81—82
3002. अस्पतालों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की सेवाएं	Services of National Physical Laboratory for Electro-Medical Equipment in Hospitals ...	82
3003. पटेलनगर में सुपर बाजार की बिल्डिंग का गिराया जाना	Demolition of Super Bazar Building in Patel Nagar, New Delhi ...	82—83
3004. चीनी की बिक्री पर नियन्त्रण	Control on Sale of Sugar	
3005. गुजरात में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक	Ancient and Historical Monuments in Gujarat ...	83—84
3006. गुजरात में पुरातत्वीय खोज	Archaeological Exploration in Gujarat...	84

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3007.	उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल सीमा के साथ वाली सड़कों को आपस में जोड़ना	Linking of Roads Running on Nepal Border in U. P. and Bihar ...	84—85
3008.	मिथिला विश्वविद्यालय	Mithila University ...	85
3009.	कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा पाने वाले व्यक्ति	Post Graduates from Agricultural Universities ...	85—86
3010.	राज्यों की राजधानियों में युवा केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Youth Centres in State Capitals ...	86
3011.	छोटे किसानों के लिये विपणन सम्बन्धी सुविधाएं	Marketing Facilities for Small Farmers ...	86
3012.	गर्भपात के लिए औषधि का विकास करने के लिए अनुसंधान	Research to develop drug for Abortion...	86—87
3013.	कृषि के लिए विमान सेवा का विस्तार	Expansion of Agricultural Aviation	87
3014.	चीनी का कारखाने के बाहर मूल्य	Ex-factory cost of Sugar ...	87—88
3015.	तमिलनाडु के छोटे और बड़े पत्तनों के सुधार की योजनाएं	Schemes for improving Small and minor Ports in Tamil Nadu ...	88
3016.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से पुस्तकें गुम होना	Books missing from Library of Banaras Hindu University ...	88
3017.	मध्य प्रदेश द्वारा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के ट्रेक्टरों की मांग	Request for GDR Tractors from Madhya Pradesh ...	88—89
3018.	भारत में पुस्तकों के प्रकाशक और पाठक	Publishers and Readers of Books in India ...	89
3019.	काजू उत्पादक राज्यों को केन्द्रीय राज सहायता	Central Subsidy to Cashew nut producing States ...	89—90

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3020. स्वशासित निकायों के कर्मचारियों को आवास सुविधाएं	Housing facilities to Employees of Autonomous Bodies ...	90—91
3021. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के घंटे	Working Hours of C. P. W. D. ...	91
3022. वैकल्पिक फसलों सम्बन्धी नीतियों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय फसल बोर्ड की स्थापना	Setting up of National Crop Board for Alternative Cropping Strategy ...	91—92
3023. कलकत्ता विश्वविद्यालय की डी० फिल० डिग्री के बारे में भारतीय चिकित्सा परिषद् की शिफारिशें	IMC's Recommendations regarding D. Phil. Degree of Calcutta University ...	92
3024. गन्ने का उत्पादन तथा चीनी मिलों एवं क्रशरों को इसकी सप्लाई	Production of Sugarcane and its supply to Sugar Mills and Crushers ...	92
3025. खेतों में गन्ना जलाया जाना	Burning of Sugar Cane in Farms	93
3026. जनता को चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to Public ...	93
3027. केरल के क्विलोन जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के स्नातक	SC and ST Graduates in Quilon District, Kerala ...	93—94
3028. खाद्यान्न के समर्थन मूल्य	Support Prices for Foodgrains	94
3029. भारत में क्षयरोग के रोगी	Active Cases of Tuberculosis in India. ...	95
3030. काशीपुर पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बन्द करना	Sealing of FCI Godowns at Cossipur West Bengal ...	95—96
3031. दिल्ली में संगीतज्ञों एवं कलाकारों को आवास स्थानों का आवंटन	Allotment of Accommodation to Musicians and Artists in Delhi ...	96
3032. परिवार नियोजन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	International Conference on Family Planning ...	96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3033. अनुसंधान और विकास का कृषि उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Research and Development on Agricultural production ...	96—97
3034. जयन्ती शिपिंग कम्पनी के अंशधारियों को मुआवजा	Compensation to Share-holders of Jayanti Shipping Company ...	97
3035. भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में पशुधन क्रान्ति	Livestock Revolution at Indian Veterniary Research Institute, Izatnagar ...	97—98
3036. 1969-70 से चीनी की वार्षिक आन्तरिक खपत और उसका निर्यात	Annual Internal Consumption and Export of Sugar Since 1969-70 ...	98—99
3037. भारतीय विद्यार्थियों को प्रदान की गई विदेशी छात्रवृत्तियाँ	Foreign Scholarship grants to Indian Students ...	99—101
3038. विश्व पुस्तक मेला के लिए स्वीकृत की गई धनराशि	Amount sanctioned for World Book Fair ...	101—102
3039. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान	Grant in aid to National Book Trust ...	102
3040. बाघ की गणना	Tiger Census ...	102—103
3041. मध्य प्रदेश के आदिवासियों का उत्थान	Uplift of Adivasis in Madhya Pradesh...	103
3042. गोपालपुर से रायपुर को जाने वाली वर्तमान सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना	Conversion of existing road from Gopalpur to Raipur into National Highway ...	103—104
3043. बंगला देश से लगने वाले राज्यों में चेचक को फैलने से रोकना	Check on spread of Smallpox in States Adjoining Bangla Desh ...	104
3044. दिल्ली राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड और नारी निकेतन	Delhi State Social Welfare Advisory Board and Nari Niketan Board ...	104—105
3045. संसद् सदस्यों के फ्लेटों के बरामदों में शीशे लगाना	Glazing of Verandas of M. Ps. Flats ...	105
30'6. विशेष पोषाहार कार्यक्रम	Special Nutrition Progamme ...	106

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

3047. दिल्ली में स्वयंसेवी संगठनों को विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देना	Special Nutrition Programme Grants to Voluntary Organisations in Delhi ...	106
3048. दिल्ली में अध्यापकों को राजकीय पुरस्कार	State Award to Teachers in Delhi	106—107
3049. उत्तर प्रदेश में सहकारी आधार पर चीनी मिलें स्थापित करने के बारे में वार्ता	Talks on Setting up Sugar Mills on Co-operative basis in Uttar Pradesh ...	107
3050. गेहूँ की नई फसलों को लगाने के प्रभाव	Effect of Introduction of New Varieties of Wheat ...	107—108
3051. पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में किसान मेला	Kishan Mela at Pusa Institute, New Delhi ...	108
3052 राजस्थान में कमी की स्थिति	Scarcity Conditions in Rajasthan	108—109
3053. आदिवासियों के कल्याण के लिए उड़ीसा को अनुदान	Grant to Orissa for Welfare of Tribals ...	109—110
3055. भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पटना विश्वविद्यालय की एम० बी० बी० एस० डिग्री को मान्यता	Recognition of M. B. B. S. Degree of Patna University by Medical Council of India ...	110
3056. तूतीकोरिन बन्दरगाह परियोजना को पूरा करने में विलम्ब	Delay in Completing Tuticorin Harbour Project ...	110
3057. संसद् सदस्यों के बंगलों के सर्वेन्ट क्वार्टरों की खराब स्थिति	Dilapidated condition of Servant Quarters of M. PS Bungalows ...	110—111
3058. संसद् सदस्यों को पुराने फर्नीचर के स्थान पर दिया गया नया फर्नीचर	Replacement of Furniture Provided to Members of Parliament ...	111
3059. संसद् सदस्यों के नौकरों के क्वार्टरों में पानी के नलके लगाना	Installation of Water Taps in Servant Quarters of M. Ps ...	111

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3060. चौथी योजना की अवधि में स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद	Sports and Games in Colleges and Schools during Fourth Plan ...	111—112
3061. रोजगार सेवा में केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था का अन्य स्थान पर ले जाया जाना	Shifting of Central Institute for Research and Training in Employment Service out of Station ...	112
3062. राष्ट्रीय बाल बोर्ड	National Children Board ...	112
अमरीका द्वारा हनोई पर बमबारी करने के बारे में	Re. U. S. Bombing of Hanoi	113—114
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	114
इन्डियन एयरलाइन्स के इन्जीनियरों द्वारा "धीरे काम करो" आन्दोलन को पुनः प्रारम्भ करने का समाचार	Reported revival of 'Go Slow' agitation by engineers of Indian Airlines ...	114
श्री राम सहाय पाण्डे	Shri R. S. Pandey ...	114
डा० कर्णसिंह	Dr. Karan Singh	114—119
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege	119
पैट्रियट में श्री ईश्वर चौधरी की दल सम्बद्धता के बारे में कथित गलत बयानी	Alleged Misrepresentation of Shri Ishwar Chaudhry's party affiliation in the Patriot ...	119—120
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	120
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee ...	120
15 वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश.	Fifteenth Report and Minutes	120
कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में वक्तव्य	Statement re. Ceiling on Agricultural Holdings ...	120
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	120—122
नियम 377 के अधीन मामला	Matter under Rule 377 ...	122

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
चुनावों के दौरान अमरीकी वाणिज्य दूतावास से जनसंघ द्वारा धन प्राप्त करने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य का समाचार	M. P. Chief Minister's reported statement about Jan Sangh having received money from U. S. Consulate during elections ...	122
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73 ...	122
संचार मंत्रालय	Ministry of Communications	122
श्री राम भगत पासवान	Shri Ram Bhagat Paswan ...	122—123
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम	Shri S. A. Muruganantham ...	123
श्री चन्द्रिका प्रसाद	Shri Chandrika Prasad ...	124
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ...	125—126
श्री नाथूराम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar ...	126—127
श्री फूलचन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma ...	127
हनोई पर अमेरिका द्वारा बड़े पैमाने पर बमबारी करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	Discussion re. situation arising out of escalation of US bombing of Hanoi ...	128
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee ...	128—129
डा० शंकर दयाल शर्मा	Dr. Shankar Dayal Sharma ...	129—130
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu ...	130—132
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kader ...	132
श्री० पी० ए० स्वामिनाथन्	Shri P. A. Swaminathan	132—133
श्री बसन्तराव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasantrao Purushottam Sathe	133—134
श्री अटलबिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	134
श्री वी० के० कृष्ण मेनन	Shri V. K. Krishna Menon ...	134–136
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody ...	136

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	...	136–137
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamandan Mishra	...	137—138
श्री के० पी० उन्नी कृष्णन्	Shri K. P. Unnikrishnan		138—139
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh		139
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	...	140
श्री समर गुह	Shri Samar Guha		140—141
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan		141
श्रीमती एम० गौडफ़े	Shrimati M. Godifrey	...	141
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Shiela Kaul	...	141
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait	...	142
प्रो० एस० एल० सक्सेना	Prof. S. L. Saksena	...	142
श्री हरिकिशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh		142
श्री एस० ए० शमीम	Shri S. A. Shamim	...	142—143
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh		143—145
वर्ष 1972-73 के लिए गेहूं सम्बन्धी मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Wheat Price Policy for 1972-73	...	145
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	...	145

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 17 अप्रैल, 1972/28 चैत्र, 1894 (शक)

Monday, April 17, 1972/Chaitra 28, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Habitation for Families from Rajasthan Living in Carts

***421. Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether a particular class of people in India are used to moving from place to place along with their families in carts;

(b) whether these people belong to Rajasthan and earn their living by manufacture of ironware; and

(c) if so, the steps being taken by Government for their habitation ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (ग) गोडिया लोहार अपने परिवार सहित गाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं तथा लोहे का सामान बनाकर अपना निर्वाह करते हैं। राजस्थान की राज्य सरकार केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती आ रही है। चतुर्थ योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में समाज कल्याण विभाग ने राजस्थान में डिनोटिफाइड खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जन-जातियों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं को चलाने के लिए 4.75 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

Shri Mahadeepak Singh Shakya : Mr. Speaker, Sir the reply given by the hon. Minister is very unsatisfactory. He has stated in his reply that the information is being collected. Mine was a simple and straight question. I only wanted to know the steps that are being taken for their habitation.

Shri I. K. Gujral : I have not said in my reply that the information is being collected. I have clearly stated that they move one from place to another to earn their livelihood. The Rajasthan Government has started some schemes for them. Here in Centre Government also we have social welfare Department who has initiated certain schemes for their habitation. In case the Rajasthan Government formulates any scheme for their habitation regarding construction of houses for them we will certainly consider them sympathetically and we are prepared to give that help which will be asked for by the Rajasthan Government.

Shri R. U. Bade : In the time of Maharana Pratap, Godia Lohars had pledged that they will move from one place to another until the freedom is gained. After independence Late Shri Jawahar Lal Nehru assured them that they need not remain nomadic and Government will make arrangements for their habitation. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken by the Government in this regard since independence.

Shri I. K. Gujral : The whole question of their settlement or social welfare is not the concern of my department. It has two aspects : Firstly it is the concern of Rajasthan Government which is making arrangements for their settlement and secondly it is the concern of social welfare department who has formulated certain schemes for their welfare. As far as my ministry is concerned all that I can say is that if the Government of Rajasthan asks for any financial assistance for the construction of houses for them, I *will certainly* consider the matter sympathetically and shall provide them all possible help.

Shri M. C. Daga : Is it a fact that houses were constructed for these people but they do not want to live in them. It is very difficult for them to live at one place as they cannot earn their livelihood then.

Shri I. K. Gujral : I do not know these facts as I have got no information : All the housing schemes whether they were for Godia Lohars or for others should have one basic thing in view and that thing is that there should be close coordination between housing and employment. There should not be any such thing that if one gets a house and he should lose his livelihood.

श्री डी० बसुमतारी : मंत्री महोदय ने बताया है कि राजस्थान सरकार का भी इस समस्या से सम्बन्ध है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन आदिवासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से धन आवंटित करने का अनुरोध किया है ?

श्री आई० के० गुजराल : जी नहीं। इस प्रयोजन के लिए मुझे राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

Shri Jharkhande Rai : Their's is a nomadic tribe and we have many such tribes in our country who have been moving about for the last several centuries. They have no permanent place to live. Keeping this fact in view that the U.S.S.R. has got the Russian Turkistan nomadies settled on permanent basis ; does this Government propose to settle these nomadic tribes of India in the same way so that their labour potential could be utilised for nation building.

श्री आई० के० गुजराल : आपका विचार प्रशंसनीय है; हम भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ यहां भी किया जाए। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में क्या कर सकती है, मेरे लिए इस समय यह बताना कठिन है क्योंकि बसाने का मामला अन्ततः राज्य सरकार से संबंधित है और मेरे विचार में राज्यों को इस सम्बन्ध में ध्यान देना चाहिए और यदि राज्य चाहते हैं कि समाज कल्याण विभाग अथवा आवास मंत्रालय इस ओर ध्यान दे तो हम बड़ी खुशी से उनको सहयोग देंगे।

श्री शंकर बी० गिरी : मैं जानना चाहता हूँ कि बैलगाड़ियों में घूमने वाली इन खानाबदोश जातियों की जनसंख्या स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात् क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रश्न के लिए अलग से सूचना दें क्योंकि आप आंकड़े मांग रहे हैं।

Shri Bhagirath Bhanwar : Will the hon. Minister be pleased to state the total number of Godia Lohars and the names of the district of Rajasthan in which they live. I would also like to know whether iron-waring is their only business or they do have some other means of livelihood also.

Shri I. K. Gujral : I have already stated their main occupation is manufacture of Iron-ware but if they have any other means of livelihood I do not know. It is quite natural that avocations differ from family to family but basically they are given to manufacture of Iron-ware.

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र के गवर्नरों के बोर्ड की बैठक

*423. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसन्धान केन्द्र के गवर्नरों के बोर्ड की बैठक कनाडा के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में 13 और 14 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किस-किस विषय पर विचार किया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी, हां।

(ख) यह बैठक बन्द कमरे में हुई थी और उसके लिए भारत सरकार के किसी प्रतिनिधि को आमन्त्रित नहीं किया गया। अत: बैठक में जिन विषयों पर विचार विमर्श किया गया उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्य के बारे में कोई चर्चा हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने एक मीटिंग के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मैं बोर्ड की मिटिंग के बारे में पूछ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बताया है कि भारत सरकार को निमंत्रित नहीं किया गया था।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या तत्पश्चात् कोई चर्चा हुई थी ?

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय की चर्चा के बारे में पूछ रहे हैं । सरकार को निमंत्रित नहीं किया गया था । अतः मेरे विचार में यह प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए । सरकार ने जब मिटिंग में भाग ही नहीं लिया तब और प्रश्न पूछने ही नहीं चाहिए ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या सम्मेलन में भारत सरकार को निमंत्रित नहीं किया गया था ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैंने उत्तर में बताया है भारत सरकार को निमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन श्री ए० डायस ने व्यक्तिगत हैसियत से मीटिंग में भाग लिया था । वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं लेकिन बोर्ड के सदस्य भी हैं अत उन्होंने मीटिंग में भाग लिया था।

उर्वरकों के सन्तुलित प्रयोग के लिए 10-सूत्री कार्यक्रम

*424. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सन्तुलित उर्वरकों, जिनमें जस्ते की तरह के लघु पोषक भी सम्मिलित हैं, के प्रयोग को वढ़ावा देने के लिए एक 10-सूत्री कार्यक्रम आरम्भ कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ किए गये दस-सूत्री कार्यक्रम की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) कपास, तिलहन, पटसन, गन्ने, आदि जैसी विशिष्ट मदों तथा अनाज के प्रदर्शन कार्यक्रमों के साथ-साथ 70 चुनींदा जिलों में पैकेज प्रणालियों के आधार पर व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम ;

(2) उर्वरकों के समुचित उपयोग तथा व्यवस्था में सहकारी विक्रेताओं, विस्तार अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों सहित ग्राम सेवकों तथा खुदरा विक्रेताओं का प्रशिक्षण, जिससे कि वे किसानों को उर्वरकों के प्रयोग में सक्षम सहायता दे सकें ।

(3) चुनींदा जिलों में उर्वरकों के उपयोग तथा प्रबन्ध में कृषक तथा कृषक महिलाओं का प्रशिक्षण;

(4) उर्वरक प्रयोग सम्बन्धी जानकारी का व्यक्तिगत सम्पर्क, वर्ग विचार-विमर्श तथा किस्मों, रेडियो और टेलीविजन जैसे जन प्रचार साधनों द्वारा प्रचार;

(5) चुनींदा जिलों में उर्वरक उत्सवों का संगठन;

(6) जिलों में विद्यमानवर्तमान मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना तथा चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और केन्द्र तथा राज्यों में गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना;

(7) उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों के लिए सहकारी ऋण सुविधाओं में वृद्धि ;

(8) जहां तक सम्भव हो ऋण उर्वरकों के रूप में देना ;

(9) प्रत्येक ब्लाक में अधिकाधिक बिक्री केन्द्र खोलना ;

(10) वाणिज्यिक बैंक ऋण कार्यक्रम को क्षेत्र आधार पर उर्वरक विक्रय से सम्बन्धित करना।

श्री पम्पन गौडा : वक्तव्य में बताया गया है कि 70 चुनींदा जिलों में व्यापक प्रदर्शन कार्यक्रम होंगे। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन जिलों में तुंगभद्रा परियोजना के अन्तर्गत आने वाले जिले भी सम्मिलित हैं ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इन जिलों को चुना गया है।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं इस सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रख सकता हूँ। इन जिलों को शामिल किया गया है। जहां तक मैसूर राज्य का सम्बन्ध है, इसके शिमोगा, रायचूर, बेलारी और बेलगाम आदि जिले भी इसमें सम्मिलित हैं।

श्री पम्पन गौडा : संख्या (6) में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा चल एककों का उल्लेख किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन एककों की संख्या क्या है तथा यह किन क्षेत्रों में स्थापित हैं ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : 18 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को भेजा गया है। तथा हमारे प्रस्ताव के अनुसार चौथी योजना के दौरान कुल 34 प्रयोगशालाएँ बनाई जायेंगी जो कि समस्त देश में काम करेंगी।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में मद संख्या 7 में उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों के लिए सहकारी ऋण में वृद्धि करने का उल्लेख किया गया है और मद संख्या 10 में वाणिज्यिक बैंक ऋण कार्यक्रम को क्षेत्रीय आधार पर उर्वरकों का विक्रय करने के बारे में बताया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की सुविधाएँ नहीं प्रदान की जातीं —यद्यपि इनके बारे में बातें बहुत की जाती हैं मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने इन वाणिज्यिक बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं ताकि जो किसान उर्वरक खरीदना चाहें उन्हें इनसे ऋण प्राप्त हो जाएँ। इस सम्बन्ध में सहकारी बैंकों को भी क्या विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : उर्वरकों तथा अन्य चीजों की खरीद हेतु वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक किसानों को ऋण देते हैं। संभव है कि यह ऋण उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए

समुचित न हों । मैं माननीय सदस्य की बात से इन्कार नहीं करता । प्रतिवर्ष ऋण सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है । मेरा मंत्रालय एक योजना पर विचार कर रहा है कि ऋण अंशत: मुद्रा के रूप में तथा अंशत: वस्तु के रूप में दिये जाएँ । इस प्रकार हम किसानों की आवश्यकताओं को, विशेषकर छोटे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

Scholarships and Book Grants to High School Students Belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes.

*425. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government provide financial aid to the State Governments for giving scholarships and book grants to High School students belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and backward classes ;

(b) If so, the year-wise amount of financial aid given to the various States, State-wise, during the last three years ; and

(c) whether Government propose to increase the amount of scholarship to the students belonging to these classes in Bihar as the amount of scholarship paid by the State Government is very negligible ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण पत्र, जिसमें पिछले तीन वर्षों में किया गया खर्च दर्शाया गया है; संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** —1767/72] वित्तीय सहायता योजना वार नहीं बल्कि ब्लाक अनुदानों और ब्लाक ऋणों के रूप में दी जाती है ।

(ग) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं । छात्रवृत्तियों की दर को बढ़ाने के प्रश्न का सम्बन्ध बिहार सरकार से है ।

Shri Ramavatar Shastri : In accordance with the reply given I would like to know that whether there must be some rule on the basis of which scholarships are granted to schedule caste and schedule tribes people. What is the basis for allocation of scholarship grants etc. amongst the state. My I know whether it is on the basis of number of students or on the degree of backwardness of a particular state.

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस सम्बन्ध में योजना आयोग राज्यों से बातचीत करके आधार तय करता है । मैं बिहार की स्थिति से संतुष्ट नहीं हूँ । प्राप्त सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों के केवल 6 या 7 प्रतिशत बच्चे ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं । जहां तक पांचवीं योजना का संबंध है मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूँगा कि वह इस समस्या की ओर विशेष ध्यान दे तथा इसे प्राथमिकता प्रदान करे ।

Shri Ramavatar Shastri : I am grateful to the hon. Minister for his promise of doing something in this regard. But in view of the figures given by him I would like to say that

the amount has gone up to Rs. 14 lakhs from Rs. 10 lakhs 45 thousand in the case of schedule cast and schedule tribes. But the amount kept for backward classes for the years 1969 to 1972 is only Rs. $3\frac{1}{2}$ lakhs. Keeping in view the backwardness of the state are you doing to increase this amount ? May I know whether any request has been made by the Bihar Government in this regard.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरे विचार में माननीय सदस्य को कुछ गलतफहमी है। यह समाज कल्याण विभाग से स्वीकृत अनुदान नहीं है। जैसा कि मैंने विवरण में बताया है, योजना आयोग राज्य की योजनाओं के ब्लाक अनुदान और ब्लाक ऋणों की स्वीकृति देता है; हमें केवल इन शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाले व्यय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। अत: इस विशेष उद्देश्य के लिए धन आवंटन करने के सम्बन्ध में निर्णय करना राज्य सरकार अथवा योजना आयोग का ही काम है।

Shri Ramavatar Shastri : My I know whether the Government of Bihar had made any request in this regard ?

Prof. S. Nurul Hasan : If any request is made, it would have been made with the Planning Commission.

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या सरकार को पता है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जिन छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गयी है वे उन छात्रों को विशेषतया हमारे प्रदेश आसाम में, उचित समय पर नहीं मिल पाती हैं अत: इन छात्रवृत्तियों का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है, और यदि हों, तो क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी कि इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है—केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है, वह मैट्रिक से ऊपर के छात्रों को छात्रवृत्तियां देती है। मैंने कुछ शिकायतें सुनी हैं और हाल ही में कुछ सदस्यों ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि इस प्रणाली में कुछ दोष हैं जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के छात्र तथा छात्राओं को समय पर छात्रवृत्तियां नहीं मिल पाती हैं। मैं इस विषय पर ध्यान दे रहा हूँ। मुझे स्वयं इस विषय में चिन्ता बनी हुई है।

श्रीमती शीला कौल : वर्ष 1971-72 में उत्तर प्रदेश को एक मुश्त अनुदान के रूप में कितनी राशि दी गई थी और क्या सरकार इस राशि में वृद्धि करने का विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न केवल बिहार के विषय में पूछा गया है……

श्रीमती शीला कौल : प्रश्न राज्य तथा अन्तर्राज्यीय व्यवस्था से सम्बन्धित है।

Mr. Speaker : The word states does not mean all the states.

माननीया सदस्या आंकड़े जानने के लिए अलग से प्रश्न पूछ सकती हैं।

Shri S. C. Besra : There is a Santhal Paharia Seva Mandal Hostel in district Santhal Paragna. The student who gets Hostel grant does not get any scholarship there. May I know whether this grant is paid by the Central Government or by the State Government ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : सभी मैट्रिक-पूर्व की छात्रवृत्तियां राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं ।

Shri Ishwar Chaudhry : Bihar gets a little share out of the scholarships and grants paid to the states, and this fact has been realized by the Government. May I know whether the Government would consider to increase it for 1971-72 and 1972-73 and whether they are advising Bihar Government to consider maximum applications to pay maximum grant ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह मामला वास्तव में बिहार सरकार से सम्बन्धित है ।

Shri B. P. Maurya : Will the Hon. Minister be pleased to state that the amount allocated for Scheduled Castes students is not utilized fully and a certain amount go lapse ?

Prof. S. Nurul Hasan : As I have already stated that the grants are not paid to state Government under different heads but a consolidated grant is paid by the Planning Commission. We get the information regarding expenditure made under different Heads and I can produce that here. As regard, block grant, it is a matter between the state and the Central Government.

रामकृष्णपुरम् : नई दिल्ली में मकानों को आगे किराए पर चढ़ाना

*428. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में मकानों के अलाटियों ने अपने मकानों को व्यापारिक संस्थाओं के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को बड़ी संख्या में आगे किराये पर चढ़ा रखा है;

(ख) क्या इस प्रकार अवैध रूप से रहने वाले लोगों ने अपने क्वार्टरों में टेलीफोन और टेलीविजन लगा रखे हैं जो इस बात का प्रमाण है कि उन मकानों को आगे किराये पर चढ़ाया हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा मकानों को आगे किराये पर देने के इस प्रकार के व्यापार को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : एक सरकारी कर्मचारी, सामान्य पूल से आवंटित निवास-स्थान को, सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित किए गए पात्र वर्ग के व्यक्ति से, शेयर करने वाले को दिए गए भाग का उचित किराया लेकर इसे शेयर कर सकता है । यदि निवास स्थान किसी अन्य आधार पर भागीदारी में है, अथवा पूर्ण रूप से आगे किराये पर दे दिया गया है, तो यह उप-किरायेदारी के तुल्य है तथा आवंटन नियमों के दण्डात्मक उपबन्धों को आकृष्ट करता है । जहां पर सरकारी क्वार्टरों के आंशिक अथवा पूर्ण उप-किराये पर देने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो आवश्यक पूछताछ की जाती है तथा अनधिकृत उप-किरायेदारी के दोषी सरकारी कर्मचारियों को दण्ड दिया जाता है । रामकृष्णपुरम् में उप-किरायेदारी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं तथा उनमें पूछताछ की गई । जो शिकायतें सिद्ध हो गईं, उनमें यथोचित कार्यवाही की गई है । कुछ मामलों की अभी जांच की जा रही हैं ।

(ख) ऐसा कोई मामला सम्पदा निदेशालय के नोटिस में नहीं आया है।

(ग) उप-किरायेदारी के इस कदाचार को रोकने के लिए सम्पदा निदेशालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी कालोनियों की आवधिक जांच-पड़ताल की जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों से सामान्य तौर पर प्राप्त शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाती है।

श्री के० सूर्यनारायण : मंत्री महोदय ने बताया है कि ऐसे आवंटनों में सरकारी कर्मचारी ही शेयर कर सकते हैं। परन्तु मेरी जानकारी के अनुसार एक या दो निवास-स्थान गैर-सरकारी व्यापारियों को उप-किरायेदारी पर दिये गए हैं, वहाँ उनके अपने टेलीफोन तथा टेलीविजन भी हैं। उत्तर के भाग (ख) में वर्णित किस एजेन्सी ने मामले की जांच की है तथा निष्कर्ष निकाले हैं ? क्या निवास-स्थान के क्षेत्र में टेलीविजन एन्टेना का पाया जाना उप-किरायेदारी का उचित प्रमाण नहीं है ? क्या वहां पर लगा हुआ टेलीफोन, जो अलाटी के नाम में नहीं है, इस बात का प्रमाण नहीं है कि निवास-स्थान गैर सरकारी व्यक्ति को उप-किरायेदारी पर दिया गया है ? क्या रिहायशी कालोनी रामकृष्णपुरम् के विषय में सरकार ने इन सभी बातों की जांच की है ?

श्री आई० के० गुजराल : पीछे रामकृष्णपुरम् के विषय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और उन पर कार्यवाही की गयी है। मेरे विचार से इस शिकायत की संख्या 333 है। यह आशा करना कि हम केन्द्रीय जांच ब्यूरो की तरह प्रत्येक मकान पर जायें और जांच करें उचित नहीं है, क्योंकि हम सभी कर्मचारियों को परेशान करना नहीं चाहते। जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच कराई जाती है। इस समय सम्पूर्ण दिल्ली के संबंध में हमारे पास 863 शिकायतें हैं जिनमें से कुछ शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या यह सच है कि संसद सदस्यों को जो फ्लैट आवंटित किये जाते हैं वे भी उन्हें उप-किरायेदारी पर दे रहे हैं और यदि हां तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानना चाहते हैं कि क्या कुछ संसद सदस्य रामकृष्णपुरम् में रह रहे हैं ?

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है; क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न रामकृष्णपुरम् के विषय में है।

श्री एम० सत्यनारायण राव : हम दूसरों की बात हमेशा सोचते रहते हैं, अपनी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। **(व्यवधान)** मैं मन्त्री महोदय से इतना उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न असंगत है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने अभी यह बताया है कि उनके विभाग के पास इस बात की जानकारी है कि रामकृष्णपुरम् के निवास-स्थानों में कुछ अप्राधिकृत व्यक्ति रह रहे हैं। इस तरह के कितने मामलों का पता चला है ?

श्री आई० के० गुजराल : वर्ष 1971-72 में रामकृष्णपुरम् के विषय में कुल 333 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से चार मामलों में कार्यवाही की जा चुकी है और कर्मचारियों को क्वार्टर देना वर्जित कर दिया गया है। तीन मामलों में कर्मचारियों को आंशिक रूप में वर्जित किया गया है। कुल मिलाकर 7 कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और 205 शिकायतें अज्ञात लेखकों से तथा कल्पित लेखकों से प्राप्त हुईं अतः कार्यवाही नहीं की गई। 108 मामलों पर विचार किया जा रहा है।

श्री राम गोपाल रेड्डी : कितने मामलों का पता चला है ?

श्री आई० के० गुजराल : जो 333 मामले दर्ज किये गए उनमें से 7 व्यक्तियों को पूर्णरूप से अथवा आंशिकरूप से दोषी ठहराया गया है। 218 शिकायतों में से कुछ गलत थीं, कुछ अज्ञात लेखकों से प्राप्त हुई थीं।

Loan to Engineering Golleges and Polytechnics in Madhya Pradesh for construction of Buildings and Hostels

*430. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether loans given by the Central Government to private Engineering Colleges and polytechnics of Madhya Pradesh for construction of buildings and hostels are not being repaid due to lesser number of admission in these institutions continuously ; and

(b) if so, the steps Government propose to take to ease financial difficulties of these colleges ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां। मध्यप्रदेश में प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा चलाई जा रही 11 संस्थाओं में से पाँच ने विद्यार्थियों के छात्रावास के निर्माण के लिए दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को वापस करने में अपनी कठिनाई प्रकट की है।

(ख) स्थिति का मुकाबला करने के लिए प्राइवेट तकनीकी संस्थाओं को सहायता करने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन है। इसी बीच, संस्थाओं को ऋण की किस्तों का पुनर्नियतन करने की अनुमति दे दी गई है। उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रयोग में न लाए जाने वाले स्थान को अन्य सरकारी तथा अर्ध सरकारी संस्थाओं को किराए पर देने की अनुमति भी दे दी गई है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It has been said that Five out of Eleven technical institutions have expressed their difficulty in returning the interest free Loans. May I know since when the matter is under consideration and by what time final action would be taken in this regard ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : यह समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब दाखले कम होने शुरू हो गये। मध्य प्रदेश की इन संस्थाओं में दाखलों की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है।

जहां तक किश्तों के भुगतान न किये जाने का प्रश्न है, यह स्थिति 1969-70 में आरम्भ

हुई थी और वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 में भी जारी रही । वर्ष 1970-71 की अधिक किश्तें बकाया हैं तथा 1971-72 की थोड़ी-सी किश्तें बकाया हैं ।

जहां तक निर्णय करने का सम्बन्ध है यह मामला अपनाई जाने वाली नीति निर्धारित किये जाने के लिए आल इण्डिया काउन्सिल आफ टेक्नीकल एजूकेशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है । इस परिषद् की बैठक इस महीने की 21-22 तारीख को होने वाली है, सरकार को जब समिति की सिफारिशें मिल जायेंगी तब उस पर निर्णय होगा ।

श्री आर० वी० बड़े : क्या गैर सरकारी संस्थाएँ सरकारी सहायता से ट्रस्टों द्वारा चलाई जाती हैं और यदि हां, तो उन पर कुल कितनी राशि बकाया है तथा कब से ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं । यदि आप कहें तो मैं इन्हें पढ़ देता हूँ । परन्तु यह बहुत लम्बी सूची है । कुल राशि जोड़कर ही बतायी जा सकती है । यदि आप कहें तो मैं इसे सभा-पटल पर रख सकता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : यह सभा-पटल पर रखी जा सकती है ।

देश में ही जहाजों के डिजाइन तैयार करने सम्बन्धी कार्य में प्रगति

*432. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ही जहाजों के डिजाइन तैयार करने सम्बन्धी कार्य में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में ही जहाजों के डिजाइन तैयार करने सम्बन्धी विकास कार्य को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) समुद्री व्यापार पोतों के लिए कुछ मूल डिजाइन देश में तैयार किये गए हैं । परन्तु समुद्री जहाजों के परिष्कृत डिजाइन तैयार करने की क्षमता का विकास अभी तक देश में नहीं हुआ है ।

(ख) अपर्याप्त तकनीकी ज्ञान, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित नौशिल्पी तथा समुद्री इंजीनियर तथा अपर्याप्त अनुसंधान, विकास और टैंक परीक्षण सुविधाएं इसके कुछ मुख्य कारण हैं ।

(ग) उपलब्ध प्रतिभा और सुविधाओं के केन्द्रित करने के लिए केन्द्रीय समुद्री डिजाइन और अनुसंधान संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव है ।

श्री एस० ए० मुरुगनन्तम : क्या केवल पोलैंड ने ही ब्यूरो स्थापित करने के मामले में हमारी सहायता की है, और यदि हां, तो सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ओम मेहता : कुछ समय पहले पोलैंड से एक शिष्टमंडल भारत आया था और हमारे कुछ अधिकारी पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं जो उस सरकार के साथ किये जाने वाले करार को

अन्तिम रूप देने का प्रयत्न करेंगे। हम उनके साथ बात-चीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे इण्डिया मैराइन डिजाइन सैंटर की स्थापना की जा सके।

श्री पी० वी० जी० राजू : क्या इस समय मजगांव शिपयार्ड में बनाये जा रहे जहाजों की अपेक्षा बड़े जहाज बनाने का विचार किया गया है ? वर्तमान जहाज 18,000 से 22,000 मीटरी टन के हैं। क्या हम भारत में इससे बड़े जहाज बना सकते हैं ?

श्री ओम मेंहता : हम कोचिन में दूसरा शिपयार्ड बनाने जा रहे हैं जहाँ बड़े जहाज बनाये जायेंगे।

श्री पी० वी० जी० राजू : कोचिन में बनाये जाने वाले जहाज किस आकार के होंगे ?

श्री ओम मेहता : ये 66,000 से 80,000 मीटरी टन के वजन के होंगे।

पोषक आहार में सपरेटा दूध के समान मक्की की एक किस्म का विकास

*434. **श्री राजदेवसिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने दो प्रकार की मक्की का उत्पादन किया है जिनकी तुलना उनकी पोषक विशेषताओं के कारण सपरेटा दूध के साथ की जा सकती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या बड़े पैमाने पर उनका उत्पादन करने के लिए सरकार का विचार देश के मक्की उत्पादन क्षेत्रों, जैसे वाराणसी डिवीजन में इस किस्म की खेती को प्रोत्साहित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन किस्मों का उपरोक्त क्षेत्रों में लघु उद्योगों के माध्यम से परिष्करण करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मकई की 'रत्न' तथा 'शक्ति' रूप दो मिश्रित किस्मों का विकास किया है, जो साधारण मकई तथा अधिकांश अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा अब बहुत पौष्टिक है। बाल तथा पशु खुराक परीक्षणों में इन किस्मों के अनाजों की तुलना दूध के पनीर से की गई है और यह देखा गया है कि कई बातों में प्रोटीन के दो स्रोत अपने गुण में तुलनीय हैं।

(ख) ये किस्में खेती के लिए अगस्त, 1971 में निर्मुक्त की गई थीं। पहले निर्मुक्ति की गई अधिक उत्पादनशील संकर मकई की किस्मों (यद्यपि ये स्थानीय किस्मों की अपेक्षा बेहतर हैं) की अपेक्षा उपज में कम हैं, किसान संकर मकई किस्मों को उगाने में प्राथमिकता देगा। अतः यह सुझाव दिया गया है कि खाद्य प्रक्रिया उद्योग से अधिक पौष्टिक मकई किस्मों के लिए प्रेरणादायक मूल्य प्राप्त होना चाहिए। इन किस्मों पर भण्डारण कीटों का कुछ प्रभाव पड़ सकता है, अतः उनका भण्डारण करते समय काफी सावधानी रखने की आवश्यकता है। उन उच्चतर मूल्यों के सम्बन्ध में

जो इन किस्मों को मिलना चाहिए बाजार तथा प्रक्रिया उद्योग की प्रतिक्रिया पर नजर रखी जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि किसानों को संकर मकई की साधारण किस्मों से प्राप्त होने वाले लाभ की अपेक्षा इन किस्मों से क्या लाभ प्राप्त होता है। एक या दो मौसमों के अन्त में ही चुने हुए क्षेत्रों में अधिक पौष्टिक मकई के विस्तार के निश्चित कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।

(ग) अभी एक ऐसा प्रक्रिया कार्यक्रम जो किसानों, बाजार तथा प्रक्रिया एककों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा, शुरू करना सम्भव नहीं है।

श्री राजदेव सिंह : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि यह किस्में पोषकता की दृष्टि से बहुत अधिक बढ़िया हैं। वह क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहाँ गत वर्ष यह बढ़िया किस्में उगाई गई थीं और इसके बारे में कृषकों की प्रतिक्रिया कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह किस्म तो हाल ही में आरम्भ की गई है और हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुछ फार्मों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभी इसमें कुछ समय लगेगा।

श्री राजदेव सिंह : इन किस्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : इतनी जल्दी उसके बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है क्योंकि अभी हमें यह भी देखना है कि यह किस्में फार्मों में उगाई भी जा सकती हैं या नहीं। यद्यपि प्रोटीन और पोषक तत्वों की मात्रा इनमें बहुत अधिक है फिर भी इस किस्म में दो कमियाँ हैं। यह तो केवल अनुभव के आधार पर ही बताया जा सकता है कि हम इन किस्मों का वाणिज्यिक दृष्टि से किस सीमा तक उत्पादन कर सकते हैं।

Shri Achal Singh: I would like to know from the hon. Minister if besides maize, Government propose to produce any such commodity which can be compared with skimmed milk for nutritional content.

Mr. Speaker: The main question relates to maize only.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : सरकार द्वारा यह किस्म तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों को क्यों नहीं भेजी जाती ताकि वह राज्य भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें।

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : यह तो अमल के लिए एक सुझाव मात्र है।

स्नातकोत्तर स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम

*435. **श्री नारायणचन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड ने स्नातकोत्तर पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या कुछ विश्वविद्यालय अब भी ऐसे पाठ्यक्रम चला रहे हैं; और यदि हाँ, तो ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं; और

(ग) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा उक्त निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं; और इस निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार राजस्थान और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुछ विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री नारायणचन्द पाराशर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसका उल्लेख प्रश्न के (क) भाग में किया गया है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : बोर्ड की जो बैठक 1 और 2 फरवरी को हुई थी उसमें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम की उपयोगिता के बारे में निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत और स्वीकृत किया गया था :

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि यह मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय की समितियों के विचाराधीन है। अत: इस मद पर अभी विचार नहीं किया जाता है।

श्री नारायणचन्द पाराशर : इसी सम्बन्ध में मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्नातकोत्तर स्तर के पत्राचार पाठ्यक्रम और विशेषतया शिक्षा के माध्यम के बारे में समानता लाने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : स्नातकोत्तर स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए निदेश-पद बनाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक स्थायी समिति का गठन किया गया था। 5 अक्तूबर को उसकी बैठक हुई थी। इसमें कुछ सिफारिशें की गई थीं परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अभी इस सम्बन्ध में की गई सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री नारायणचन्द पाराशर : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दाखले शीघ्र ही होने वाले हैं और यह एक महत्वपूर्ण मामला है अत: मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में किस निश्चित तिथि तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : इस सम्बन्ध में अभी तक मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अतः मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुभव काफी अच्छा रहा है, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में उसका अपना रवैया क्या है ताकि इन पाठ्यक्रमों का आरम्भ करने का कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जा सके ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : पत्राचार पाठ्यक्रम के बारे में सरकार की नीति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह के अनुसार बनाई जायेगी। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि कुछ वर्ष पूर्व विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन किया गया था। इस प्रश्न पर मंत्रालय के एक कार्यकारी दल द्वारा भी विचार किया जा रहा है और ज्योंही इसका प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा और इसके कार्यपत्र (वर्किंग पेपर) को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्तरविश्वविद्यालयों को भेज दिया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सुनिश्चित सिफारिशें प्राप्त करने से पूर्व ही मंत्रालय द्वारा इस योजना की छानबीन आरम्भ कर देना उचित नहीं होगा।

Post-Matric Scholarships to Backward Classes

***436. Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Education** and **Social Welfare** be pleased to state:

(a) the total amount allocated in Fourth Five Year Plan for awarding Post-Matric Scholarships to the Backward classes ;

(b) the allocation of the said amount, State-wise ; and

(c) whether the amount paid by the Centre for the said purpose has not been fully utilised by the Government of Madhya Pradesh during the last two years ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) इस योजना के लिए चतुर्थ योजना का नियतन निम्न प्रकार है :—

अनुसूचित आदिम जातियाँ	191.40 लाख रुपये
अनुसूचित जातियाँ	870.60 लाख रुपये

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ग) 1970-71 और 1971-72 के दौरान नियत की गई राशि का मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा उपयोग किया है।

विवरण

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की योजना के लिए चतुर्थ योजना परिव्ययों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अनुसूचित आदिम जातियाँ	अनुसूचित जातियां
	(रुपये लाखों में)	
1. आन्ध्र प्रदेश	4.00	54.00
2. असम	49.30	16.70
3. बिहार	52.00	51.00
4. गुजरात	18.90	53.10
5. हरियाणा	—	8.00
6. जम्मू तथा काश्मीर	—	3.00

7. केरल	2.80	18.20
8 मध्य प्रदेश	14.90	29.10
9. महाराष्ट्र	7.50	157.50
10. मैसूर	1.00	47.00
11. उड़ीसा	6.00	7.00
12. पंजाब	—	23.00
13. राजस्थान	7.50	13.50
14. तामिलनाडु	0.80	66.20
15. उत्तर प्रदेश	6.70	203.30
16. पश्चिम बंगाल	5.80	104.20
17. नागालैंड	3.00	—
18. मणिपुर	10.80	0.60
19. त्रिपुरा	1.30	1.30
20. हिमाचल प्रदेश	2.06	3,80
21. अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0.02	—
22. चण्डीगढ़	—	0.30
23. दादरा तथा नगर हवेली	0.02	—
24. दिल्ली	—	9.50
25. गोवा, दमन और दीव	—	0.10
26. पांडेचेरी	—	0.20
जोड़ :	194.40	870.60

टिप्पणी : दर्शाए गए परिव्यय अस्थायी हैं। चतुर्थ योजना-पूर्व (1968-69) के स्तर से ऊपर छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने पर राज्य सरकारों द्वारा जो खर्च किया जाएगा उसे भारत सरकार उठाएगी। चतुर्थ योजना पूर्व के स्तर तक का खर्च राज्य सरकारों द्वारा उठाया जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दे सकें।

Dr. Laxminarain Pandey : About one third of the Madhya Pradesh population consists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. May I know if hon. Minister does not feel that the Scholarship amount being given to Madhya Pradesh is less and whether Madhya Pradesh Govt. has asked for more amount and whether this amount is being increased ?

प्रो० नुरुल हसन : मुझे इस बात की जानकारी है कि मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए जो धन-राशि दी जाती है, वह पर्याप्त नहीं है। परन्तु यह तो वित्तीय समस्या है, और जब तक मैं और अधिक धनराशि प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक इस मामले में कोई निर्णय करना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

Dr. Laxminarain Pandey : Mr. Speaker, Sir, I wanted to know whether any such demand was made by Madhya Pradesh Government and whether it is under consideration ; and if so, why decision on it, is being delayed ? Secondly I want to know whether the central Government is having any such agency who should enquire whether these funds are being properly utilized by the State Governments or whether these will be utilised them properly in future ?

प्रो० नुरुल हसन : क्योंकि यह योजना तो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही है, अतः मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दूं ? राज्य सरकारों के कार्यकरण की जांच करने के लिए हमने जो सुपर एजेंसी स्थापित की है, माननीय सदस्य उसे ध्यान में नहीं रख रहे हैं। परन्तु फिर भी यदि किसी विशिष्ट शिकायत की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाता है तो मुझे वह मामला राज्य सरकार के साथ उठाने में प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाता है या केन्द्रीय स्तर पर ?

प्रो० नुरुल हसन : मूल्यांकन तो राज्य स्तर पर किया जाता है।

Dr. Laxminarain Pandey : Several times the amount allotted to the state Governments has not been utilised properly. I want to know if Government is having any such agency or Committee which may enquire into the proper utilisation of the amount ?

प्रो० नुरुल हसन : नहीं श्रीमान।

Shri M. C. Daga : I would like to know that the Members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, whose financial position is sound and who are income tax payers also, whether these scholarships are given to them also

Mr. Speaker : It is a general question.

प्रो० नुरुल हसन : इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह है कि जिन विद्यार्थियों के माता-पिता या अभिभावकों की मासिक आय 500 रुपये से अधिक होती है, उन्हें यह छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती हैं।

Shri B. P. Maurya : Just now while replying to a question regarding utilization of the amount of scholarships allotted for Scheduled Castes, the hon. Minister stated that amount is allotted in lump sum.

He said so when the question of Bihar was under discussion. He is giving different figures when the question of this state has arisen. Will the Hon. Minister state whether category-wise grants are given to some states and grants in lump sum to some others ?

प्रो० नुरुल हसन : शायद मैं अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मैट्रिकपूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में अन्तर होता है। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती हैं और वे केन्द्र द्वारा प्रायोजित होती हैं। जब कि मैट्रिकपूर्व वाली छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आती हैं।

श्री एल० राधाकृष्णन् : केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को किन आधारों पर राशि का नियतन किया गया था ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के वे सभी विद्यार्थी छात्र-वृत्तियों के हकदार हैं, जिनके मां-बाप अथवा संरक्षकों की मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं होती । यदि उनकी संख्या अधिक होती है तो छात्रवृत्तियां भी बढ़ेंगी ।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा रबी की फसल के वसूली मूल्य में कमी करने की सिफारिश

*437. **श्री झारखंडे राय** :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने रबी की फसल के वसूली मूल्य में कमी करने और सार्वजनिक वितरण केन्द्रों के माध्यम से वितरित किये जाने वाले गेहूं के मूल्य में थोड़ी वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हाँ। आयोग ने गेहूँ के अधिप्राप्ति-मूल्य में कमी करने की सिफारिश की है। आयोग ने सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं के निर्गम-मूल्य में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की है । तथापि, आयोग ने यह सिफारिश की है कि रोलर फ्लोर मिल को दिए जाने वाले गेहूं के मूल्य में 2 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की जाए ।

(ख) यह मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

Shri Jharkhande Rai : Will the Minister of Agriculture state whether recommendation on the subject was received from the state Governments and whether any recommendation in this behalf was made in the Conference of Chief Ministers and Food and Agriculture Ministers of states; if so, the nature thereof ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य सरकारों से पृथक् सुझाव प्राप्त होने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में इस मामले पर विचार हुआ था । जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्रियों ने आमतौर पर यह सिफारिश की थी कि जहाँ तक जन-वितरण प्रणाली का सम्बन्ध है, निर्गम मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए ।

Shri Jharkhande Rai : I would like to know whether the necessity of coordination between the prices of agricultural production and industrial production will be kept in view while fixing the final prices and whether the cost of agricultural production will be taken into consideration.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इन सब प्रश्नों पर विचार किया गया है और अन्तिम निर्णय लेने से पहले भारत सरकार इन पर विचार करेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : Shri F. A. Ahmed issued a statement at the time of Chief Minister's conference. The statement said that last year's prices would continue. Is it a fact ? Will the Price Commission set up by the Government also include the representatives of small farmers who can tell their right accounts of expenditure and earnings and Government may get some help in the matter of fixing the prices.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मंत्री महोदय श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने मुख्य मंत्रियों की सिफारिशों का जिक्र किया था। उन्होंने अपने अथवा भारत सरकार के विचार प्रकट नहीं किये थे। वास्तव में मुख्य मंत्रियों की इस सम्बन्ध में विशेष सिफारिश यह थी :

"किसानों को पर्याप्त प्रोत्साहन की आवश्यकता और उत्पादन की लागत में वृद्धि की बात को ध्यान में रखते हुए गेहूँ के खरीद मूल्य में वर्तमान स्तर को कम करने में कोई औचित्य नहीं है। यदि कमी करनी है तो किसान को पहले ही सूचित किया जाना चाहिए और खरीद मूल्य बीजाई के समय निश्चित किये जाने चाहियें।"

Shri Bibhuti Mishra : Will the Hon. Minister include the representatives of small farmers in the Prices Commission so that they can tell the facts to the Government ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहाँ तक मूल्यों का सम्बन्ध है, हम वस्तु-वार मूल्य निश्चित करते हैं। कुछ श्रेणी की खेतियों के मामले मूल्य श्रेणीवार निश्चित नहीं किये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न यह नहीं था।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : तो मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के उस भाग को नहीं समझ सका।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : छोटे किसानों को सम्मिलित करने सम्बन्धी सिफारिश का जहाँ तक सम्बन्ध है, हम उस सुझाव पर उचित समय पर विचार करेंगे।

श्री रणबहादुर सिंह : खेती की उपज की लागत का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किया गया यह आयोग क्या स्थायी होगा अथवा अस्थायी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य का यह विचार है कि कृषि मूल्य उद्योग एक ऐसी संस्था है जिसे विशेष रूप से मूल्यों पर विचार करके उत्पादन की लागत तय करनी है। माननीय सदस्य के मन में कृषि मंत्रालय की यह योजना है जो उत्पादन लागत मालूम करने के लिये बनाई गई है। प्रमुख खाद्यान्नों की उत्पादन लागत मालूम करने के लिये हमने विभिन्न राज्यों में एकक स्थापित कर रखे हैं। यह स्वाभाविक है कि अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिये कृषि मूल्य आयोग को वह सूचना उपलब्ध होगी।

श्री मुरासोलीमारन : गेहूं के लिये निश्चित 72 रुपये खरीद मूल्य में से मेरे विचार में 25 रुपये प्रति क्विंटल उतराई-चढ़ाई खर्च आता है। क्या यह व्यय बहुत अधिक नहीं है और क्या सरकार ने इसे कम करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : 76 रुपये मूल्य अधिक है अथवा कम इसके बारे में विभिन्न

मत व्यक्त किये गये हैं। जहां तक उतराई-चढ़ाई सम्बन्धी अन्य खर्च का सम्बन्ध है, मुख्य मंत्रियों ने इस समस्या पर विचार किया और सिफारिश की थी कि गेहूँ वितरण के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली राज सहायता में इस प्रकार कमी की जाये कि उससे वितरण तथा अन्य व्यय में कमी हो सके। उन्होंने यह भी समझा कि इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिये तथा इस बात की जांच की जानी चाहिये कि अन्य व्यय किस प्रकार कम हो सकते हैं।

श्री मुरासोलीमारन : क्या उतराई-चढ़ाई सम्बन्धी अन्य खर्च 25 रुपये तक होते हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह 25 रुपये प्रति क्विंटल तक आ जाता है। लेकिन इसे वर्तमान स्टाक के कारण समझना गलती होगी, क्योंकि 7 से 8 रुपये तक का व्यय फालतू स्टाक को ले जाने पर आता है। यदि हम इसे घटायें तो यह 17 रुपये से 18 रुपये तक बनता है और उसमें से भी बोरियों, बाजार व्यय तथा विक्रय कर घटायें तो यह 11 रुपये तक बनता है।

Shri Narsingh Narain Pandey : Has the Chief Minister's Conference suggested that a definite scheme may be formulated by fixing the prices three years in advance so that it does not affect the production in the country.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सुझाव तीन साल का नहीं था बल्कि यह था कि मूल्यों की घोषणा बीजाई के मौसम से पहले की जाये ताकि किसानों को पता चल सके कि उन्हें क्या मूल्य मिलेंगे। दूसरा सुझाव यह था कि गेहूं, अन्न फसलों और वाणिज्यिक फसलों के बारे में एकीकृत नीति होनी चाहिये।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : इस सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सिफारिशें ये हैं। सरकार को इन सब बातों पर विचार करना है।

श्री के० लकप्पा : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार करते हुए दक्षिणी राज्यों में पैदा होने वाले खाद्यान्नों के मूल्य निश्चित करते हुए उनके प्रति उपेक्षा बरती है। उनके साथ भेदभाव किया गया है। यह मामला सम्मेलन के सम्मुख लाया गया था। क्या भारत सरकार मूल्य निश्चित करते समय उत्पादन लागत, अन्य व्यय तथा विभिन्न राज्यों की स्थिति को ध्यान में रखेगी और क्या यह आयोग दक्षिणी राज्यों के मूल्य निश्चित करने सम्बन्धी निर्णयों पर भी ध्यान देगा ? इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और मुख्य मंत्री सम्मेलन की प्रतिक्रिया क्या थी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से इस मामले में क्षेत्रीय विवाद शुरू नहीं किया जाना चाहिये।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न मुख्य मंत्री के सम्मेलन में उठाया गया था और सम्मेलन के पश्चात् भी इस आशय के वक्तव्य दिये गये थे।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग को समय-समय पर बाजरा, ज्वार आदि फसलों, जो दक्षिणी राज्यों में भी बीजी जाती हैं, के समर्थन-मूल्य के प्रश्न पर विचार करने के लिये

कहा जाता है। वे प्रतिवर्ष मूल्यों की घोषणा करते है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के कहने पर ही आयोग विशेष अन्न उपज पर विचार तथा सिफारिश करता है।

श्री के० लकप्पा : दक्षिणी राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि मूल्य निर्धारण के मामले में कृषि मूल्य आयोग ने उनके साथ भेदभाव किया है। सरकार को इस प्रकार का भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण त्याग देना चाहिये। यह आरोप दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधियों तथा मुख्य मंत्रियों ने लगाया था। इन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया।

Shri Sarjoo Pandey : Generally Government Officers commit many malpractices in the procurement of wheat. The farmers have to wait for full day in the market, but their foodgrain is not procured. So he has to sell the wheat to private traders in the evening and proceed to his place as the Government Officers do not procure it. What steps are being taken by the Government to ensure the proper procurement of wheat by the Government Officers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक पंजाब और हरियाणा का सम्बन्ध है, मार्केटिंग प्रणाली काफी सुव्यवस्थित है। लेकिन अधिकांश शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली हैं। पिछले वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से इस बार हमने उत्तर प्रदेश में 2400 केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है और अधिकांश केन्द्र किसान से सीधे ही खरीद करेंगे।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Every time Government delays whenever there is an question relating to farmers. The Agricultural Prices Commission has recommended the reduction of wheat prices despite the increase in the rates of agricultural inputs. Foodgrains crop is ready. Bank employees have started to knock the doors of the farmers for the recovery of loan given to them for the purchase of fertilizers. Wheat prices have not so far been fixed. By what time will he be able to fix the prices of foodgrains so that procurement can be started soon and the farmer is not subjected to the exploitation by the private traders.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : किसानों के हितों का नुकसान नहीं होगा क्योंकि जब तक नये दरों की घोषणा नहीं हो जाती, भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेन्सियों को ये निदेश दिये गये हैं कि वे पहले दरों पर खरीद करें।

आदिवासियों के कल्याण के लिये आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार की योजनाएं

*439. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आदिवासियों के कल्याण के लिए इस समय चल रही किन-किन योजनाओं में केन्द्रीय सरकार सहायता दे रही है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1971-72 में इन योजनाओं पर कितनी धन राशि खर्च की और वर्ष 1972-73 में कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ग) क्या इस राज्य के लिये इस प्रकार की कोई नई योजना अब सरकार के विचाराधीन है; और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के लिए अनुदान/कर्ज़ दिया जाता है :—

मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियां।
लड़कियों के छात्रावास।
परीक्षा से पहले का प्रशिक्षण।
आदिवासी विकास खण्ड।
सहकारिता।
अनुसन्धान और प्रशिक्षण।

राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार विभिन्न शैक्षणिक, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य तथा आवास योजनाएं क्रियान्वित करती है, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अनुदान/कर्ज़ दिया जाता है।

केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के लिए विमोचित धनराशियां इस प्रकार हैं :—

योजना का नाम	1971-72 (नियतन)	1972-73 (प्रस्तावित)
	(रुपये लाखों में)	
मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियां	0·55	0 98
लड़कियों के छात्रावास	1·40	1·50
परीक्षा-पूर्व का प्रशिक्षण	1·00	1·25
आदिवासी विकास खण्ड	30·00	30·00
सहकारिता	4·50	4.50
अनुसन्धान और प्रशिक्षण	6·45	5·65
	43·90	43·88

राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना आयोग ने 1971-72 के लिए 132·00 लाख रुपये का नियतन मंजूर किया है। कार्यकारी दल ने 1972-73 के लिए 97·00 लाख रुपये के नियतन की सिफ़ारिश की है। इस सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफ़ारिशों की प्रतीक्षा है।

जी, हां। राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सरकार नियतन की एक नई योजना का विचार रखती है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बच्चों को उनके स्कूल और कालिज के कोर्सों को पूरा करने, उनकी पढ़ाई में व्यर्थ और घुटन को हटाने में सहायता करने तथा आदिवासी युवकों के

लिए उपयुक्त रोजगार में सहायता देने, शिक्षित बेरोजगार युवकों को राहत प्रदान करने तथा आदिवासी लोगों को परामर्श सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करने में सहायता देना है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : इस वर्ष राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्रों के अधीन पिछले वर्ष की अपेक्षा राशि का कम नियतन हुआ है। उदाहरणतः केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन पिछले वर्ष 43·90 लाख रुपये का नियतन हुआ और इस वर्ष यह राशि 43·88 लाख रुपये की है। इसी प्रकार राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन पिछले वर्ष 312 लाख रुपये का नियतन हुआ था जबकि इस वर्ष केवल 97 लाख रुपये का हुआ है।

गरीबी हटाओ का नारा देश भर में चल रहा है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि अनुसूचित जनजाति के लिये पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम राशि क्यों नियत की गई है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक बड़ी बड़ी योजनाओं का सम्बन्ध है, मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां बढ़ा दी गयी हैं, लड़कियों के छात्रावास के मामले में भी वृद्धि हुई है। परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण के मामले में भी वृद्धि हुई है तथा टी० डी० ब्लाक और सहकारिता की स्थिति यथापूर्व है। अनुसंधान और प्रशिक्षण ही एक ऐसा मद है जिसमें कमी हुई है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : राज्य क्षेत्र की क्या स्थिति है ?

श्री एस० नुरुल हसन : जैसे कि मैं किसी दूसरे संदर्भ में सदन में विस्तारपूर्वक पहले ही बता चुका हूं, जहां तक राज्य क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के बीच का मामला है।

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : अनुसूचित जनजातियों को दुखी करने वाली एक महत्त्वपूर्ण बात को भुलाया जा रहा है। उनकी जमीन को मैदान के लोग गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये था। मैदान के लोगों के इस अमानवीय शोषण के फलस्वरूप श्रीकाकुलम जिले में नकसलवादी आन्दोलन चल पड़ा है। दो वर्ष पहले राज्य सरकार ने भी जमीन को वापस दिलाने का प्रयत्न किया था। क्या केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार करेगी और देखेगी कि मैदान के लोगों द्वारा ली गयी जमीन अनुसूचित जनजाति के लोगों को वापस दिलायी जाये।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं इस मामले को देखूंगा। चूंकि यह केन्द्रीय सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए मैं सदन को आश्वासन दिलाता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 440—श्री नवलकिशोर शर्मा···अनुपस्थित : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

साक्षरता बढ़ाने का नया तरीका

*422. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च को फ्रेड्रिक नोमान-शिफटुंग पश्चिम जर्मनी के विशेष प्रतिनिधि श्री पोट दिजवसवा द्वारा, जो वयस्क शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी नौ दिन की विचार

गोष्ठी में भाग ले रहे थे, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के संवाददाता के समक्ष व्यक्त किये गये इस विचार की ओर दिलाया गया है कि 'तीन मास के अन्दर साक्षरता' का तरीका कुछ सशोधनों के साथ भारत में लागू किया जा सकता है;

(ख) क्या श्री दिजवसत्रा द्वारा उक्त गोष्ठी में निर्दिष्ट, एक लेटिन-अमरीकी देश में सफलता के साथ अपनाये गये साक्षरता बढ़ाने के नये तरीके का ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है या मांगा गया है; और

(ग) वयस्कों की शिक्षा की समस्या हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) कुछ सूचना उपलब्ध है किन्तु पूरे ब्यौरे श्री पोट दिजवसत्रा से प्राप्त किए जा रहे हैं। तथापि, इसकी सेमिनार में चर्चा नहीं की गई थी।

(ग) शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का पहले ही इस मामले पर ध्यान है। केंद्रीय सरकार योजना बजट विनिधान के अन्तर्गत राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को कुछ चुने हुए कार्यक्रमों के लिए सहायता कर रही है। राज्य सरकारें जो मुख्य रूप से इससे सम्बन्धित हैं, उनसे अनुरोध किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पर्याप्त प्राथमिकता दें। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से भी अनुरोध किया गया है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए अधिक राशि आवंटित करें।

बीज वृद्धि फार्म और पौधा संरक्षण इकाइयां

*426. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीज वृद्धि फार्मों और पौधा संरक्षण इकाइयों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से अनेक के पास हल चलाने के लिए बैल नहीं हैं और सिंचाई की सुविधाएं भी नहीं हैं और इस कारण इनसे किसानों को कोई विशेष सहायता नहीं मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1768/72]

बिहार में मिश्रित बीज फार्म का विकास

*427. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य, जिसको बड़ी मात्रा में बीजों का अन्य राज्यों से आयात करना पड़ता है, पांच करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले 10,000 एकड़ के एक मिश्रित बीज फार्म, जिसका पूरा खर्चा केन्द्र द्वारा वहन किया जाना था, का विकास करने के अवसर का लाभ नहीं उठा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). यह सही है कि बिहार को अन्य राज्यों से काफी बीजों का आयात करना पड़ा। राज्य सरकार बीज फार्मों की स्थापना के बारे में विचार कर रही है परन्तु वह 10,000 एकड़ के फार्म की स्थापना के पक्ष में नहीं है क्योंकि एक संहत खण्ड में इतने बड़े क्षेत्र का अभिग्रहण करने से, बहुत से परिवारों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकारें 2,000 से 9,000 एकड़ भूमि तक के मध्यम आकार के फार्मों की स्थापना के लिए स्थान का चयन कर रही हैं जिससे कि भूमि अभिग्रहण करने में कम से कम परिवारों पर प्रभाव पड़े।

Merger of Central Hindi Directorate into Commission for Scientific and Technical Terminology

***429. Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the Offices of the Central Hindi Directorate and Commission for Scientific and Technical Terminology have been merged into one Department with effect from August, 1971 ; and

(b) if so, the reasons for bifurcating the said two Offices in 1965 and the reasons for their merger now ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) & (b) The Committee of Members of Parliament constituted to examine the recommendations of the First Official Language Commission and to report their opinion thereon to the President submitted its report in 1959. This Committee recommended, inter-alia, the setting up of a Standing Commission for terminology work. Accordingly, a Presidential Order dated 27th April, 1960 was issued directing the setting up of a Standing Commission for Scientific and Technical Terminology. The Commission was set up with effect from 21st December, 1960. The provision for technical and other staff for doing the work of the Commission according to the requirements was made under the Central Hindi Directorate. Accordingly, the staff employed in the Central Hindi Directorate in connection with the preparation of terminology was placed at the disposal of the Commission, as found necessary, to enable the Commission to discharge its functions satisfactorily. The Director of the Central Hindi Directorate functioned as Member-Secretary of the Standing Commission.

The work done by the Commission in pursuance of the Presidential Order was reviewed in 1965 by the Ministry of Education and it was found that the work of the Commission had not made the desired progress. With a view, therefore, to accelerating the work of finalisation of terminologies, it was decided to provide staff to the Commission under its direct control. Accordingly, an independent office for the work of the Commission was created with effect from 1st October, 1965.

In 1970 a fresh appraisal was made of the progress made by the Commission in its work. It was found that with the finalisation of about three and a half lakh terms and preparation of 30 glossaries, the Commission had accomplished the bulk of its task of finalisation of terminologies in the various subjects except Engineering. In view of this, the Ministry felt that the administrative arrangement made for the Commission in 1965

was no longer necessary and it was decided in Aug. 1971 to revert to the arrangement existing before 1965.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्याग-पत्र

*431. **श्री पी० के० देव :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस सम्बन्ध में 21 मार्च, 1972 के 'मदर लैंड' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). जनवरी, 1972 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने स्वास्थ्य के कारणों से त्याग-पत्र प्रस्तुत किया था और अनुरोध किया था कि उन्हें 29 फरवरी, 1972 तक मुक्त कर दिया जाये। बाद में वे अपने पद पर बने रहने के लिये सहमत हो गये।

(ग) और (घ). जी हां। अध्यक्ष ने मदरलैंड के सम्पादक को लिखे दिनांक 21 मार्च, 1972 के अपने पत्र में रिपोर्ट को गलत बताया है।

जम्मू तथा कश्मीर में कृषि विकास योजनाएं

*433 **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा कश्मीर राज्य में क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कृषि विकास योजनाओं की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या गेहूँ और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जम्मू तथा कश्मीर में कृषि विकास के लिये तीन केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें, अर्थात् (i) कृषक प्रशिक्षण तथा शिक्षा (ii) बारानी खेती के विकास के लिये मार्गदर्शी परियोजनायें (iii) बहु-फसली खेती के लिये मार्ग-दर्शी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। दो और केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें, अर्थात्, (i) मूंगफली का अधिकतम उत्पादन तथा (ii) निर्यात के लिये अखरोट के उत्पादन का विकास, हाल ही में स्वीकृत की गई हैं।

(ख) इस प्रकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है जहां गेहूँ और चावल के बीजों का उत्पादन किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

राजा राम मोहन राय की 200वीं वर्षगांठ का मनाया जाना

*438. **श्री एम० कलामुतु** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजा राम मोहन राय की 200वीं वर्षगांठ से सम्बन्धित समारोहों का आयोजन करने के लिये कलकत्ता में एक समिति गठित की है;

(ख) क्या शिक्षा मंत्रालय को यह बताया गया है कि राजा राम मोहन राय के जन्म के वर्ष के सम्बन्ध में बुद्धिजीवियों में विवाद चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो 200वीं वर्षगांठ किस वर्ष में मनाई जाये इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) राजा राम मोहन राय की द्विशती समारोहों के आयोजन हेतु सरकार ने एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की है। राष्ट्रपति इसके संरक्षक और प्रधान मंत्री इसकी अध्यक्षा हैं। आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रम पर विचार करने के लिए दिल्ली में 28 मार्च को समिति की बैठक हुई थी।

(ख) और (ग). जी हां। राजा राम मोहन राय की जन्म तिथि के प्रश्न की जांच करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रो० निहाररंजन रे की अध्यक्षता में समिति स्थापित की। सभी उपलब्ध सबूत का अच्छी तरह विश्लेषण करने के बाद, समिति ने अपना निर्णय 22 मई, 1972 को राजा राम मोहन राय की जन्म तिथि मानने के पक्ष में दिया। तदनुसार 22 मई, 1972 से द्विशती समारोहों की आयोजना की जा रही है।

अस्पतालों में रोगियों और डाक्टरों के सम्बन्धों में सुधार

*440. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अस्पतालों में रोगियों और डाक्टरों के आपसी सम्बन्धों में सुधार करने की दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित): (क) डाक्टरों और उनके रोगियों के बीच पूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध आवश्यक हैं इस बात को

केन्द्रीय तथा राज्य दोनों सरकारें समझती हैं। स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक, राज्यों के स्वास्थ्य सेवा निदेशक तथा देश के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक रोगियों और डाक्टरों के आपसी सम्बन्ध सुधारने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील हैं, इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर सम्बन्धित अधिकारी तुरन्त ध्यान देते हैं तथा रोगियों और डाक्टरों के सम्बन्धों में सुधार करने के लिये समुचित कदम उठाते हैं, जहां आवश्यक होता है दोषी कर्मचारियों की खिचाई की जाती है।

यहां तक कि प्रशिक्षण के दौरान भी चिकित्सा छात्रों को समाज के प्रति उनके कर्त्तव्यों और दायित्वों का ध्यान दिलाया जाता है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशी विशेषज्ञ द्वारा परियोजना नक्शे का पूरा न करना

2909. **श्री शशि भूषण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक विदेशी विशेषज्ञ छः वर्ष तक भारत में ठहरा रहा था लेकिन उसने एक भी परियोजना पूरी नहीं की और बिना कार्यभार सौंपे ही इस देश से चला गया;

(ख) उसको कितने परियोजना नक्शे तैयार करने को दिये गये थे;

(ग) क्या भारत में उसे पहले तीन वर्ष के लिये ही नियत किया गया था लेकिन बिना किसी औचित्य के उसकी अवधि तीन बार बढ़ाई गई; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ). कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक ब्रिटिश विशेषज्ञ अक्तूबर, 1964 के मध्य से अप्रैल, 1971 के प्रथम सप्ताह तक भारत में रहा। भारत सरकार द्वारा उनकी सेवाओं का उपयोग आधुनिक बूचड़खानों की स्थापना तथा सम्बन्धित सुविधाओं के सम्बन्ध में सलाह देने के लिए किया गया था। विशेषज्ञ ने दुर्गापुर पशुधन परिसंस्करण संयन्त्र की विशिष्टियों का ब्यौरा तैयार करने तथा विभिन्न प्रकार और विभिन्न श्रेणियों के बूचड़खानों के मानक डिजाइनों के सम्बन्ध में सलाह देने के अतिरिक्त चार प्रमुख बूचड़खानों की परियोजनाओं के प्राथमिक नक्शे, रेखाचित्र तथा लेआउट डिजाइन तैयार किये। उसे 9 बूचड़खाने परियोजनाओं के नक्शे बनाने का काम सौंपा गया था जिसमें से 5 तैयार किये हैं। प्रथमतः उसका नियोजन इस देश में 3 वर्ष के लिये था उसके बाद में यह अवधि वर्ष प्रतिवर्ष के आधार पर वित्त मंत्रालय की अनुमति के साथ फरवरी, 1971 तक बढ़ाई गई। यह सेवाकाल परिवर्धन पूर्ण न्यायोचितता के आधार पर दिया गया क्योंकि बावजूद इसके कि भारत सरकार आधुनिक बूचड़खाने स्थापित करने की इच्छुक थी, और एक भी स्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि इसके विरुद्ध समाज के महत्त्वपूर्ण भाग ने आपत्ति उठाई।

इस विशेषज्ञ के यहां रहने के काल में बूचड़खानों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम की ओर राष्ट्रीय विकास परिषद ने अधिक ध्यान दिया, जिन्होंने निर्णय किया कि यह योजना भारत

सरकार एक वाणिज्यिक कार्य के रूप में आरम्भ करे और इसकी वित्त व्यवस्था भारत सरकार, राज्य सरकारें/स्थानीय निकाय और बैंक करेंगे। अत: भारत सरकार ने चुनिन्दा केन्द्रों पर बूचड़खाने बनाने के लिये अप्रैल, 1970 में एक विशेष योजना बनाई। योजना के अन्तर्गत बंगलौर, गोवा, हैदराबाद और दुर्गापुर के लिये विशिष्ट परियोजनायें तैयार की गई। क्योंकि बूचड़खाना विशेषज्ञ प्रचुर संख्या में भारत में उपलब्ध नहीं थे और क्योंकि इनकी परियोजना रिपोर्टें और तकनीकी अध्ययन तैयार करते थे, विशेषज्ञ की कार्यावधि बढ़ाई गई, उनकी सलाह टैन्डर दस्तावेजों का परीक्षण और स्वीकृति और नये बूचड़खानों के लिये उपकरणों की विशिष्टताओं के निर्धारण में भी अपेक्षित थी।

यह बताया जाता है कि उसका कार्य केवल परियोजना नक्शे तैयार करने का ही नहीं था। वास्तव में उसने राज्य सरकारों, नगर निगमों को अपनी परियोजनायें तैयार करने में और चौथी पंचवर्षीय योजना में बंगलौर में ऐसी प्रथम परियोजना को शुरू करने के लिये भूमिका तैयार की जिसपर शीघ्र ही कार्य शुरू हो सकता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भर्ती

2910. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में भर्ती के बारे में 4 मार्च, 1972 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 'बैक डोर रिक्रूटमेंट' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भर्ती सम्बन्धी नीतियों के कारण वैज्ञानिकों में भारी असन्तोष और निराशा पैदा हो गई है; और

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। परिषद् के नियमों के उपबन्धों के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अधीन विभिन्न वैज्ञानिक पदों पर नियुक्ति प्रवरण समितियों की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। इन समितियों में वे प्रख्यात वैज्ञानिक शामिल होते हैं, जो कि न केवल मुख्य विषय के विशेषज्ञ होते हैं, अपितु पद से सम्बद्ध क्षेत्रों की बारीकियों के भी विशेषज्ञ होते हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग से एक प्रवरण समिति का गठन किया जाता है और इसमें सामान्यतया बाहर के विशेषज्ञ अधिक होते हैं। चयन की इन विस्तृत विधियों को वैज्ञानिक समुदाय की सामान्य स्वीकृति प्राप्त है और इस मंत्रालय को वैज्ञानिकों में व्याप्त किसी असन्तोष की जानकारी नहीं है।

(ग) भाग (ख) में दी गई स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौवहन सेवाएं आरम्भ करने की योजना

2911. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में नौवहन सेवाएं आरम्भ करने सम्बन्धी योजना की मुख्य बातें क्या हैं और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस समय परिवहन के लिये कितने जहाजों का प्रयोग किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में भविष्य के लिये क्या योजनाएँ हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख). गंगा में नियमित नौवहन सेवा चालू करने के लिए अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है। परन्तु 10 नवम्बर, 1971 से पटना और गाजीपुर के बीच गंगा में प्रयोगात्मक एवं संवर्द्धनात्मक आधार पर एक साप्ताहिक स्थोरा सेवा शुरू की गई है ताकि सेवा की आर्थिक व्यवहार्यता का निर्धारण किया जा सके। यह सेवा दो धकेल कर्षनावों और आठ बजरों की सहायता से चलाई जा रही है।

जहां तक कलकत्ता और आसाम के बीच ब्रह्मपुत्र नदी सेवा का संबंध है, बंगला देश सरकार के साथ करार करके ज्योंही आवश्यक प्रबन्ध कर लिए जायेंगे त्यों ही इसके चालू किये जाने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड के पास 16 स्वचालित वाहकों, 11 नौकर्षक स्टीमरों और 43 पटेलों तथा बजरों का एक प्रभावशाली बेड़ा है और जिनके कलकत्ता आसाम नदी मार्ग पर प्रयुक्त किये जाने का प्रस्ताव है। नदी सेवा समिति के निर्धारण के अनुसार यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगले चार वर्षों में 15 नई कर्षनावों और 60 बजरों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

बिहार में बीज संवर्द्धन फार्म द्वारा बीजों की अपर्याप्त सप्लाई

2912. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बीज संवर्द्धन फार्मों द्वारा, अपेक्षित बीज की 60 प्रतिशत आवश्यकता भी पूरी नहीं की जाती; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में बीज संवर्द्धन फार्मों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। राज्य के लिये पैडी और गेहूँ के बीजों की कुल अनुमानित मांग क्रमश: 2·60 और 125 लाख मीटरी टन है। बिहार में बीज संवर्द्धन फार्मों में कुल बीज उत्पादन 6000 मीटरी टन के लगभग है।

(ख) बीज संवर्द्धन फार्मों का मुख्य उद्देश्य/राज्य के प्रगतिशील किसानों को उच्च उपज की किस्मों के बीज देकर, सवर्द्धन को और बढ़ाना है। बिहार सरकार ने 1-4 1969 से प्रत्येक फार्म की कार्यशील पूंजी सहित खेती की लागत को पूरा करने के लिये, अर्ध वाणिज्यिक आधार पर बीज संवर्द्धन फार्मों की स्थापना की है। 50 एकड़ और उससे ऊपर के क्षेत्रों के फार्मों में धीरे धीरे ट्रैक्टर पुराने बैलों का स्थान लेते जा रहे हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण इंजीनियरिंग सगठनों और लघु सिंचाई कम्पलैक्स को, सिंचाई और बाढ़ लगाने के साथ-साथ भवन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिये तेज किया गया है। राज्य सरकार कृषि कार्यकर्ताओं को

विशेष प्रोत्साहन दे रही है और बीज उत्पादन में अड़चनों को पूरा करने के लिये विशेष प्रयास कर रही है।

बारह महीने जहाजरानी नदियों के बारे में सर्वेक्षण

2913. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि :**

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसी नदियों की संख्या का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण कराया था जिनमें बारह महीने जहाजरानी हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी नदियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सर्वेक्षण कब तक किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) सरकार ने कुछ नदियों की नौगम्यता का मूल्यांकन करने के लिये कुछ भागों का प्रारम्भिक जल सर्वेक्षण किया है।

(ख) देश की सत्तरह नदियां विभिन्न भागों में बारहमासी रूप से नौगम्य हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में गैरसरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा ढोया गया माल

2914. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों द्वारा कुल कितना माल ढोया गया और यह टन भार इन वर्षों में सभी भारतीय जहाजों द्वारा ढोये गये कुल टन भार का कितने प्रतिशत है; और

(ख) प्रत्येक गैर-सरकारी नौवहन कम्पनी ने माल भाड़े के रूप में कुल कितनी राशि अर्जित की ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 1970 71 वर्ष के दौरान प्राइवेट नौवहन कम्पनियों के द्वारा अर्जित भाड़े की कुल रकम लगभग 99·96 करोड़ थी। इसमें चार्टर किराया और यात्री भाड़ा शामिल नहीं है। 1970-71 के दौरान तटवर्ती और समुद्र पार व्यापार में सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों द्वारा कुल 118 लाख टन माल (स्थोरा) उठाया गया, जिसमें से प्राइवेट नौवहन कम्पनियों ने 92.50 लाख टन अर्थात् लगभग 78 प्रतिशत माल उठाया।

1971-72 वर्ष की इस प्रकार की सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रत्येक प्राइवेट नौवहन कम्पनी द्वारा अर्जित भाड़े की रकम दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1769/72]

वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी नौवहन कम्पनियों को दिया गया ऋण

2915. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 और 1971-72 में सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों को कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या ये ऋण नये जहाज खरीदने के लिए दिये गए हैं, यदि हां, तो ऐसी वित्तीय सहायता से कितने जहाज खरीदे गए हैं और उनकी माल ले जाने की क्षमता कितनी है; और

(ग) खरीदे गए इन जहाजों में कितने नये और कितने पुराने जहाज हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग). शिपिंग डिवेलपमेंट फंड कमेटी तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋणों के ब्यौरे को दिखाने वाले दो विवरण संलग्न किए गये हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 1770/72]

भारत में गैर सरकारी नौवहन कम्पनियां

2916. **श्री वयालार रवि** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गैर-सरकारी नौवहन कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कम्पनी के पास कितने जहाज हैं और उनकी माल ले जाने की क्षमता कितनी कितनी है; और

(ख) जिन रास्तों से जहाज आते-जाते हैं उनके नाम क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) 31-12-1971 को प्राइवेट शिपिंग कम्पनियों के नाम, प्रत्येक कम्पनी के पोतों की संख्या और प्रत्येक कम्पनी द्वारा भाड़ा क्षमता (कुल वजन टनभार) को दिखाने वाला विवरण अनुबन्ध 1 के रूप में संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 1771/72]

(ख) भारतीय शिपिंग कम्पनियों के जहाज भारत के तट पर ही नहीं चलते बल्कि विभिन्न अनेमी मार्गों पर भी चलते हैं। कई भारतीय शिपिंग कम्पनियां का फ्रेन्स रेट एग्रीमेंटा शिपिंग लाइन्स के सदस्य भी हैं। कान्फ्रेन्स रेट एग्रीमेंटा शिपिंग कम्पनी आदि जिसके प्राइवेट शिपिंग कम्पनियां सदस्य हैं के नामों को सूचित करने वाला विवरण अनुबन्ध 2 के रूप में संलग्न है [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1771/72]

गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रैस अलीगढ़ के भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारियों के वेतन का भुगतान रोका जाना

2917. **श्री हरि सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रैस, अलीगढ़ के कुछ भूतपूर्व चिकित्सा अधिकारियों के वेतन तथा अन्य देय राशि का भुगतान रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनको कब तक भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। तथापि, एक चिकित्सा अधिकारी के सम्बन्ध में 13-8-65 से 19-9-1971 तक की अवधि के लिए देय राशि, यदि कोई हो का प्रश्न विचाराधीन है। जिसकी इस अवधि के दौरान सेवाएँ समाप्त रहीं, तथा जिसे 30-'-71 को भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ में बहाल किया गया था। 20 9-72 1971 से आगे की अवधि के लिए वेतन स्लिप जारी कर दी गई है।

(ख) तथा (ग) 138-65 से 19-9-71 के दौरान उसकी आमदनी के सम्बन्ध में पूछी गई सूचना चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए जाने पर ही केवल अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।

दिल्ली को सुन्दर बनाने के कार्यक्रमों पर किया गया व्यय

2918. **श्री बेकारिया** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ईदगाह, जामा मस्जिद, पुराना किला, गुरुद्वारा बंगला साहिब, बिड़ला मन्दिर, हनुमान मन्दिर, कालकाजी मन्दिर और यमुना के किनारों को सुन्दर बनाने पर लगभग दो करोड़ रुपये की राशि बिना समुचित मंजूरी के खर्च की थी;

(ख) क्या उपरोक्त राशि को पूरा करने के लिए उन सहकारी गृह निर्माण समितियों पर सौन्दर्यकरण शुल्क तथा ग्राम पुनर्विकास प्रभाग लगाया गया जिन्हें दिल्ली में प्रीतमपुरा, रोहतक रोड और शाहदरा क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों के सौन्दर्यकरण या विकास के बिना ही, अविकसित भूमि आवंटित की गई थी;

(ग) क्या उपरोक्त शुल्कों के भुगतान न किये जाने के कारण समितियों के अनुमोदित नक्शे रुके हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त शुल्क दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 37 अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत उचित है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा क्रमशः लगभग 44 43 लाख रुपये तथा 3.75 लाख रुपये समुचित मंजूरी के साथ खर्च किए गए हैं।

(ख) ये शुल्क उन क्षेत्रों का बिना ध्यान किए लगे हैं, जहां सौन्दर्यकरण की परियोजनाएँ आरम्भ की जाती हैं।

(ग) जी, हाँ। सम्बन्धित समितियों द्वारा सभी बकाया राशियां अदा करने के बाद ही केवल अनुमोदित ले-आउट प्लान मुक्त किए जाते हैं।

(घ) ये शुल्क दिल्ली के राज्यपाल द्वार दिल्ली में भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और निपटान की योजना के अन्तर्गत लगाए गए हैं।

तिलक नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का औषधालय

2919. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिलक नगर, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा औषधालय में सुचारु रूप से काम नहीं चल रहा है और रोगियों को उचित इलाज के लिए वास्तव में अपेक्षित औषधियाँ नहीं मिल पातीं हैं;

(ख) क्या औषधालय के पट्टी वाले कमरे में ड्रेसर अपना काम ठीक नहीं करते हैं और रोगियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो औषधालय के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय, तिलक नगर अन्य केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालयों की भांति ही सामान्य रूप से कार्य कर रहा है ।

(ख) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता । तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय ठीक प्रकार से चल रहे हैं, इस योजना के निदेशक तथा अन्य अधिकारी इन औषधालयों का नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं ।

गेहूं का न्यूनतम वसूली मूल्य

2920 **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसान सभा ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह कृषि मूल्य आयोग को गेहूँ का न्यूनतम वसूली मूल्य निर्धारित करने के लिए कहे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) सरकार ने एक प्रेस-रिपोर्ट देखी है जिसमें भारतीय किसान संघ ने सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह कृषि मूल्य आयोग से गेहूं का न्यूनतम अधिप्राप्ति मूल्य 103 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित करने को कहे। 1972-73 विपणन मौसम के लिए अधिप्राप्ति मूल्य को निर्धारित करने का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

तमिलनाडु सरकार का युवक कोर योजना के लिए सहायता देने का अनुरोध

2921. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने अपने राज्य में चल रही युवक कोर योजना के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु युवक केन्द्रों की स्थापना हेतु सहायता की एक प्रार्थना प्राप्त हुई है जो भारतीय स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती वर्ष के दौरान नेहरू युवक केन्द्रों की स्थापना की केन्द्रीय योजना के सन्दर्भ में विचाराधीन है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में डिप्लोमाधारियों का सेवा प्रारम्भ करना

2922. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 649 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्यता-प्राप्त कालेजों में अंशकालिक डिग्री कोर्स पांच वर्ष का है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में डिग्रीधारी जो कनिष्ठ इंजीनियरों के रूप में 180/- रुपये मूल वेतन पर सेवा प्रारम्भ करते हैं पांच वर्ष पूरे होने के पश्चात् स्वतः ही उनका वेतन 230/- रुपये हो जाता है और इससे उन्हें केवल दस रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि का ही लाभ होता है; और

(ग) उच्च अध्ययन करने के लिए इन डिप्लोमाधारियों को कौन से अन्य लाभ दिये जाते हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा एक केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत देश के चुने हुए इंजीनियरिंग कालेजों में इंजीनियरी के डिप्लोमाधारियों के लिए खोले गए पार्ट टाइम डिग्री कोर्स की अवधि 4 वर्ष की है।

(ख) जी, हां। एक डिप्लोमाधारी कनिष्ठ इंजीनियर जो 180 रुपये के मूल वेतन से लगता है, सामान्यतः 5 वर्ष में 230 रुपये के स्तर तक पहुँच जाता है। तथापि यदि वह सेवा में रहते हुए डिग्री या ए० एम० आई० ई० की अर्हता प्राप्त करता है, तो ऐसी परीक्षा के परिणाम की घोषणा की तिथि से उसका वेतन 240 रुपये नियत किया जाता है, यदि उसका वेतन उस तिथि को 240 रुपये से कम हो।

(ग) उच्च-अध्ययन के लिए डिप्लोमाधारियों को कोई विशेष सुविधाएँ नहीं दी जातीं। जहां तक संभव होता है उन्हें ए० एम० आई० ई० परीक्षा पास करने के लिए पार्ट टाइम कोर्स में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ श्रेणी प्रथम के पदों के लिये सीधी भर्ती

2923. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संस्थाओं को प्रतिनिधित्व देने की दृष्टि से, जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह

बताया है कि जिन लोगों ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे, उन्हें कनिष्ठ श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के रूप में वरिष्ठ पदों पर रखा गया है और वे, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में पहले से काम कर रहे बहुत से उच्च योग्यता के इंजीनियरों के ऊपर चढ़ गये हैं, कनिष्ठ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती का कोटा घटा कर दस प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या विभाग ने संघ लोक सेवा आयोग को लिखा है कि श्रेणी की नियुक्तियां केवल उन्हीं लोगों को दी जायें, जो विभिन्न सेवा संस्थाओं की मांगों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 66·66 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथों के विकास का परिव्यय

2924. **श्रीमती सुभद्रा जोशी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर परिव्यय के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) इस वर्ष के लिये आवंटित कुल राशि के बारे में राज्यों को कब सूचित किया गया था;

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार कौन-कौन से राज्य इस वर्ष में उनको आवंटित पूरी राशि का उपयोग कर सकेंगे; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है कि जिन राज्यों में कम राशि खर्च हुई है वह राशि उन राज्यों को दे दी जाये जो अधिक तत्परता से कार्य कर पाते हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ). अप्रेल 1971 से जुलाई 1971 तक की अवधि के लिये संसद द्वारा लेखानुदान के बाद उस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों पर व्यय के लिये निधियों की सूचना 17-4-1971 को राज्य सरकारों को दी गई। तत्पश्चात्, संसद् द्वारा पूरा बजट पास किये जाने के बाद, 1971-72 के वर्ष के लिये राज्यों के लिये उपलब्ध कुल रकमें 26-8-1971 को राज्य सरकारों को सूचित की गई और जिसमें स्वीकृति कार्यों के लिये आवंटनार्थ निर्धारित निधियां और अभिस्वीकृत किये जाने वाले कार्यों का पृथक रूप से सूचित किया गया था। अभिस्वीकृत किये जाने वाले नये कार्यों जिन्हें 1971-72 की वार्षिक योजना में शामिल किया गया है, का संबन्ध है, राज्य सरकारों से भारत

सरकार के तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के लिये आवश्यक विस्तृत नक्शों और अनुमान भेजने के लिये अनुरोध किया गया था। वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की वास्तविक प्रगति और वित्तीय वर्ष के लगभग अन्त तक उनके द्वारा भेजी गयी अन्तिम आवश्यकताओं के आधार पर मार्च, 1972 में वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले अन्तिम आवंटन किये गये। इस प्रकार आवंटित रकमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है। इन अन्तिम आवंटनों के बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि कुछ राज्यों में व्यय की कमी अन्य राज्यों को अधिक आवंटन देकर पूरी की जाये जिससे तुलनात्मक रूप में अच्छा काम किया हो। अन्तिम आवंटनों के समय राज्यों द्वारा दिये गये संकेतों के अनुसार, उनसे आशा की गई थी कि वे संलग्न विवरण में उल्लिखित रकमों का पूरा-पूरा उपभोग करेंगे।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1971-72 के दौरान किये गये अन्तिम आवंटन (रुपये लाखों में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	550·00
2.	आसाम	210 67
3.	बिहार	283·91
4.	दिल्ली	51·61
5.	गुजरात	237·43
6.	हरियाणा	140·78
7.	हिमाचल प्रदेश	62·00
8.	जम्मू और कश्मीर	0·20
9.	केरल	135·75
10.	मध्य प्रदेश	132·02
11.	महाराष्ट्र	232·41
12.	मैसूर	248.34
13.	मणिपुर	5·85
14.	मेघालय	0·83
15.	नागालैंड	8·74
16.	उड़ीसा	181·14
17.	पंजाब	86·00
18.	राजस्थान	165·00
19.	तामिलनाडू	594·01
20.	उत्तर प्रदेश	395·68
21.	पश्चिम बंगाल	231·53
	कुल	3954.19

कालेजों को स्वायत्तता

2925. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या कालेजों को अधिक स्वायत्तता देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). शिक्षा आयोग (1964 66) क ने यह सिफारिश की थी कि कालेज शिक्षा के सुधार के लिए, किसी बड़े विश्वविद्यालय के अन्तर्गत, भली भांति चुने गये सर्वोत्तम कालेजों के एक समूह के कुछ हद तक स्वायत्तता देनी चाहिए। इसमें दाखिले के नियमों को बनाने, अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों के निर्माण, परीक्षाएँ संचालित करने आदि जैसे अधिकार शामिल होंगे। मूल विश्वविद्यालय का कार्य सामान्य पर्यवेक्षण और डिग्रियों को वास्तविक रूप से प्रदान करना होगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सामान्यतः, इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस बात पर भी सहमत है कि जहां कहीं परिस्थितियों और स्रोत इसकी इजाजत देते हों उच्च शिक्षा की प्रोन्नति के लिए 'स्वायत्त कालेजों' की योजना को शुरू करने की वास्तव में आवश्यकता है। आयोग ने विश्वविद्यालयों की ओर से इस प्रश्न के प्रासंगिक पक्षों की जांच करने और इस सम्बन्ध में प्रस्तावों को (यदि कोई हो) उसके विचारार्थ भेजने का भी अनुरोध किया है। विश्वविद्यालयों और कालेजों के अभिशासन की गजेन्द्रगढ़कर समिति ने भी यह सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में स्वायत्त कालेजों और अध्यापन विभागों अथवा विभागों के एककों तथा विशेषकर उच्च अध्ययन केन्द्रों को कुछ स्वायत्तता देने की व्यवस्था की जाए। समिति की सिफारिशें, सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली गई हैं।

गुलाबी बाग, दिल्ली में भूमि अर्जन

2926. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास और भूमि विक्रय के अन्तर्गत दिल्ली में भूमि अर्जित की गई है और इस भूमि के बेचने का एक तरीका यह है कि इसे गृह निर्माण सहकारी समितियों को आवंटित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा गुलाबी बाग, दिल्ली में खरीदी गई भूमि को अर्जित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गुलाबी बाग, दिल्ली में किस लिए भूमि अर्जित की गई है और इसको किस तरह बेचा जायेगा?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) जब अर्जन की कार्रवाई आरम्भ की गई थी तो भूमि अलग-अलग लोगों की थी न कि गुजरांवाला सहकारी आवास निर्माण सोसायटी की थी।

(ग) दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसे स्टाफ के क्वार्टरों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को दे दिया गया था।

गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारी समिति, दिल्ली द्वारा काटे गये आवंटित न किये गये प्लाट

2927. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरांवाला गृह निर्माण सहकारो समिति, दिल्ली द्वारा काटे गये बहुत सारे छोटे प्लाट, जुलाई और अगस्त, 1969 में सामान्य लाट निकाले जाने के बाद भी बिना आवंटित किये पड़े रहें;

(ख) यदि हां तो उन प्लाटों की संख्या और आकार क्या हैं जो आवंटित नहीं किये गये थे तथा जुलाई और अगस्त, 1969 में आवंटित किये गये प्लाटों की सख्या और आकार क्या था;

(ग) क्या ऐसा गलत योजना के कारण हुआ; और

(घ) समिति के अधिकतम सदस्यों की आवश्यकता को ध्यान में न रखने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख). जुलाई, 1969 में कोई लाट नहीं निकाला गया। अगस्त, 1969 में निकाले गए 160-167 वर्ग गज़ की श्रेणी के 22 प्लाट बिना आवंटन के पड़े हैं। अगस्त, 1969 के ड्रा के परिणामस्वरूप आवंटित किए गए प्लाटों का व्यौरा निम्न प्रकार है :—

प्लाट का आकार वर्ग गजों में		प्लाटों की संख्या
300 तथा इससे बड़े		97
270-300		15
225-242		117
175-200		12
160-170		99
	कुल	340

(ग) जी, नहीं।

(घ) बृहत योजनाओं की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या को स्थान दिया गया था।

Construction of Bridge over Ganga at Jhoosi

2928. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Shipping** and **Transport** be pleased to state the date on which the work on the bridge being constructed on Ganga at Jhoosi was undertaken and the progress made so far in this regard ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : The work of construction of Ganga Bridge at Jhoosi (Allahabad) was undertaken on 12th March 1968.

So far the work on foundations only is in progress in 10 units (of 4 wells each) out of 13 units required for the entire bridge.

3274 ft. of well steining has been cast ; out of this 2602 ft. has been sunk, and 4 wells of unit 3 have been plugged.

Approximately, the overall physical progress upto end of February 1972 can be taken as 39 per cent.

पुस्तक सप्ताह

2929. **श्री निहार लास्कर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1972 में पूरे देश में एक 'पुस्तक सप्ताह' आयोजित किया गया था;

(ख) यह सप्ताह किस तरह से मनाया गया था; और

(ग) लोगों में अध्ययन सम्बन्धी आदतों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या प्रयास किए गए थे अथवा किए जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां । 18 मार्च से 24 मार्च, 1972 तक पुस्तक सप्ताह के रूप में मनाया गया था ।

(ख) पुस्तक सप्ताह काफी व्यापक प्रचार अभियान के साथ मनाया गया था । राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 'अच्छी पुस्तक अच्छा साथी' नामक नारे से हिन्दी और अंग्रेजी में एक विज्ञापन निकाला और सप्ताह के दौरान इसे प्रदर्शन हेतु देश के सभी महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक तथा अन्य सांस्कृतिक संस्थानों में इस विज्ञापन का सवितरण किया गया । शिक्षा निदेशकों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत शैक्षणिक सस्थानों को शामिल करते हुए तथा पुस्तकों के लेखन अनुवाद छपाई प्रकाशन और सवितरण के विभिन्न पहलुओं पर वाद-विवाद, विचार-विमर्श और संगोष्ठियों जैसे विशेष कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए इस सप्ताह को मनाये । इसी सप्ताह के दौरान खरीदी गई पुस्तकों पर भारतीय प्रकाशक तथा पुस्तक विक्रेता संघ ने दस प्रतिशत की विशेष कटौती की छूट दी । आकाशवाणी के सभी स्टेशनों और दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र ने पुस्तक मनस्तता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए । डाक-तार विभाग ने इस सप्ताह के नारे के साथ ही प्रमुख

शहरों से डाक द्वारा भेजी गयी वस्तुओं पर लगी हुई विश्व-पुस्तक मेले की मोहर पर डाक की मोहर लगाई ।

(ग) सम्भावित पाठकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने समुचित दर पर सुव्यवस्थित सिलसिलेवार एक पुस्तक प्रकाशित की है । न्यास ने देश के विभिन्न भागों में सामयिक पुस्तक मेलों का भी आयोजन किया है और इस प्रकार के मेलों का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों को लोकप्रिय बनाना है और इस प्रकार लोगों में पढ़ने की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के विषयों में एक विषय पढ़ने की आदतों को प्रोत्साहित करना है । पढ़ने की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के विषय सहित सभी विषय वस्तुओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है । तथा इसकी सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है ।

Grant by Central Government to Uttar Pradesh for Welfare of S. C. and S.T. and Nomadic Tribes

2930. Shri Ram Surat : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the funds granted by the Central Government to the Government of Uttar Pradesh under the schemes for the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and nomadic tribes during each financial year from 1969 to 1971 ;

(b) whether a sum of about Rs. 30,000/- was granted to the Manager-cum-Principal of Motiram Janta Inter College, Anand Nagar in Gorakhpur Janpad, Uttar Pradesh by the Harijan Welfare Department of Uttar Pradesh Government for the construction of a hostel for the girl students belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes during the year 1969 ; and

(c) if so, whether the said amount has not been spent on the construction of the hostel, but has been misappropriated ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) :

(a)

Category of Backward Classes	*Central Sector* 1969-70	1970-71	1971-72
		(Rs. in lakhs)	
Sch Tribes	9.95	12.54	9.90
Sch. Castes	21.00	87.00	98.40
Denotified nomadic & semi-nomadic tribes	12.00	15.75	15.75
	42.95	115.29	125.05

Category of Backward Classes	1969-70	State Sector 70-71	71-72
		(Rs. in lakhs)	
Sch. Tribes	16.81	16.00	29.46
Sch. Castes	41.19	53.00	159.37
Other Backward Classes (which includes Den., nomadic and semi-nomadic tribes).	4.00	3.00	12.17
	62.00	72.00	201.00

(b) and (c). The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of House.

To be Answered on the 17th April, 1972 Boosting Up Production of Fruits

2931. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are making some special efforts to boost up the production of fruits keeping in view the export thereof ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Relevant information is given in the enclosed Statement.

Statement

Banana, mango, pineapple and walnuts are important fruits which are exported. For development of these fruit crops the State Governments have taken the following steps as their normal activity :—

1. Subsidised supply of quality planting materials ;
2. Provision of plant protection chemicals and equipments.
3. Arrangement for credit.
4. Adoption of package of practices.
5. Demonstrations.

2. In the Central Sector the following schemes have been sanctioned to be implemented during the Fourth Five Year Plan :—

	Outlay (Rs. in lakhs)
(i) Development of banana production	31.84
(ii) Banana Development Corporation.	40.00
(iii) Production of walnuts	11.89

The scheme on Banana Development envisages development of bananas around major ports in the eastern and western ghats on an area of 12,000 hectares. The scheme provides for technical support and extension service, special assistance for plant protection measures, demonstrations and pilot trials of exotic varieties.

Banana Development Corporation is being set up for taking care of the marketing of banana and to organise exports.

The object of the scheme on walnuts is to develop walnut production in the States of J. & K., H.P. and U.P. The production of walnuts is sought to be increased by subsidising the planting material of high yielding varieties, fertilisers and posticides and fencing material.

3. Specific schemes for the development of mango and pineapple are under consideration.

राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने की परियोजना को वित्तीय सहायता

2932. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नलकूप लगाने की योजना के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना व्यय आयेगा और कितनी केन्द्रीय सहायता देना स्वीकार किया गया है;

(ग) यह योजना किन क्षेत्रों में लागू की जायेगी और प्रत्येक क्षेत्र में कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस परियोजना पर कार्य कब आरम्भ होगा तथा यह कब तक पूरा हो जायेगा?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने 420 नलकूपों के निर्माण के लिए 212·98 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। स्वीकृत फारमूला के आधार पर पूर्णत: निर्मित नलकूपों के विक्रय मूल्य पर केन्द्रीय सहायता सम्भवत: 41 लाख रु० होगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार नलकूपों के विक्रय मूल्य पर छोटे तथा सीमान्त किसानों को 25 प्रतिशत तथा $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत क्रमश: राज्य सहायता भी प्रदान करेगी। नलकूप निम्नलिखित जिलों में स्थित किए जाएंगे :—

जिला	प्रस्तावित नलकूपों की संख्या
जैलोर	102
जोधपुर	140
नागौर	116
पाली	55
बीकानेर	7
कुल जोड़	420

नलकूपों के अलग-अलग कलस्टरों के सम्बन्धी प्रस्ताव, अब भी राज्य सरकार से प्राप्त हो जाएंगे, केन्द्रीय भूमिगत जल मण्डल से तकनीकी स्वीकृति मिलने पर कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कर दिए जाएगे । परियोजना सम्भवतः चौथी योजनावधि में पूरी हो जाएगी ।

Irrigation Facilities in Hilly Regions of Gaya (Bihar)

2933. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Union Government have formulated or propose to formulate a scheme to bore tube-wells to provide irrigational facilities to the hilly regions of Gaya (Bihar) ; and

(b) if so, the outline thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a)No.

(b) Does not arise.

Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, New Delhi

2934. **Shri Chhatrapati Ambesh** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust has received a grant of rupees one lakh from his Ministry so far ;

(b) whether the said Trust has shown thousands of rupees as loans given to the Akhil Bharat Netra Sangh and Institute of Social Education every year with a view to obtaining a grant equal to half the amount of the losses thus shown by the Trust ; and

(c) whether the said loans have never been shown as repaid, and if so, the amount of loans received by the said institutions from the said Trust, the amount of loan repaid and the amount outstanding against them ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) The following grants have been given by the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health) to Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, Lajpat Nagar, New Delhi so far :—

(i) 1962-63 Rs. 50,000/- For completion of general ward, sanitary installation and purchase of equipment.

(ii) 1963-64 Rs. 12,000/- For the construction of verandah, stair-case, terrace and an out-patient pavillion (Rs. 6000/-) and for the purchase of equipment (Rs. 6000/-).

(iii) 1964-65 Rs. 1,000/- For the purchase of equipment for Yoga Institute for Psychophysical Therapy, Bhagwan Dass Sadan, New Delhi.

(b) and (c) : The grants mentioned against (a) above have no relationship with the amounts loaned by Dr. Bhagwan Das Memorial Trust to any other institution. The grants given to the said Trust by the Department of Health were utilised for the purpose for which they were sanctioned.

The Bhagwan Dass Memorial Trust has not at any stage approached the Ministry of Health and Family Planning for a grant to meet half the amount of its losses. Any financial transaction between Dr. Bhagwan Dass Memorial Trust, Akhil Bharat Netra Sangh and Institute of Social Education and not relating to the grants given by the Ministry of Health and Family Planning to the said Trust, is their internal affair and Government are not concerned.

अर्ध-शुष्क ऊष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने के लिए स्थान और उसकी लागत

2935. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट :**

श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक के अनुदान में से स्थापित की जाने वाली अर्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसन्धान संस्था पर कुल कितनी लागत आएगी और भारत में यह संस्था कहां पर स्थापित की जाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : संस्थान के कोर कार्यक्रम को पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए लगभग 100 से 120 लाख डालर की पूंजीगत लागत का अनुमान लगाया गया है। संस्थान में समस्त कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर मौजूदा एककों की लागत के आधार पर कोर पर 25 से 30 लाख डालर वार्षिक आवर्ती लागत आने का अनुमान है। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक सहित अन्तर्राष्ट्रीय कृषि अनुसन्धान विषयक परामर्शदायी दल संस्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

यह संस्थान हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) के निकट स्थित होगा।

Provision of Civic Amenities in Unapproved Colonies of Delhi

2936. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether lakhs of persons in Delhi live in unapproved colonies ;

(b) if so, the arrangements made to supply water and electricity there keeping in view the convenience of those people ; and

(c) the steps being taken to provide facilities of water and electricity to the people in future ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Information on the number of persons living in unapproved colonies is not available.

(b) and (c) : The Water Supply and Sewage Disposal Undertaking does not normally provide water mains in unapproved colonies. However, as a special case, metered public water hydrants are allowed by it when people are prepared to take such connections, at their cost, from nearby colonies provided water at sufficient pressure is available.

The Delhi Electric Supply Undertaking provide electricity in unapproved colonies on receipt of formal requests from the resident Associations, or like bodies, subject to completion of formalities prescribed by the undertaking.

मीठे सोरगम से गुड़ बनाया जाना

2937. **श्री पम्पन गौडा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गन्ना अनुसन्धान संस्थान, लखनऊ ने विश्व में पहली बार मीठे सोरगम (ज्वार) से गुड़ बनाने का सफल प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख). भारत में प्रथम बार भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में परीक्षण के तौर पर मीठे सोरगम से गुड़ बनाया गया है। जो गुड़ बनाया गया है, इस समय उसके स्वादिष्ट, पौष्टिक और वाणिज्यिक विशेषताओं पर अध्ययन किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना

2938. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में, वर्षवार, सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में कुल कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में सरकारी विभागों/सरकारी प्रतिष्ठानों में जिन विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है, उनके बारे में वर्षवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तो भी सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में विकलांग व्यक्तियों के लिए स्थापित किए गए 9 विशेष रोजगार कार्यालयों द्वारा 3 वर्गों से सम्बन्धित विकलांग व्यक्तियों को सरकारी विभागों/सरकारी प्रतिष्ठानों तथा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में दिलाई गई नौकरियों के सम्बन्ध में आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

विकलांग व्यक्तियों का वर्ग	1969-70	1970-71	अप्रैल, 1971 से जनवरी, 1972 तक	जोड़
1	2	3	4	5
नेत्रहीन	56	80	58	194
बधिर	113	88	61	262
अपंग	910	776	753	2439
	1079	944	872	2895

अमरीका में भारतीय विद्यार्थी

2940. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अमरीका के कालेजों और विश्वविद्यालयों में कितने भारतीय विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं; और

(ख) ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है जिनको छात्रवृत्तियों का लाभ मिल रहा है और कितने विद्यार्थी अपने खर्चे से अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस नुरुल हसन) : (क) अमरीकी विश्वविद्यालयों और कालेजों से वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास द्वारा संकलित की गई नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय छात्रों/प्रशिक्षार्थियों की संख्या 1-1 1971 को 10,036 थी।

(ख) आर्थिक सहायता के बारे में अमरीका के अनेक विश्वविद्यालय और कालेज पूरी सूचना नहीं देते हैं। अब तक केवल 2843 छात्रों/प्रशिक्षार्थियों के बारे में सूचना उपलब्ध है। इनमें से 183 व्यक्तियों को अमरीकी सरकार की अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा छात्रवृत्तियां दी जा रही थीं और 1578 अपने स्वयं के प्रबन्ध के अधीन अध्ययन कर रहे थे। जिनमें विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित सहायता भी शामिल है।

Basis for Distribution of Sugar

2941. **Sh i M. C. Daga** : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the distribution of sugar in the entire country is done on a uniform basis or different policies are followed in this regard ; and

(b) whether the people living in villages are supplied less quantity of sugar in comparison to those living in cities and if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) The monthly allocation of fair price sugar to the various States is being made on a rational basis after taking into consideration the population factor, past pattern of consumption and the availability of sugar. The scale of distribution of fair price sugar within a State is determined by the State Government concerned, after taking into account the local conditions and circumstances. The State Governments have, however, been advised to ensure that the scale of distribution nowhere exceeds 1 kg. per head per month or be less than 1 kg. per family per month.

Sugar Allotted to Madhya Pradesh

2942. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quota of sugar allotted to Madhya Pradesh during the last three years, year-wise ;

(b) the names of the States whose sugar mills supplied the above said quota ; and

(c) whether Government have received complaints to the effect that the quota of sugar allotted to Madhya Pradesh which was to he supplied from sugar mills in various States was sold out by the licence holders of the said States in their respective States ; and if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) During the last three years, sugar was allotted to Madhya Pradesh as under :

(Oct-Sept)

(i) 1968-69	95,929 tonnes
(ii) 1969-70	1,79,770 tonnes
(iii) 1970-71	1,13,247 tonnes

(upto the 24th May, 1971, whereafter control over price and distribution of sugar was removed)

(b) The names of the States whose sugar mills supplied the above quantity are as follows :—

1968-69	Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Uttar Pradesh.
1969-70	Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore, Tamil Nadu and Uttar Pradesh.
1970-71	Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Mysore, Tamii Nadu and Uttar Pradesh.

(c) No such complaint has been received by the Central Government. However, the Madhya Pradesh Government received a few complaints which they are investigating.

Assistance for Rural water Supply Schemes in Madhya Pradesh

2943. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Water Supply and Disposal Board or the State Government had sought assistance from the Central Government for rural water supply schemes ; and

(b) if so the nature thereof and the assistance given for the purpose.

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

मजगांव गोदी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक के अनुसार भारतीय जहाज निर्माता के सम्मुख आने वाली समस्याएं

2944. **श्री पी० एम० मेहता :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज निर्माता की मुख्य समस्या जैसा कि मजगांव गोदी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने कहा है, सहायक जहाज निर्माण उद्योगों का न होना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने जहाज निर्माताओं के साथ प्राथमिकता का व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन्होंने और क्या सुझाव दिए हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) आयातित जहाजों के मूल्य की तुलना में देश में बने जहाजों की निर्माण लागत के अधिक होने के कारणों के बारे में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों की इस पूछताछ के उत्तर में मजगांव डाक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक ने सूचित किया था कि इसका मुख्य कारण विदेशों की तुलना में देश में पूर्ण विकसित औद्योगिक आधार और जहाज अनुषंगी उद्योगों का अभाव है। उन्होंने यह भी बताया था कि चूंकि जहाज अनुषंगियों सम्बन्धी आवश्यकताओं की संख्या प्रमात्रा कम हैं, अतएव इन अनुषंगियों की उत्पादन लागत स्वाभाविक रूप से अधिक थी।

(ख) उपर्युक्त संदर्भ में उन्होंने मूल्यों के मामले में देशी जहाज निर्माताओं को तरजीह देने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

(ग) उन्होंने कोई और सुझाव नहीं दिया था। जहां तक मूल्यों के मामले में तरजीही व्यवहार करने का सम्बन्ध है, मौजूदा आदेशों में कुछ शर्तों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में 5 प्रतिशत जोड़कर भारत में निर्मित समुद्री जहाजों का मूल्य निर्धारण करने और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के अधिकतम 15 प्रतिशत तक शिपयार्ड की सहायता की पहले ही से व्यवस्था है। जहाँ तक जहाज अनुषंगी उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, सरकार ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत तथा जहाज अनुषंगियों के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति की नियुक्ति तकनीकी विकास सेल की स्थापना और समुद्री उपकरण

के विषय में उचित मानकों के विकास और निर्धारण के लिए भारतीय मानक संस्थान में एक डिवीजन की स्थापना जैसे कई उपाय किये हैं ।

अनाज, दालों, तेलों, तिलहन और प्रोटीन-युक्त खाद्य पदार्थों की भारतीय खाद्य निगम द्वारा बिक्री

2945. **श्री पी० एम० मेहता :**

श्री अर्जुन सेठी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुले बाजार में गेहूं की बिक्री में मिली सफलता से उत्साहित होकर भारतीय खाद्य निगम दूसरे अनाज, दालों, तेलों, तिलहन और प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए प्रमुख नगरों में स्थायी केन्द्र खोलने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने यथाशीघ्र देश के 28 प्रमुख उपभोक्ता नगरों में खुली बिक्री के लिए केन्द्र खोलने का निर्णय किया है । बम्बई में पहले से ही विक्रय-केन्द्र कार्य कर रहा है । मद्रास और हैदराबाद में शीघ्र ही विक्रय-केन्द्र खोले जाएँगे ।

गुर्दे और पित्ताशय में पथरी बनने के कारण

2946. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुर्दे और पित्ताशय में पथरी बनने के कारण अभी भी ज्ञात नहीं हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार गहराई में जाने और मूल कारणों को जानने के लिए विशेषज्ञ डाक्टरों की एक समिति नियुक्त करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) मूत्र मार्ग में पथरी किन कारणों से हो जाती है यह स्पष्ट ज्ञात नहीं है और हालांकि हाल में किये गये अध्ययनों से कुछ निश्चित संकेत मिल रहे हैं फिर भी इस बारे में अभी अनुमान से काम लिया जा रहा है । जहां तक पित्ताशय में पथरी बनने के कारणों का सवाल है, यद्यपि इसके कारण अधिकांश रूप से अज्ञात हैं, फिर भी, वंशानुगत (कोलेस्ट्रल चयापचय की मूलभूत गड़बड़ी के रूप में), बैठे-बैठे रहने की आदत, संक्रामक रोग, आहार विषयक बदपरहेजी तथा गर्भ जैसी बातें पित्ताशय में पथरी बनने के कारण माने जाते हैं । पथरी बनने के निश्चित कारण अज्ञात होने के बावजूद यह पता चला है कि पित्ताशय पथरी के मुख्य घटक हैं कोलेस्ट्रल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एवं कैल्सियम नमक ।

(ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मूत्र मार्ग में पथरी की समस्या का अध्ययन करने में काफी रुचि ले रही है और इस समस्या के विभिन्न पहलुओं जैसे रोगोत्पत्ति के कारण,

चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा पहलु तथा अध्ययन के लिए अनुसंधान की भावी रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए मूत्र मार्ग पथरी के बारे में 1970 में एक अध्ययन समिति बनाई गई थी। इस विषय के प्रतिष्ठित विशेषज्ञों ने जिनमें चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, विकृति विज्ञानी, पोषण विज्ञानी और जीव रसायन शास्त्री सम्मिलित हैं उक्त अध्ययन समिति की बैठक में भाग लिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी प्रायोगिक अवस्था पर वित्तीय पथरी के कारणों से सम्बन्धित परियोजनाओं में अपना योगदान दिया।

सामुदायिक विकास और पंचायत राज के लिए एक परामर्शदात्री परिषद का गठन

2947. **श्री पम्पन गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास और पंचायती राज सम्बन्धी दो वर्तमान परिषदों को मिलाकर एक परामर्शदात्री परिषद का गठन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) इस बात को स्वीकार करते हुए कि सामुदायिक विकास और पंचायती राज कार्यक्रमों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने हेतु उपयुक्त नीतियों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के विभिन्न तथ्यवेत्ताओं के एक राष्ट्रीय मंच की स्थापना करने की आवश्यकता है, दो सलाहकार परिषदें, एक सामुदायिक विकास सम्बन्धी तथा दूसरी पंचायती राज सम्बन्धी, क्रमशः दिसम्बर, 1968 तथा अप्रैल, 1969 में गठित की गई थीं। चूंकि सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के युग्म उद्देश्य आपस में निकट से गुँथे हुए हैं, अतः दोनों परिषदों ने एक मंच तथा अपने विलयन की आवश्यकता पर बल दिया था। तद्नुसार, सरकार ने दिसम्बर, 1971 में विद्यमान दोनों परिषदों को परस्पर मिला दिया है और सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज सम्बन्धी एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। सरकार के संकल्प की प्रतिलिपि, जिसमें परिषद का गठन तथा कार्य दिए गए हैं, संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1772/72]

चौथी पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा

2948. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) अब तक इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में यह अभिकल्पित है कि प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी तथा पिछड़े क्षेत्रों और समाज तथा लड़कियों की शिक्षा की सुविधाओं की उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा। लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिए पहली योजना अवधि से ही सतत प्रयास किए गए हैं। 1 से 5 कक्षाओं की छात्राओं की संख्या का अनुपात जो 1950-51 में 25%

था, 1969-70 में बढ़कर 61% हो गया। 6 से 8 कक्षाओं में यह अनुपात 5% से बढ़कर 20% तथा 9 से 11 कक्षाओं में 2% से बढ़कर 10% हो गया। चौथी योजना के दौरान विशेष कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा, जिसका स्वरूप प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होगा, छात्राओं की संख्या बढ़ाने का विचार था। 1968-69 में 6-14 आयु वर्ग की छात्राओं की संख्या 44.7% थे। चौथी योजना का लक्ष्य 6 14 आयु-वर्ग की छात्राओं के लिए 55% था तथा 1969-70 तथा 46.5% भर्ती की जा चुकी थीं। चूँकि बहुत से राज्य लड़कियों की शिक्षा के प्रसार की ओर समुचित ध्यान दे रहे हैं। अतः इस दिशा में और अधिक सुधार की पूर्ण आशा है।

2. स्कूल न जाने वाले बच्चों में अधिक संख्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति की लड़कियों तथा बच्चों की है। ऐसे बच्चों के दाखिलों को बढ़ाने तथा बनाए रखने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री जैसी प्रोत्साहन देने वाली वस्तुएं उपलब्ध करानी आवश्यक समझी गई हैं। इस उद्देश्य का तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के कार्यान्वियन का भी ध्यान रखते हुए, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1971 में तीस हजार अध्यापकों को रोजगार देने, बच्चों को पाठ्य पुस्तकें तथा मध्यान्ह भोजन निःशुल्क देने की स्वीकृति दी। इस कार्यक्रम से स्कूलों में छात्राओं की संख्या बढ़ाने में गति देने की ओर अधिक संभावना है।

3. शिक्षा के चुने हुए क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए, शिक्षा विभाग, देश के स्वेच्छिक शिक्षा संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना संचालित कर रहा है। शिक्षा के उन क्षेत्रों में से एक छात्राओं के लिए छात्रावासों का निर्माण करना है। इस योजना के अधीन, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं और छात्रावासों के निर्माण, पुस्तकालयों तथा प्रयोगशालाओं के लिए फर्नीचर की खरीद, पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद आदि के लिए लड़कियों की संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जाती है। यह योजना 1971-72 तक चालू थी। इसको 1972-73 में जारी रखने का प्रश्न विचाराधीन है।

4. पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए, एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों के लिए, छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इस योजना के अधीन, राज्य सरकारों को भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षा संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों के दाखिले में बढ़ोत्तरी करना है, जिससे इन जातियों की महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो सके। इस योजना की व्यवस्था का उद्देश्य, आयोजना के राज्य सैक्टर के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना के लिए उपलब्ध व्यवस्था की सम्पूर्ति करना है। योजना की पद्धति में निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं :—

(i) चौथी आयोजना के मध्य तक, इस योजना का क्षेत्र, शिक्षा के मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्तरों तक सीमित था। किन्तु अब राज्य सरकारों को, कालेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रही, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों के लिए भी छात्रावास निर्माण करने की अनुमति दे दी गई है।

(ii) ऐसे विशेष स्थानों अथवा क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या अधिक हो और जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा की

सुविधाएँ अपर्याप्त हों, अब छात्रावासों का निर्माण किसी भी ऐसे स्थान पर किया जा सकता है, जहाँ पर सम्बन्धित शिक्षा संस्थाएँ स्थित हैं।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों, दोनों के लिए, नए छात्रावासों के निर्माण और विद्यमान छात्रावासों के विस्तार के लिए अब वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

(iv) भवन निर्माण/विस्तार और उपस्कर की खरीद हेतु, अनावर्ती मदों के साथ-साथ, अब छात्रावासों में रहने वालों के लिए भी पाठ्यपुस्तकों के कुछ सैटों की खरीद करके छोटे-मोटे पुस्तकालय की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

(v) स्वैच्छिक संगठनों को अब केवल कुल अनुमोदित लागत का 10 प्रतिशत वहन करना पड़ता है, जबकि इससे पहले यह 25 प्रतिशत निर्धारित था।

चौथी आयोजना में, इस योजना के लिए 202 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

Functioning of Sugar Mills in Bihar

2949. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) the total number of sugar mills in Bihar and the quantity of sugar produced by them during 1971-72 ;

(b) the reasons for which some mills could not function and the extent of the loss of production of sugar as a result thereof ; and

(c) whether Government have formulated any scheme to revive the closed sugar mills, and if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The total number of sugar mills in Bihar is 30 out of which 25 worked in the year 1971-72 and produced about 1.5 lakh tonnes.

(b) Three mills in South Bihar did not work in the earlier seasons also. Two mills, also in South Bihar, did not work in 1971-72. One of the mills viz. Guraru Chini Mill, which is owned by the Government of Bihar, did not work in 1971-72 because of shortage of cane, but the State Government propose to run it in 1972-73. The South Bihar Sugar Mills Ltd., Bihta, did not work in 1971-72 for financial reasons. The loss of production of sugar on account of non-working of these two factories in 1971-72 estimated at 2,500 tonnes.

(c) It has not been possible for the State Government to finalise any concrete plan so far to re-open the four closed mills other than the Guraru Chini Mill owned by the Bihar Government, which the State Government propose to run in 1972-73. The matter is, however, still under the consideration of the State Government.

पटना विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति

2950. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति बहुत चिन्ताजनक है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने पुस्तकों, वैज्ञानिक उपकरणों और भवनों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पटना विश्वविद्यालय में बड़ा घाटा है।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार ने किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध नहीं किया है। तथापि विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए नियुक्त की गई निरीक्षण समिति की सिफारिश पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कर्मचारियों की नियुक्ति भवन-निर्माण, पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा उपस्कर खरीदने आदि सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं हेतु 1966-74 अवधि के लिए 110 लाख रुपये तक की निधि निर्धारित की थी। विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर आयोग ने 10 लाख रुपये का विशेष अनुदान भी निर्धारित किया था। हाल ही में, आयोग को विश्वविद्यालय से सहायता के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जोकि सामाजिक विज्ञान के ब्लाक (खंड) के निर्माण हेतु तथा वनस्पति-विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल तथा भौतिकी विभागों के लिए पुस्तकालय की पुस्तकें खरीदने हेतु चौथी योजना के निर्धारण से अतिरिक्त है। जबकि सामाजिक विज्ञान के ब्लाक के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार करने में आयोग ने अपनी असमर्थता पर खेद प्रगट किया है, पुस्तकालय की पुस्तकों को खरीदने के लिए सहायता का प्रस्ताव विचाराधीन है।

आयोग राज्य विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान नहीं देता है।

Sugar Mills in Bihar Owning Sugarcane Farms

2951. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether many Sugar Mills in Bihar have their own sugarcane farms ; and

(b) if so, the names of such mills and the areas of the farms owned by each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) On the basis of the information collected by the Government of Bihar in the year 1970, 20 sugar mills in Bihar own sugarcane farms.

(b) A statement showing the names of such mills and the area of the farms owned by each of them is attached. [*Placed in the Library. See* No. L.T. 1773/72]

Setting up of Central Dairies in Rohtak, Haryana

2952. Dr. Sankata Prasad : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government propose to set up milk dairies in Rohtak District ;

(b) if so, the number thereof and the estimated expenditure thereon ; and

(c) the number of persons to be benefited thereby ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) The Indian Dairy Corporation, an undertaking of Central Government, is financing and assisting Haryana Government in setting up a Composite dairy plant in Rohtak under operation Flood Programme.

(b) One dairy plant involving an estimated expenditure of Rs. 150 lakhs.

(c) In addition to providing direct employment to about 500 persons, the project will benefit 100,000 producer-farmers supplying milk to the dairy plant and 6000 rural coperatives engaged in production and procurement activities.

Separate Department for Higher Education

2953. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of Education and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a separate Department for Higher Education ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) There is no such proposal under consideration.

(b) Does not arise.

नई दिल्ली की सरकारी कालोनियों में निजी मुर्गी पालन फार्म

2955. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरोजिनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर और नेताजी नगर आदि सरकारी कालोनियों में कुछ क्वार्टरों के अल टी निचली मंजिल और छत पर कामचलाऊ झोपड़ियां बनाकर निजी मुर्गीपालन फार्म चला रहे हैं;

(ख) क्या सरकारी आवासों का इस प्रकार का दुरुपयोग जो अन्य अलाटियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, करने की अनुमति है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार के दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां, कुछ मामले नोटिस में आए हैं ।

(ख) तथा (ग) वर्तमान आदेशों के अनुसार, सामान्य पूल वास के आवंटियों द्वारा मुर्गियां रखने पर कोई रोक नहीं है बशर्ते कि वे इस विषय पर नगरपालिका के नियमों का पालन करें।

तथापि, अपने परिसरों में अनधिकृत संरचनाएं बनाने पर आवंटियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

Jawahar Jyoti in Nehru Memorial Museum

2956. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the type of fuel used for Jawahar Jyoti burning in Jawahar Lal Nehru Memorial Museum ;

(b) the approximate quantity of the fuel burnt therein from its inception to date and the value thereof ; and

(c) the total amount spent in keeping the Jyoti burning during the last two years and the estimated monthly expenditure incurred thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Jawahar Jyoti was fed by mustard oil, cotton seeds and camphor up to 11th January, 1971 but gas is being used after that date.

(b) 22,233 Kg. of mustard oil costing Rs. 1,11,664/- and 768 gas cylinders supplied free of cost by M/s Indian Oil Corporation have been used.

(c) During the last two years (1970-71 and 1971-72), an expenditure of Rs. 27,753 was incurred as under :—

(i) On oil fed Jyoti from 1st April, 1970 to 11th January, 1971	Rs. 26,104
(ii) On maintenance etc. of gas equipment from 12th January, 1971 to 31st March, 1972	Rs. 1,649
Total :	Rs. 27,753

In future, expenditure on maintenance/repair of gas equipment is only expected to be incurred.

Demand from Madhya Pradesh for Supplies of Foreign Breed Bulls and cows

2957. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of bulls and cows of foreign breed demanded by the Madhya Pradesh Government for 1972-73 and when such a demand was made ;

(b) the extent to which the said demand has been met and if the said demand has not been met fully the reasons therefor ; and

(c) the time by which the remaining requirement is likely to be met ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Government of Madhya Pradesh has asked for the supply of 77 Jersey cows and 32 Jersey bulls for the year 1972-73 and this demand was made in August 1971.

(b) As in the past the requirements of exotic cattle of the various State Governments, including that of Madhya Pradesh Government, will be considered only at the time of allotment of exotic cattle as and when received under the Colombo Plan or other agencies. No consignment of foreign cattle has been received under such programme so far during 1972-73.

(c) The above requirement of this State is being kept in view along with the requirements of other States. Steps are being taken for purchase of exotic cattle during 1972-73, and efforts will be made to meet the demand of Madhya Pradesh.

अनर्ह चिकित्सक

2958. **श्री एस०ए० मुरुगनन्तम** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों से दस वर्ष से अधिक अवधि से चिकित्सा कार्य कर रहे अनर्ह चिकित्सकों को मान्यता देने के प्रस्ताव पर उनकी राय मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों से क्या राय प्राप्त हुई; और

(ग) इस पर क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) अनर्ह चिकित्सकों की सूची बनाने के प्रश्न पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की अगली बैठक में विचार किया जाएगा जोकि इस वर्ष बाद में होगी ।

विवरण

राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के उत्तर इस प्रकार हैं :—

1. वे राज्य सरकारें जो प्रस्ताव से सहमत हैं	हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, गोआ, दमन और दिव, दादर और नगरहवेली, चण्डीगढ़, लक्ष दीव
2. वे राज्य सरकारें जो कुछ शर्तों के साथ प्रस्ताव से सहमत हैं	पंजाब, केरल, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा
3. वे राज्य सरकारें जो प्रस्ताव के हक में नहीं हैं	मैसूर, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, जम्मू और कश्मीर, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह

4. वे राज्य सरकारें जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है।	मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर

नोट :—शेष राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

परिवार नियोजन के लिए मार्गदर्शी परियोजना

2959. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवा संगठन की शाखा भारतीय युवा संगठन ने 1969 में हरियाना और उड़ीसा में परिवार नियोजन शिक्षा के लिए मार्गदर्शी परियोजनाएँ आरम्भ की थीं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं से वास्तव में क्या सफलता प्राप्त हुई;

(ग) इन परियोजनाओं में अनुमानतः कुल कितना व्यय आयेगा और अब तक कितना व्यय किया गया हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को खर्चा चलाने के लिए किस प्रकार धन दिया जाता था ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश में चिकित्सा सम्बन्धी और अस्पताल की सुविधाएँ

2960. **श्री राजदेव सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में 80 लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति बीमार हैं जिन्हें प्रतिदिन चिकित्सा देने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या केवल ढाई लाख व्यक्तियों के लिए ही अस्पताल की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) क्या अस्पतालों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं देने हेतु सरकार तेज कार्यवाही करने के लिए तैयार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) ठीक-ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर 1955 से 1958 तक देहातों में किए गए नमूना सर्वेक्षणों से पता चला है कि किसी एक समय में 6-11 प्रतिशत तक लोग किसी तेज, हल्की या जीर्ण बीमारी से पीड़ित रहते हैं। शहरों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) अनुमान किया गया है कि यहां पर लगभग 2,69,000 अस्पताली पलंग हैं जिनका जनसंख्या से अनुपात लगभग 0.49 पलंग प्रति हजार बैठता है। इस प्रकार ढाई लाख से अधिक

रोगियों को अस्पतालों में रख कर और इससे भी कहीं अधिक रोगियों का बहिरंग विभागों में इलाज किया जाता है।

(ग) इस पर सरकार ध्यान रखे हुए है और सीमित वित्तीय साधनों के भीतर ही प्रतिवर्ष पलंगों की संख्या बढ़ा दी गई है। चौथे पंचवर्षीय आयोजन में 2,81,6C0 पलंगों का लक्ष्य रखा गया है जबकि उसके प्रारम्भ होने के समय 2,55,700 पलंग उपलब्ध थे।

जनसंख्या में वृद्धि की दर पर अनुसंधान

2961. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनसंख्या वृद्धि दर पर हाल ही के एक रूसी अनुसंधान से पता चलता है कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1975 में चोटी पर पहुँचने के बाद कम होनी प्रारम्भ हो जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो हमारे वैज्ञानिक उपरोक्त अनुसंधान के परिणाम के कितने निकट हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) 1965 में विश्व जनसंख्या सम्मेलन में पेश किए गए अपने पेपर में, जो कि बाद में 1969 में संशोधित किया गया था, रूसी जनविद्याकार डाक्टर बोयार्सकी ने उन देशों की सामाजार्थिक पद्धतियों तथा विकास के स्तरों के आधार पर संसार के देशों का निम्नलिखित 12 समूहों में वर्गीकरण किया था (1) रूस (2) योरुपीय समाजवादी देश (3) चीन तथा एशिया के अन्य समाजवादी देश (4) योरुपीय पूँजीपति देश (5) अमरीका और कनेडा (6) जापान (7) अरब मध्यपूर्व, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान (8) भारत (9) एशिया के शेष देश (10) अफ्रीका के शेष देश (11) बाकी के अमरीकी देश (थोड़ी जनसंख्या होने के कारण क्यूबा का नाम अलग से नहीं दिया गया है।) (12) आस्ट्रेलिया और ओशिआनिया।

डा० बायोर्सकी ने जो अनुमान लगाए हैं वे इस प्रकार हैं :—

1. शीघ्र ही विकासशील देश विकसित देशों के समूह में चले जाएंगे।

2 यदि यह अनुमान लगाया जाए कि लम्बे समय तक जन्मों की कुल संख्या एक समान है तथा स्थानान्तरण नगण्य है, जनसंख्या केवल जीवन की अवधि पर निर्भर करती है जैसा कि अचल जनसंख्या के सिद्धान्त से देखा गया है। कम जीवन कार्य से अधिक जीवन कार्य में संक्रमण पूरा होने में 80 वर्ष लगेंगे।

3. जनन क्षमता और सामाजार्थिक कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उपयुक्त अनुमानों और 12 वर्गों की जनांकिकीय स्थिति के आधार पर उन्होंने सन् 2000 तक हो जाने वाली जनसंख्या को लिया है और इस प्रकार उन्होंने अनुमान लगाया है कि सन् 2000 में विश्व की कुल जनसंख्या 4 अरब 20 करोड़ से लेकर 5 अरब तक के बीच हो जायेगी। 1969 में उन्होंने आंकड़ों के इस रेंज को बदल कर इसे 4 और 6 अरब के बीच रखा। दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र ने यह जनसंख्या 4 अरब 90 करोड़ से लेकर 6 अरब 90 करोड़ तक मानी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि दूसरे अनुमान के अलावा वह अन्य अनुमानों को प्रमाणित नहीं ठहरा सके। अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए इन प्रक्षेपों का हिसाब बिठाने के लिए उन्होंने अपने नीजी विवेक से मनमाने आँकड़े दिए हैं। सम्पूर्ण देश को मूल रूप से विभिन्न एक जैसे क्षेत्रों में बांट कर आगे जाने वाली जनसंख्या का अनुमान लगाने का यह तरीका कोई नया तरीका नहीं है किन्तु डा० बोयार्सकी के ये प्रक्षेपण भिन्न ही हैं।

इस पेपर से यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि विश्व जनसंख्या की वृद्धि-दर 1975 में चरम पर पहुँचने के बाद कम होनी शुरू हो जाएगी किन्तु इन स्तरों की जनसंख्या वृद्धि के बारे में उनके द्वारा लगाये गये विभिन्न अनुमानों के फलस्वरूप यह प्रक्षिप्त जनसंख्या 1980 वाले दशक में कम होने लगेगी। भारतीय जनविद्याकारों द्वारा लगाये गए अनुमानों के अनुसार भारत की जनसंख्या बोयार्सकी द्वारा अनुमानित संख्या की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना है।

वन्य विकास नियंत्रण में अनुसंधान

2962. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संगणकों द्वारा सोवियत वनों में वृक्षों के विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाने तथा नियंत्रण रखने में टिमिरयाजेव कृषि अकादमी के अनुसंधानकर्त्ता वलेन्टिन नेस्टेरव को कई वर्षों से काफी सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुसंधान के परिणाम का उपयोग करने में हमारे वैज्ञानिक कहां तक पहुँचे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) विशिष्ट रूप ले वलेन्टिन नेस्टेरोव आफ टिमिरयाजेव एग्रीकलचरल एकेडेमी में किये गये अनुसंधान कार्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी, हमारे देश के वनों के वृक्षों के विकास आंकड़ों के पूर्वानुमानों के सम्बन्ध में संगणक यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ख) भारत की विद्यमान परिस्थितियां उसकी अपनी जलवायु, भूगोल तथा वनों की अपनी किस्मों के कारण भिन्न हैं और यह आवश्यक नहीं है कि रूसी समाधान भारतीय वनों पर भी लागू हों।

पूर्वी उत्तर-प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसान विकास एजेन्सी

2963. **श्री राजदेव सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या अधिक है;

(ख) क्या केन्द्र द्वारा आरम्भ की गई, छोटे किसान विकास एजेन्सी और 'सीमांत किसान कृषि श्रमिक' नामक दो योजनाओं, जिन में कि 46 और 41 प्रायोगिक परियोजनायें हैं, का उचित वितरण किया गया है; और

(ग) क्या इन दोनों प्रकार की परियोजनाओं में से कोई परियोजना पूर्वी उत्तरप्रदेश के सब

से घनी आबादी वाले 15 जिलों में भी आरम्भ की गई हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) और (ख) आबादी के विभाजन, प्रति वर्ग किलोमीटर आबादी का घनत्व, कृषि श्रमिकों की संख्या, 7.5 एकड़ तक जोतों की संख्या और लघु कृषक विकास अभिकरणों सीमान्त कृषक और कृषि श्रमिक अभिकरणों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1774/72**]

राज्य सरकारों को मार्गदर्शी परियोजनाओं के क्षेत्रों के चयन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में लघु और सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों की संख्या को ध्यान में रखने को भी कहा गया था। परियोजना क्षेत्रों का चयन राज्य सरकारों की सिफारिशों पर किया गया था ।

(ग) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक लघु कृषक विकास अभिकरण परियोजना और बलिया जिले में एक सीमान्त, कृषक तथा कृषि श्रमिक परियोजना चल रही है । इन दो परियोजनाओं की मुख्य बातें विवरण संख्या 11 में दी गई हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1774/72]

देश में कैंसर का मूल कारण

2964. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कैंसर के मूल कारण का पता लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) सभी चिकित्सीय अनुसंधान कार्यों, जिनमें कैंसर का अनुसंधान कार्य भी शामिल है, का अन्तिम ध्येय रोग की प्रक्रिया के कारणों का पता लगाना होता है ताकि रोग को रोका जा सके, उस पर काबू पाया जा सके अथवा उसका इलाज किया जा सके। कैंसर के मूल कारण का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोई खास योजना नहीं बनाई है किन्तु वह देश में विभिन्न कैंसर क्लिनिकों/अनुसंधान केन्द्रों को कैंसर में अनुसंधान कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कैंसर अनुसंधान परियोजनाओं को भी केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता दे रही है। देश में कुछेक मौजूदा कैंसर संस्थानों को क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों के रूप में विकसित करने का भी विचार है जो अन्य कार्यों के साथ-साथ अपने क्षेत्रों में कैंसर सम्बन्धी अनुसंधान कार्यों को चलाने का कार्य भी करेंगे ।

स्नातक स्तर तक पत्राचार पाठ्यक्रम

2965. **श्री नारायण चंद पाराशर** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें स्नातक स्तर तक पत्राचार पाठ्यक्रम

चलाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत यह अनुमति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाये; और

(ग) इन विश्वविद्यालयों को किस भाषा के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अपने आप ही पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है । तथापि ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को आयोग की स्वीकृति लेना अपेक्षित है । इस उद्देश्य के लिए आयोग चार वर्ष की अवधि के लिए 5 लाख रुपये की उच्चतम सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है ।

अब तक जिन विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए हैं उनकी तथा अनुमति प्राप्त शिक्षा/परीक्षा के माध्यमों की सूची संलग्न है ।

विवरण

विश्वविद्यालय का नाम	प्रदान किए गए पाठ्यक्रम	शिक्षा/परीक्षा के पाठ्यक्रम
1	2	3
1. दिल्ली	बी० ए० (पास) बी० एस० सी० (सामान्य) वर्ग ए० बी० काम०	अंग्रेजी तथा हिन्दी
2. हिमाचल प्रदेश*	पूर्व-विश्वविद्यालय बी०ए०, बी०एड०, एम० ए०, एम० एड०	अंग्रेजी तथा हिन्दी
3. राजस्थान	बी० काम०	हिन्दी
4. पंजाबी	पूर्व-विश्वविद्यालय बी० ए० पंजाबी प्रवेशिका ज्ञानी	पंजाबी तथा अंग्रेजी
5. मैसूर	पूर्व विश्वविद्यालय बी० ए०	अंग्रेजी तथा कन्नड
6. मेरठ	बी० ए०	अंग्रेजी तथा हिन्दी
7. मदुरै	बी० ए०	अंग्रेजी तथा हिन्दी
8. बम्बई	इन्टरमीडिएट (कला) इन्टरमीडिएट (वाणिज्य)	अंग्रेजी
9. पंजाब	पूर्व-विश्वविद्यालय बी० ए०	हिन्दी, अंग्रेजी तथा पंजाबी

*इस विश्वविद्यालय ने स्वयं ही पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए थे । अब इसने वित्तीय सहायता के लिए आयोग से अनुरोध किया है ।

टिप्पणी—बी० ए० तथा बी० काम० में अंग्रेजी तथा तेलुगु के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय का एक आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रमों को 1972-73 से शुरू करने का विचार है ।

Declaration of Ajmer-Khandwa Road as National Highway

2966. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Headquarters of Central Reserve Police and the army are located at Mhow, Neemuch and Nesirabad situated between Ajmer and Khandwa ;

(b) whether the aforesaid places are important from the point of view of country's security ;

(c) whether the road passing through the aforesaid three places and linking Ajmer with Khandwa had not been declared a national highway so far ; and

(d) the criteria adopted by Government for declaring any road as a national highway ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) and (b) Mhow and Nasirabad are cantonments where certain Army establishments are located and to that extent these two stations have their importance from the security point of view. Neemuch is one of the Headquarters of units of the Gentral Reserve Police.

(c) Yes, Sir, the road has not been declared as a National Highway.

(d) The following criteria have been laid down for the declaration of roads as a National Highways :

(i) They should be the main highways running through the length and breadth of the country ;

(ii) They should connect foreign highways :

(iii) They should connect capitals of States ;

(iv) They should connect major ports and large industrial or tourist centres ;

(v) They should meet strategic requirements.

In addition to these criteria, emphasis is given to the economic considerations also.

Loan/Financial Assistance to Madhya Pradesh by the Housing and Urban Development Finance Corporation

2967. Dr. Laxminarain Pandey : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Housing and Urban Development Finance Corporation has given loan or financial assistance to Madhya Pradesh ;

(b) if so, the amount thereof ; and

(c) the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c) The Housing and Urban Development Corporation sanctioned on the 14th March, 1972, the Housing Accommodation Scheme of Bhopal Improvement Trust of Madhya Pradesh, involving an expenditure of Rs. 39 lakhs as per details given below :—

	Category	Plots for sale
1.	Economically and Weaker Sections of Society	46
2.	Low Income Group	135
3.	Middle Income Group	153
4.	High Income Group	16
5.	Shops	301
6.	Cinema	1
	Total :	652

The disbursement of the loan has not been made as the Loan Agreement has yet to be signed by the Improvement Trust and other formalities completed.

Development of New National Park at Gandhi Sagar Dam

2968. **Dr. Laxminarain Pandey** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to develop a new national park at Gandhi Sagar Dam (Chambal Dam) ; and

(b) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No such proposal is under consideration of the Ministry of Works and Housing.

(b) Does not arise.

दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों का न मिलना

2969. **श्री रामसहाय पांडे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाज के लिए आवश्यक दवाइयां न मिलने के कारण दिल्ली के अस्पतालों में रोगियों को अभी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार ने रोगियों के लाभ के लिए अस्पतालों में कैमिस्ट की उचित दर की दुकान खोलने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) दवाइयों के न मिलने के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों को समझते हुए विलिंग्डन और सफदरजंग के दो केन्द्रीय अस्पतालों के अन्दर रोगियों के लाभ के लिए सुपर बाजार औषधि दुकानें खोल दी गई हैं। लेडी हार्डिंग अस्पताल के अहाते में एक खुदरा दुकान खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया था और सुपर बाजार वालों के साथ इस सम्बन्ध में बात-चीत भी

हुई थी किन्तु वे लोग इसके लिए राजी नहीं हुए क्योंकि उन्होंने विलिंग्डन अस्पताल में एक ब्रांच पहले ही खोल दी थी और उसी के नजदीक दूसरी ब्रांच खोलना व्यापारिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं होता।

इर्विन अस्पताल में सुपर बाजार की एक ब्रांच पहले से ही है जहां पर औषध और दवाइयां मिल जाती हैं।

नई दिल्ली स्थित संसद् सदस्यों के बंगलों के सर्वेण्ट क्वार्टरों में ए० सी० कनेक्शन देना

2970. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंडसर प्लेस और फिरोजशाह रोड स्थित संसद् सदस्यों के बंगलों के कुछ सर्वेण्ट क्वार्टरों में ए० सी० कनेक्शन नहीं दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कनेक्शन कब तक दिए जाएंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) संसद् सदस्यों के बंगलों के साथ संलग्न सभी सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली के उपकरण विद्यमान हैं। यदि किसी टेनेन्ट ने बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है तो वे धरोहर राशि आदि जमा करने के पश्चात् नई दिल्ली नगर पालिका से बिजली का कनेक्शन देने के लिए सम्पर्क कर सकते हैं।

संसद्-सदस्यों के बंगलों से लगे सर्वेंट क्वार्टरों में बिजली लगाना

2971. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् सदस्यों को आवंटित बंगलों से लगे दो सर्वेण्ट क्वार्टरों में से केवल एक में बिजली दी जाती है तथा दूसरा बिना बिजली के रहता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक धन आदि जमा करने पर बिजली देने के निदेश दिये जायेंगे ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : क) संसद् सदस्यों को आवंटित बंगलों से सम्बद्ध सभी सर्वेण्ट क्वार्टरों में बिजली लगा दी गई है। तथापि, आवंटियों के कहने पर कुछ बंगलों के कुछ सर्वेण्ट क्वार्टरों से बिजली का कनेक्शन हटा दिया गया है।

(ख) आवंटियों के कहने पर जिन सर्वेण्ट क्वार्टरों की बिजली काटी गई थी, उनमें आवंटियों के निवेदन पर यह पुनः लगाई जा सकती है।

कलकत्ता में नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र

2972. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता में एक नौवहन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र में दिये जाने वाले प्रशिक्षण का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस केन्द्र में केवल भारतीय कर्मचारियों को ही प्रशिक्षण दिया जाता है या विदेशी विद्यार्थियों को भी इस केन्द्र में प्रवेश पाने की अनुमति होगी; और

(घ) क्या देश में इसी प्रकार के अन्य केन्द्र स्थापित करने का कोई भी प्रस्ताव है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बात क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) संभवतः माननीय सदस्य समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय और प्रशिक्षणपोत 'भद्रा,' जो कलकत्ता में कार्य कर रहा है, का उल्लेख कर रहे हैं।

(ख) समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय समुद्री इंजीनियरी में प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करता है। एक वर्ष में 100 प्रशिक्षणार्थी भर्ती किए जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की अवधि चार वर्ष है।

रेटिंगज प्रशिक्षण पोत 'भद्रा' युवकों को व्यापारी बेड़े में कार्य करने के लिए नाविकों के रूप में तैयार करता है। पाठ्यक्रम की अवधि 6 महीने है।

(ग) अभी तक कोई विदेशी प्रशिक्षणार्थी दाखिल नहीं किया गया है।

(घ) अन्य स्थानों पर निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थाएं पहले ही हैं :

(1) **प्रशिक्षण पोत राजेन्द्र (भूतपूर्व टी० एस० डफरिन), बम्बई**

यह उन प्रशिक्षणार्थियों, जो व्यापारी बेड़े के डैक विभाग में अधिकारी के रूप में अपना सेवा-जीवन आरम्भ करते हैं, को सुविधाएं प्रदान करता है।

(2) **लाल बहादुर शास्त्री नाटीकल तथा इंजीनियरिंग कालेज, बम्बई**

यह उन व्यापारी बेड़े के अधिकारियों, जो व्यावसायात्मक परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हों, को समुद्रपार सम्बन्धी उन्नत तकनीकी हिदायतें देता है।

(3) **रेटिंगज प्रशिक्षण पोत 'मेलखा' विशाखापत्तनम**

(4) **रेटिंगज प्रशिक्षण पोत स्थापना 'नौलक्षी' नवलखी (गुजरात)**

(3) और (4) में उल्लिखित संस्थाएं व्यापारी बेड़े में नाविकों के रूप में कार्य करने के लिए युवकों को प्रशिक्षण देती हैं।

गोआ में एक मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग अकादमी की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है जो कि उन प्रशिक्षणार्थियों, जो प्रशिक्षणपोत 'राजेन्द्र' तथा समुद्री इंजीनियरी प्रशिक्षण के निदेशालय में प्रवेश कर रहे हों, को एक वर्ष का संयुक्त प्रशिक्षण देगा।

पश्चिम बंगाल में यूरिया की चोर-बाजारी

2973 **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल और विशेषरूप से दक्षिणी 24-परगना में यूरिया की बहुत चोरबाजारी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पिछले महीनों के दौरान, उर्वरकों, विशेषरूप से यूरिया सम्बन्धी कमी से कुछ व्यापारियों द्वारा लाभ उठाने के कुछ मामले और पश्चिमी बंगाल और दक्षिणी 24-परगना में चोर-बाजारी के कुछ मामलों की सूचना मिली है।

(ख) राज्य सरकार ने, जो राज्य में उर्वरकों के वितरण के लिए उत्तरदायी है, दक्षिणी 24-परगना जिला सहित कमी वाले क्षेत्रों में 12, 000 मीटरी टन यूरिया की व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार ने राज्य के बाहरी संसाधनों से अतिरिक्त यूरिया प्राप्त करने के लिए भी प्रबन्ध किए हैं। राज्य सरकार ने निवारक उपायों के रूप में राज्य में सांवधिक अधिकतम मूल्य से अधिक बेचने वाले 36, जिनमें से 4 दक्षिणी 24- परगना के भी सम्मिलित हैं, अपराधियों के विरुद्ध दण्डनीय अभियोजन कार्यवाही भी आरम्भ कर दी है।

नई दिल्ली पूसा में आयोजित कृषि मेले में किसानों के लिए व्यवस्था

2974. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, पूसा, नई दिल्ली में रबी कृषि मेला आयोजित हुआ था;

(ख) क्या सरकार ने देश भर के किसानों के इस संस्था में आने के लिए व्यवस्था की थी; और

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से भाग के किसान संस्था के मेले में आए ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) रबी कृषि विज्ञान मेला 15 से 17 मार्च, 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली-12 में आयोजित किया गया था। यह मेला संसद् सदस्यों के लिए 18 मार्च, 1972 के दोपहर तक भी जारी रखा गया।

(ख) कृषकों तथा कृषि में अभिरुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों को कृषि विज्ञान मेले का अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से विभिन्न माध्यमों से मेले की विशिष्टियां पहले प्रकाशित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न किए जाते हैं। अपने सम्बन्धित राज्यों तथा संस्थाओं में इसका प्रचार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं/विभागों को परिपत्र भेजे गए :—

1. कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति।
2. विस्तार निदेशक कृषि विश्वविद्यालय।
3. राज्यों के कृषि विभागों के निदेशक।
4. विस्तार निदेशक, राज्यों के कृषि विभाग।
5. कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य।
6. ग्राम-सेवक प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रधानाचार्य।
7. ग्राम-सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों की प्रधानाचार्य।
8. कृषि महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के शाखाध्यक्ष/प्रधानाचार्य
9. शिक्षा निदेशक, दिल्ली प्रशासन।
10. दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य।
11. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के माध्यमिक तथा आधारित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक।
12. रजिस्ट्रार, दिल्ली विश्वविद्यालय।
13. संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के पब्लिक स्कूलों के प्रधानाचार्य।

इसके अतिरिक्त, सारे देश में कृषकों की जानकारी के लिए कृषि विज्ञान मेले की प्रमुख विशिष्टियों के विज्ञापन निम्नलिखित समाचार-पत्रों में दिये गए :—

1. हिन्दुस्तान (हिन्दी)
2. हिन्दुस्तान (अंग्रेजी)
3. नवभारत टाइम्स
4. मिलाप
5. इंडियन एक्सप्रेस
6. टाइम्स आफ इन्डिया
7. पैट्रिओट

इसके अतिरिक्त आकाशवाणी तथा टेलीविजन (दिल्ली क्षेत्र) द्वारा भी कृषि विज्ञान मेला के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

(ग) लगभग 9,000-10,000 कृषकों ने मेला देखा।

कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए गेहूँ के वसूली मूल्यों में एकरूपता का होना

2975. **श्री निहार लास्कर :**

श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मूल्य आयोग ने रबी की फसल के लिए सभी राज्यों में गेहूँ के वसूली मूल्य में एकरूपता की सिफारिश की है, यदि हां, तो आयोग ने क्या मूल्य निर्धारित किया है;

(ख) सभी राज्यों में एक समान मूल्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) गेहूँ के मूल्य के निर्धारित करने का क्या आधार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मूल्य आयोग अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित नहीं करता है बल्कि केवल अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करता है ताकि उस पर सरकार विचार कर सके। उन्होंने यह सिफारिश की है कि 1972-73 के विपणन मौसम के लिए सभी राज्यों के लिए देशी लाल गेहूँ का अधिप्राप्ति मूल्य 66 रुपये प्रति क्विटल और देशी साधारण सफेद और विभिन्न किस्मों का मैक्सिकन गेहूँ का 72 रुपये प्रति क्विटल का एक-सा मूल्य निर्धारित किया जाए।

(ख) अधिप्राप्ति तथा निर्गम मूल्य एक-से निर्धारित करने से खुले बाजार के मूल्यों में अन्तर्राज्यीय असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है।

(ग) अधिप्राप्ति मूल्यों की सिफारिश करते समय आयोग ने (1) मौजूदा मूल्यों पर गेहूँ की मांग का उसकी सप्लाई से अपेक्षाकृत कम होना, (2) देशी गेहूँ के वितरण में आर्थिक सहायता देने के लिए अब तक सहारे के रूप में उपलब्ध आयातित गेहूँ की अपेक्षाकृत कम इकनामिक लागत का होना, और (3) अनाज का बढ़ा हुआ भण्डार जैसी बातों को ध्यान में रखा है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल में दूध को मद्यसारिक पेय में बदलने की प्रक्रिया

2976. **श्री निहार लास्कर** :

श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूध को मद्यसारिक पेय में बदलने की प्रक्रिया का मानकीकरण करने में राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान पनीर जल से अशराब बनाने की लागत और व्यापारिक स्तर पर इसके उत्पादन की सम्भावना के सम्बन्ध में प्रयोग कर रही है और इस दिशा में संस्थान को कहां तक सफलता मिली है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल को पनीर बनाने वाले पदार्थ से जो चीज और पनीर बनाने में एक उप-उपवाद और प्रत्यक्षरूप में दूध से नहीं मद्यसारिक पेय बनाने की प्रक्रिया का मानकीकरण करने में सफलता मिली है।

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्थान, करनाल पनीर बनाने में काम आने वाले पदार्थ के फर्मेन्टेशन से लगभग 12 प्रतिशत अलकोहल वाला मद्यसारिक पेय बनाने में सफल हुआ है।

(ख) पनीर जल से उसके वसा तल को 0·05 प्रतिशत से कम करने के लिए वसा अलग की जाती है और पी० एच० को सिट्रिक एसिड के साथ 3·5 तक समंजित किया जाता है; तत्पश्चात् तरल पदार्थ को आधे घण्टे तक एक डबल जैकटिड स्टीम चैस्ट में भाप दी जाती है। ठंडा करने के बाद सोडियम मेटा बिसलफाइट के रूप में परीक्षात्मक एस० ओ० 2 की 100 पी० पी० एम० को परिरक्षण के लिए मिला दिया जाता है। इस घुले हुए तरल पदौर्थ को एक ठंडे कमरे (5-10 ओ० सी०) में रात भर रखा जाता है।

इस पदार्थ में अपेक्षित अल्कोहल की प्रतिशतता को ध्यान में रखते हुए गन्ने की चीनी मिला दी जाती है। महक देने के लिए रस में मुनक्का मिला दिए जाते हैं। तत्पश्चात् इस बने हुए पदार्थ को 4 प्रतिशत के स्तर पर खमीर के उत्पादन के साथ निवेशित कर दिया जाता है।

उबाले जाने के दौरान आधे घन्टे तक पनीर जल को बार-बार हिलाया जाता है और फिर उबलने के शेष समय तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके बाद साफ तरल वस्तु को दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है और लगभग 25 ओ० सी० पर पकने के लिए रख दिया जाता है। पके हुए खमीरयुक्त पदार्थ में दुग्धशर्करा मिला दिया जाता है ताकि अपेक्षित रंग दिया जा सके। पूरी तरह तैयार किए गए पदार्थ में लगभग 12 प्रतिशत अलकोहल होता है।

(ग) पनीर जल से बनाए जाने वाले मद्यसारिक पेय के लाभों का एक प्रयोगशाला में 25 लिटर के छोटे पैमाने के उत्पादन पर अनुमान लगाया गया है जो निम्नलिखित है :—

सामग्री की लागत	23·20
बोतलों तथा कार्कों की लागत	18·70
प्रक्रिया लागत	6·20
पारिश्रमिक लागत	20·00
अवसाद	2·70
पूंजी लागत (पूंजी पर अधिकतम सूद तथा उपकरण का मूल्यह्रास)	6·00
कुल	76·80
प्रति बोतल (750 मि० लि० क्षमता) लागत	2·50

चूंकि यह संस्थान एक अनुसंधान संस्था है, वाणिज्यिक पैमाने पर मद्यसारिक पेय का उत्पादन शुरू नहीं किया गया है।

विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच सम्पर्क के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

2977. **श्री निहार लास्कर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस समय हमारे विश्वविद्यालयों में जो बुराइयां विद्यमान हैं उनका कारण विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच सम्पर्क का अभाव है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) हाल में एक प्रेस साक्षातकार में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने शिक्षा संस्थाओं के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं/कठिनाइयों के सम्बन्ध में किए गए एक प्रश्न के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि अधिकांश कठिनाइयां अत्यधिक नामांकन और इसकी तेजी से बढ़ती दर के कारण हैं तथा इस स्थिति में विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच कम ही प्रभावकारी सम्पर्क होगा। उनके अनुसार भारी नामांकन और अत्यावश्यक शैक्षिक सुधार और विकास का सामना करने के लिए विश्वविद्यालयों को उपलब्ध साधन और साथ ही उनका संघटनात्मक ढांचा बहुत अपर्याप्त हैं।

सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई टिप्पणी से सामान्यत: सहमत है। उच्च शिक्षा के विकास के लिए सीमित साधनों के अन्तर्गत निधि प्रदान करने के हेतु प्रत्येक प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यलयों के लिए सांविधानिक प्रस्तावों को तैयार करने में विश्वविद्यालयों के संघटनात्मक ढांचे, विश्वविद्यालय के मामलों में छात्रों के भाग लेने, छात्र परिषदें और संयुक्त अध्यापक छात्र समितियां स्थापित करने आदि के सम्बन्ध में 'विश्वविद्यालय अभिशासन' विषयक गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को भी विचार में रखा जा रहा है।

जीवन बीमा निगम की नई आवास योजना

2978. **श्री निहार लास्कर :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जीवन बीमा निगम ने बस्तियों के निर्माण के लिये एक नई आवास योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है जिसमें बने मकान बीमाशुदा लोगों को 'अपने मकान में रहिये' योजना के अन्तर्गत दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली में आवास-समस्या को हल करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं। भारत का जीवन बीमा निगम एक स्वायत्त निकाय है, इस द्वारा पूंजी लगाने के बारे में सरकार की स्वीकृति अपेक्षित नहीं होती।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में मकानों की कमी को हल करने के लिए दिल्ली प्रशासन इस मंत्रालय की (i) निम्न आय वर्ग आवास योजना (ii) मध्यम वर्ग आवास योजना (iii) ग्रामीण आवास परियोजना स्कीम जैसी तीन सामाजिक आवास योजनाएं चला रहा है और पात्र व्यक्तियों को उनके मकानों के निर्माण के लिए ऋण सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भी प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार मकानों के निर्माण पर 1972-73 में 22.48 करोड़ रुपये तथा 1973-74 में 26.53 करोड़ रुपये योजना के अतिरिक्त खर्च किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त भारत का जीवन बीमा निगम मालवीय नगर के निकट दिल्ली में शेख सराय पर एक टाउनशिप के निर्माण का विचार कर रहा है और दिल्ली विकास प्राधिकरण से 46.1 एकड़ भूमि के क्रय के लिए बातचीत कर रहा है।

बंगला देश और वहां से आये शरणार्थियों की आवश्यकता को देखते हुए खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदम

2979. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश और उससे आए शरणार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोई आपातकालीन खाद्य उत्पादन कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न आपात खाद्य उत्पादन कार्यक्रमों के फलस्वरूप उत्पादन में होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में अभी जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है।

भारत और पोलैंड के बीच सांस्कृतिक करार

2980. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या भारत और पोलैण्ड के बीच हाल ही में किसी सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) किसी सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये थे किन्तु भारत और पोलैण्ड के बीच 7 फरवरी, 1972 को एक सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये थे। पोलैण्ड के साथ यह चौथा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम है।

(ख) इस कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और खेलकूद, प्रेस, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्रों में सहयोग और विनिमय तथा अध्येताओं, वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, लेखकों, कलाकारों के भ्रमण के जरिए कुछ विविध विषयों के लिए और प्रदर्शनियों, कला मंडलियों, रेडियो कार्यक्रमों, प्रकाशनों आदि के आदान-प्रदान और छात्रवृत्तियां देने के संबंध में ध्यान रखा गया है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए धनराशि

2981. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल कितनी धनराशि केन्द्रीय अनुदान के रूप में मंजूर की गई है;

(ख) उक्त राज्य मे प्रत्येक सड़क के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है; और

(ग) प्रत्येक सड़क पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1775/72]

श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क दिल्ली

2982. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 31 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4544 और 4545 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्यामा प्रसाद मुकर्जी पार्क कालोनी के उस भाग में जहां निर्माण-कार्य की अनुमति दे दी गई है, सेवाओं में कमियों की लागत वहन करने के लिए वहाँ के निवासियों को क्यों कहा गया है जबकि वे विकास व्यय की समूची राशि सम्बद्ध कालोनाइजर को दे चुके हैं;

(ख) क्या दिल्ली नगर निगम की इस देर से की गई कार्यवाही से वहाँ के निवासी आधारभूत नागरिक सुविधाओं से वंचित हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि उक्त कालोनी के निवासियों को तत्काल नागरिक सुविधाएँ प्राप्त हो जायें ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्र की जा रही है तथा शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

2983. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य पर गत तीन वर्षों में कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राज-मार्गों पर हो रहे कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) 1 अप्रैल, 1947, जब से भारत सरकार ने कुछ सड़कों, जिन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग वर्गीकृत किया गया है, के विकास तथा देखरेख की जिम्मेदारी संभाली है, से 31-3-1972 (जिसमें 1971-72 के लिए अन्तिम आवंटन शामिल है) तक राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास पर कुल परिव्यय 308 करोड़ रु० था। भौतिक शब्दों में (1971-72 में प्रत्याशित उपलब्धि के आधार पर) इस अवधि में हुई प्रगति निम्न प्रकार है:—

(1)	नया निर्माण कार्य (लुप्त कड़ियाँ, उपमार्ग, बदल मार्ग आदि)	3387 कि० मी०
(2)	बड़े पुल	185 नं०
(3)	निम्न स्तर पुक्के खंडों का सुधार	18,000 कि० मी०
(4)	इकहरे गली खंडों को दोहरी गली के लिए चौड़ा करना।	8,800 कि० मी०

चौथी योजना मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में नये मार्ग बनाने के लिए 15 करोड़ रु० की व्यवस्था भी शामिल है। इस व्यवस्था में से, 1971-72 में इस पद्धति में 4891 कि० मी० की कुल लम्बाई की सड़कें और बनाई गयीं। इन सड़कों का यथासमय विकास करके राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर तक लाया जायेगा।

(ख) 74.13 करोड़ रु० (जिसमें 1971-72 के लिए अन्तिम आवंटन शामिल हैं)

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और योजनाएँ समय-समय पर यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार बनाकर निष्पादन की जाती हैं।

विश्वविद्यालयों में आमूल परिवर्तन

2984. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा हाल ही में विश्वविद्यालयों में आमूल परिवर्तन करने का सुझाव दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) हैदराबाद में 28 फरवरी, 1972 को "शिक्षा के कुछ दिए गए पहलुओं पर मोतीलाल नेहरू स्मारक व्याख्यान के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ सुधारों का सुझाव दिया था। व्याख्यान के सम्बन्धित उद्धरण संलग्न हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1776/72]

(ग) अध्यक्ष ने ये सुझाव अपने व्यक्तिगत आधार पर दिए। फिर भी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वह इनकी जाँच करे तथा सरकार के विचारार्थ इन पर अपने विचार भेज दे।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय टोकियो एवं बसेडा (जापानी) विश्वविद्यालयों के बीच छात्र विद्वानों का आदान-प्रदान

2985. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान में 21 मार्च, 1972 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, टोकियो के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं बसेडा विश्वविद्यालय के अध्यक्षों के बीच विद्वानों के आदान-प्रदान के बारे में कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वार्ता का सार क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति यूनेस्को के एशियाई राष्ट्रीय आयोगों की प्रादेशिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के नेता की हैसियत से भाग लेने के लिए मार्च 1972 में टोकियो गये थे। उन्होंने टोकियो और बसेडा विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों से मुलाकात की। बातचीत के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और उनके दोनों जापानी विश्वविद्यालयों के बीच अध्येताओं और अध्यापकों के पारस्परिक आदान-प्रदान की वांछनीयता के प्रश्न पर विचार विनिमय किया गया किन्तु, कोई ठोस प्रस्ताव सामने नहीं आया।

कृषि विश्वविद्यालयों का बाहुल्य

2986. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि विश्वविद्यालयों के बाहुल्य पर विचार किया है जहाँ से पास होने वाले स्नातक बहुधा बेकार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध कृषि विश्वविद्यालयों का अनुचित बाहुल्य नहीं है। राष्ट्रीय नीति के अनुसार 16 राज्यों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कृषि परिषद सहित 17 कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय बढ़ाने के सम्बन्ध में बिलकुल प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। वास्तव में इनमें से अधिकांश महाविद्यालय जो कि पहले राज्य के विभिन्न परम्परागत विश्वविद्यालयों में सम्बद्ध थे, उन्हें अब राज्य में कृषि विश्वविद्यालयों के एकीकृत नियन्त्रण में लाया गया है, जिससे कि ये विश्वविद्यालय बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिए प्रवेशों को नियमित कर सके हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

Buffer Stock of Wheat for Bangla Desh

2987. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to maintain reserve stock of wheat for Bangla Desh also this time ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Smoking Causes Cancer

2988. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government propose to urge upon the cigarette manufacturing companies that every packet of cigarettes should invariably bear the words "Its smoking causes dangerous diseases like cancer" thereon ; and

(b) if so, the time by which it is proposed to be done ?

The Minister of Works and Housing and Health and Family Planning (Shri Uma Shankar Dikshit) : (a) & (b). The matter is being examined.

एम० डी० और एम० एस० पाठ्यक्रमों में आयुर्वेदिक स्नातकों का दाखला

2989. **श्री मुल्की राज सेनी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आयुर्वेदिक इन्टिग्रेटेड ग्रेजुएटों को, जिनके पास ऐसे विश्वविद्यालयों की पंचवर्षीय डिग्री हो जहां भारतीय चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा का अध्ययन कराया जाता हो, और एम० डी० और एम० एस० के लिए आधुनिक चिकित्सा के स्नातकोत्तर चिकित्सा कालेजों में दाखिला मिल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो पात्रता की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Board for Agricultural Machines and Implements

2990. Shri M. C. Daga : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Department of Agriculture had set up a Board for agricultural machines and implements on 7th April, 1963 ;

(b) if so, the functions thereof and the steps taken so far by the Board to accomplish these functions ; and

(c) the total expenditure incurred thereon during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The functions of the Board are (i) to review programmes of manufacture, servicing and maintenance of power tillers, tractors, agricultural implements, etc. ; (ii) to review from time to time availability and distribution arrangements of the above items ; (iii) to review the credit requirements for/and popularisation of the above equipment ; and (iv) any other matters concerning the industry engaged in the manufacture and distribution of the above machinery and implements. The Board has held 5 meetings and considered matters like the assessment of a realistic demand for tractors, power tillers etc., requirements of specialised machinery for sugarcane, potatoes, cotton etc., removing of bottlenecks in the supply of raw materials to the implement manufacturers, development of employment potential by Agro-Industries Corporations as also Private manufacturers etc. The recommendations of the Board were brought to the notice of all concerned for their guidance and necessary action wherever required.

(c) There is no direct expenditure incurred by the Board. The expenditure incurred by way of T. A., D. A. etc. of the official members coming from outside is borne by their respective departments as in other cases of official tours. The non-official members bear their own expenses.

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्य में वृद्धि

2991. **श्री टी० बालकृष्णया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई किये जाने वाले दूध के मूल्य में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक दूध की बोतल पर कितना मूल्य बढ़ाया जायेगा और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के लिए कम मूल्य की राज सहायता-प्राप्त पुस्तकें

2992. **श्री अमरनाथ चावला :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व पुस्तक मेले के उद्घाटन के सिलसिले में कम मूल्य की राज सहायता-प्राप्त पुस्तकें तैयार करने के लिए दिए गए सुझावों पर क्या विशेष कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): कम मूल्य की सहायता-प्राप्त पुस्तकें तैयार करने की आवश्यकता सरकार के ध्यान में है और वह सामान्य अध्ययन तथा शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अच्छी अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए राज्य तथा केन्द्रीय दोनों स्तरों पर कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इस में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस की सरकारों के सहयोग से विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के कम मूल्य के संस्करण तैयार करना, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के माध्यम से भारतीय लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर तथा संदर्भ पुस्तकों के निर्माण में सहायता देना; और बाल पुस्तक-न्यास द्वारा तैयार की जाने वाली बाल-पुस्तकों के उचित मूल्य की पुस्तकें तथा आम पाठकों के लिए, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा तैयार की जाने वाली पुस्तकें शामिल हैं। आगे, यूनीसेफ से कागज उपहार प्राप्त होने से, 1,100 स्कूलों को नि:शुल्क विज्ञान पाठ्य पुस्तकें देना संभव हो सका है।

अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्रति एकड़ उपज

2993. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित अनाज की अधिक उपज देने वाली किस्मों से प्रति एकड़ कितनी उपज प्राप्त होने की आशा है; और

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए इसी की पोषण क्षमता कितनी होगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) गेहूं, मकई, चावल तथा सौरगम जैसे खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों की उपज में प्रबन्ध की परिस्थितियों के अनुसार अन्तर होता है। सिफारिश की गई सस्य विज्ञान सम्बन्धी पद्धतियों के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई गेहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों से 60 क्विन्टल प्रति हैक्टर की उपज की आशा की जा सकती है। चावल की अधिक उत्पादनशील किस्मों की उपज में 50 से 70 क्विन्टल प्रति हैक्टर का अन्तर होता है जो उनकी परिपक्वता की अवधि कर निर्भर करता है। मकई की अधिक उत्पादनशील किस्में जिनमें विभिन्न संकर किस्में सम्मिलित हैं 50 से 60 क्विन्टल प्रति हैक्टर उपज होती है और सौरगम की किस्मों से 50 क्विन्टल प्रति हैक्टर उपज होती है।

(ख) हाल के वर्षों में खाद्यान्नों के पोषक गुण के सुधार के लिए प्रयास किए गए हैं और इस सम्बन्ध में मकई की कुछ किस्में विशेषरूप से महत्वपूर्ण हैं। दो ओपेक्यू-2 मकई कम्पोजिट्स शक्ति तथा रत्न लिसाइन में बहुत उपयोगी है और पशु तथा बच्चे को खुराक देने के परीक्षणों में उनकी पोषण शक्ति का प्रदर्शन हो चुका है। इनमें से कुछ परीक्षणों के दौरान मकई की ओपेक्यू-2 किस्में सप्रेटा दूध के गुणों के समान गुणयुक्त हैं। मकई की इन किस्मों और गेहूं की पोषण रूप से उन्नत किस्मों की अभिवृद्धि की जा रही है ताकि वे हमारी जनता के स्वास्थ्य में वृद्धि कर सकें।

टी० डी० मेडीकल कालेज, एलेपी केरल की एम० बी० बी० एस० डिग्रियां

2994. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद टी० डी० मेडीकल कालेज, एलेपी, केरल की एम० बी० बी० एस० डिग्रियों की मान्यता समाप्त करने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में परिषद की औपचारिक सिफारिश प्राप्त होने पर इस विषय पर विचार किया जाएगा।

तेल्लीचेरी पत्तन का सुधार

2995. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेल्लीचेरी नगर परिषद द्वारा पारित इस आशय का कोई संकल्प

प्राप्त हुआ है जिसमें सरकार से अनुरोध किया गया है कि तेल्लीचेरी पत्तन का सुधार किया जाए तथा इसका और अधिक कारगर रूप से प्रयोग किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो उक्त सकल्प की मुख्य बात क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) (१) भारतीय खाद्य निगम द्वारा तेल्लीचेरी और कन्नूर के लिए खाद्यान्न का आयात तेल्लीचेरी पत्तन से किया जाये ।

(२) तेल्लीचेरी और कन्नूर के व्यापारियों, जो अपनी काली मिर्ची तथा पर्वतीय पदार्थों के निर्यात के लिए अन्य पत्तनों पर निर्भर हैं, को इन वस्तुओं का निर्यात तथा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं का आयात तेल्लीचेरी पत्तन से करने की अनुमति दी जाये ।

(३) इन व्यवस्थाओं के किए जाने से तेल्लीचेरी पत्तन पर उपस्करों का उपयोग ठीक ढंग से होगा और बिगड़ती हुई स्थिति दूर होगी और फिर व्यापारियों को अपने समय की बचत होगी और यह रोजगार उपलब्ध कराने के सुअवसर भी पैदा करेगा ।

(४) एक पत्तन अधिकारी और एक विद्युत अधिदर्शक की तुरन्त नियुक्ति की जानी चाहिए ताकि पत्तन कार्यालय सही ढंग से कार्य कर सके और माल की आयात निर्यात के लिए आवश्यक विद्युत क्रेनों का उपयोग ठीक प्रकार से किया जा सके ।

(ग) चूंकि बड़े पत्तनों के अलावा अन्य पत्तनों के विकास कार्यकारी उत्तरदायित्व सम्बन्धित समुद्री राज्य सरकारों का है, अतः तेल्लीचेरी नगरपालिका के अध्यक्ष महोदय को यह सलाह दी गई है कि वे इस मामले में केरल की राज्य सरकार से बातचीत करें ।

भारत-नार्वे परियोजना सम्बन्धी समझौते का नवीकरण

2696. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नार्वे परियोजना के सम्बन्ध में भारत और नार्वे के बीच हुआ समझौता मार्च, 1972 में समाप्त हो गया है; और

(ख) क्या समझौते के नवीकरण के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार नार्वे सरकार संयुक्त राष्ट्र के बीच मार्च, 1967 को हस्ताक्षर किया गया समझौता, समझौते की धारा 5 के अनुसार 31-3-72 को समाप्त हो गया है । तथापि नार्वे सरकार ने भारत सरकार के मीन उद्योग विकास कार्यक्रम के लिए यह कार्यक्रम आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है । इसी बीच भारत सरकार के अनुरोध पर 5 नार्वे विशेषज्ञ 31-12-1972 तक परियोजना पर कार्य करते रहेंगे । इन विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों, जो भी नार्वे एजेन्सी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए भारत भेजे जायें की पदवी को विनियमित करने के लिए मार्च, 1967 में हस्ताक्षर किये समझौते के अनुबन्ध 3 की अवधि बढ़ाने के लिए भारत सरकार और नार्वे सरकार ने एक समझौता किया है, जिसमें इसकी

अवधि 31-12-72 तक या दोनों सरकारों के बीच तकनीकी सहयोग सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर की तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी गई है ।

केरल में संस्कृत के अध्ययन के लिए संस्थान

2997. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में संस्कृत के अध्ययन और अनुसन्धान के लिए विश्वविद्यालय स्तर के एक उच्च संस्थान की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने हेतु केरल सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाजकल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) केरल सरकार से इस सम्बन्ध में कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं आया है । तथापि राज्य सरकार ने उस एक सदस्यीय आयोग की प्रारंभिक रिपोर्ट की प्रतियां भेजी हैं, जो राज्य में संस्कृत के अध्ययन और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालय स्तर की एक उच्च संस्था स्थापित किए जाने के हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में उसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। राज्य सरकार ने यह भी अनुरोध किया है कि जब यह आयोग दिल्ली का दौरा करे तब इसे आवश्यक सहयोग तथा सहायता दी जाए ।

केरल पोर्ट्स लैंडिंग एण्ड शिपिंग फीस बिल

2998. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के मामले और छोटे सभी पत्तनों पर लागू, सामान्य नियमों के बारे में केरल पोर्ट्स लैंडिंग एण्ड शिपिंग बिल की एक प्रति केरल राज्य सरकार की ओर से केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस मामले में केन्द्र ने क्या निर्णय किया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) विधेयक की एक प्रति संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1777/72**] खंड 3 (1) (डी) को लोप करने और खड 3 को संशोधन करने या उद्ग्रहण का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा को निर्दिष्ट करने वाला एक पृथक खड बनाने के अधीन विधेयक की स्वीकृति सूचित करदी गई है । कुछ अन्य सुझाव भी राज्य सरकार के विचारार्थ भेजे गये हैं ।

आंध्र प्रदेश में प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना

2999. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अनुमति और सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय राज्य में संघटक एकक के रूप में सभी इंजीनियरी कालेजों को समाविष्ट करेगा, और नई पाठ्यचर्या निर्धारित करने तथा नए अध्ययन पद्धतियों के विकास एवं मूल्यांकन को तैयार तथा विकास करने के लिए इंजीनियरी शिक्षा का नवीकरण और रचनात्मकता लाने के बारे में उद्योगों से निकट का सम्पर्क स्थापित करने के लिए स्वायत्तता प्रदान करेगा ।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से इस योजना की जांच करके अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है ।

छोटे तथा सीमांतक (मार्जिनल) किसानों के विकास की योजनाओं के लिए 1971-72 के दौरान किया गया राज्य-वार आवंटन

3000. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 के दौरान छोटे तथा सीमान्तक किसानों के लाभ की योजनाओं के लिए राज्य-वार क्या व्यवस्था की गई थी और उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ; और

(ख) उनकी अधिक सुचारु क्रियान्विति की पुष्टि से क्या कार्यवाही की जानी है ?

कृषि मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1778/72]

(ख) समय-समय पर कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जा रहा है और क्षेत्रीय अनुभव तथा अध्ययनों के सन्दर्भ में उनमें संशोधन किए जाते हैं । राज्य सरकारों और संघ क्षेत्र प्रशासनों से, जिनका कार्यक्रमों की क्रियान्विति से निकट का सम्बन्ध है, भी अपेक्षित सहायता प्रदान करने की सलाह दी गई है । प्रगति का पुनरीक्षण करने और क्रियान्विति में आने वाली कठिनाइयो पर विचार करने के लिए हाल ही में इस माह की 11 से 13 तारीख तक एक राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया था । इस विचार गोष्ठी की सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आवासीय भूमि के लिए मंजूर की गई राशि का उपयोग

3001. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए वर्ष 1971-72 में आवासीय भूमि के लिए दी गई राशि में से वास्तव में कुल कितनी राशि का उपयोग हुआ है और प्रत्येक राज्य में प्राप्त किये गये लक्ष्य क्या हैं; और

(ख) राशि के उचित उपयोग के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अन्तर्गत गृह-स्थलों के लिए कोई अलग योजना नहीं है । एक विवरण-पत्र, जिसमें गंदे व्यवसायों में लगे व्यक्तियों की काम करने और रहने-सहने की परिस्थितियों को सुधारने, जिसमें गृह-स्थलों की व्यवस्था भी शामिल है, की मिली-जुली योजनाओं के लिए दी गई धनराशि तथा 1971-72 के दौरान मकानों/गृह-स्थलों के लिए राज्य क्षेत्र के अधीन अनुमानित खर्च संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1779/72] वर्ष 1971-72 के अभी-अभी समाप्त होने के कारण प्राप्त किए गए भौतिक लक्ष्यों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कार्यकारी दलों के विचार-विमर्श के दौरान राज्यों के प्रतिनिधियों से यह देखने के लिए निवेदन किया गया था कि क्या इन योजनाओं के लिए धन राशियों का पूरा उपयोग किया गया है ।

अस्पतालों में बिजली से चलने वाले उपकरणों के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की सेवाएं

3002. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहां राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में सूक्ष्म उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव का पूरा प्रबन्ध है वहां दिल्ली में अस्पतालों के बिजली से चलने वाले बहुत से चिकित्सा-उपकरण, मरम्मत और रखरखाव के अभाव में बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन अस्पतालों के इन उपकरणों को चालू हालत में लाने के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं की सेवाओं का उपयोग न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन अस्पतालों में बेकार पड़े उपकरणों का ब्यौरा क्या है तथा इन अस्पतालों के नाम क्या हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) से (ग) दिल्ली के अस्पतालों में उपस्करों की मरम्मत और रख-रखाव की स्थिति विषयक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 1780/72]

पटेल नगर में सुपर बाजार की बिल्डिंग का गिराया जाना

3003. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटेल नगर स्थित 'सुपर बाजार' की इमारत को 'अनधिकृत कब्जे' के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा गिरा दिये जाने की आशंका है ;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इमारत के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये का ऋण दिया था और यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनधिकृत स्थान पर इमारत बनाने के लिए ऋण किस आधार पर दिया था ; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण और 'सुपर बाजार' के बीच विचार-भिन्नता के मुख्य कारण क्या हैं और उन्हें किस प्रकार दूर किया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल): (क) सुपर बाजार ने पटेल नगर में जिस भूमि पर बिल्डिंग बनायी थी वह दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उनको पूर्णतया अस्थायी आधार पर तथा अन्य बातों के साथ-साथ इस शर्त पर पट्टे पर दी गई थी कि पट्टा किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन के नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा। यह भूमि उस क्षेत्र का एक भाग है जिस पर वृहत योजना के अधीन एक डिस्ट्रिक्ट पणन केन्द्र स्थापित किया जाना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसलिये सुपर बाजार के अधिकारियों से परिसर को खाली करने के लिए कहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण पटटे की शर्तों के अनुसार भूमि वापिस लेने का प्रयत्न कर रहा है। परिणाम स्वरूप दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा सुपर बाजार के बीच इस कारण से मतभेद का प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी की बिक्री पर नियन्त्रण

3004. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी की बिक्री पर पुन: नियंत्रण लगाने अथवा खुले बाजार में बिक्री के कोटे को कम करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) फिलहाल, चीनी उद्योग को बिक्री के लिए निर्मुक्त की गई चीनी के मासिक कोटे का 60 प्रतिशत नियंत्रित माध्यमों से अनौपचारिक आधार पर वितरित किया जा रहा है, 3-1/2 प्रतिशत निर्यात के लिए प्रयोग म लाया जाता है और शेष 36-1/2 प्रतिशत खुले बाजार में बिक्री क लिए उपलब्ध ह। इस मामले की समीक्षा की जा रही है।

गजरात में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक

3005. **श्री डी० पी० जदेजा :**
श्री बेकारिया :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक हैं जिनको संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है; और

(ख) इन स्मारकों के संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन : (क) गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक 179 हैं, जिनके नाम संलग्न सूची में दिए गये हैं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०** 1781/72]

(ख) स्मारकों के अनुरक्षण और पहरे तथा निगरानी के लिए स्मारक परिचर, स्मारक मार्जक, उद्यान परिचर और झाड़ूकश हैं । इसके अलावा उपलब्ध धन के अन्तर्गत प्रत्येक स्मारक की आवश्यकताओं के अनुसार विशेष मरम्मतें की जाती हैं । इस प्रकार गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित खर्चा किया गया :—

वर्ष	वार्षिक अनुरक्षण और देखरेख	विशेष मरम्मतें
1969-70	58,908/=	1,08,578/=
1970-71	41,496/=	53,383/=
1971-72	1,04,187/=	92,885/=

गुजरात में पुरातत्वीय खोज

3006. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में पुरातत्वीय खोजें की गई हैं और यदि हाँ, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में और आगे खोजें की जानी हैं; और

(ग) क्या खोजों के आधार पर कोई सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां । पिछली दो शताब्दियों के दौरान खोजे गए महत्त्वपूर्ण स्थलों तथा खोदे गए स्थलों की क्रमानुसार दो सूचियां सभा पटल पर रख दी गई हैं । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०** 1782/72]

(ख) जी हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सूरत जिले में खोज के कार्यक्रम का पालन करेगा तथा कच्छ जिले के सुरकोटडा में खुदाई कार्य भी जारी रखे है । इसके साथ ही राज्य पुरातत्व विभाग से साबरकांठा जिले में खोज कार्य और प्रभास पतन, जिला सोरठ में खुदाई कार्य के लिए तथा एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा से अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, बनसकांठा और बड़ौच जिलों में 1972-73 के दौरान समस्या-उन्मुख खोज कार्य चालू रखने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । सरकार द्वारा इन प्रस्तावों पर समुचित ध्यान दिया जाएगा ।

(ग) जी हां । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1953-54 से खोजों तथा खुदाइयों की संक्षिप्त रिपोर्ट इंडियन आर्किओलौजी-एरिव्यू-भारतीय पुरातत्व— एक समीक्षा —में प्रकाशित की गई हैं । गुजरात में दिए गए नवीनतम खोज तथा खुदाई कार्यों के अन्य उल्लेखनीय प्रकाशनों की सूची भी सभा पटल पर रख दी गई है ।

उत्तर प्रदेश और बिहार में नेपाल सीमा के साथ वाली सड़कों को आपस में जोड़ना

3007. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल की सीमा के साथ-साथ बिहार होकर जाने वाली सड़कों को उत्तर प्रदेश

की सीमा से लेकर फार्बसगंज तक मिला दिया गया है अथवा कुछ भागों का मिलाया जाना शेष है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में दरभंगा जिले में पिपराघाट को बाबू बराही और राजनगर से मिलाने के लिए कमला नदी पर पुल तथा भारतीय क्षेत्र में कोसी नदी पर बांध एवं पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) संभवत: माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश में बरेली से बिहार होकर असम मे अमीनगांव तक के पार्श्ववर्ती सड़क का उल्लेख कर रहे हैं। कोसी नदी पर दरभंगा और फार्बसगंज के बीच कोई सड़क नहीं है। सड़क के इस भाग का संरेखन कोसी पर पुल के स्थान के चुनाव पर निर्भर करता है। चूँकि संरेखन को अभी अतिम रूप नहीं दिया गया है। अत: इस समय यह कहना संभव नहीं है कि कमला नदी पर पुल कहां बनेगा।

मिथिला विश्वविद्यालय

3008. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय के बारे में 20 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 800 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दरभंगा में आधुनिक मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव की जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) मामला अभी तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा पाने वाले व्यक्ति

3009. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त कर के हर वर्ष कितने विद्यार्थी निकलते हैं;

(ख) इनमें से कितने कृषि क्षेत्र में प्रवेश करते हैं; और

(ग) इस समय कितने स्नातकोत्तर स्तर के व्यक्ति बेरोजगार हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारत में समस्त स्नातकोत्तर कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से वर्ष 1970-71 के दौरान स्नातकोत्तरों (एम. एस. सी-कृषि) की वार्षिक संख्या लगभग 1250 थी। वर्ष 1967-68 और 1968-69 में यह संख्या क्रमश: 1,372 और 1,632 थी।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) रोजगार दफ्तरों के मौजूदा रजिस्टरों में दिनांक 31-12-71 को कृषि स्नातकोत्तरों की संख्या 682 थी।

राज्यों की राजधानियों में युवा केन्द्रों की स्थापना

3010. **श्री बी० के० दास चौधरी :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत युवक समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति ने सरकार से कहा है कि राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवा वर्ग को भाग लेने के अवसर देने के लिए सभी राज्यों की राजधानियों में युवा केन्द्रों की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इन के तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) भारत युवक समाज से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

छोटे किसानों के लिए विपणन सम्बन्धी सुविधाएं

3011. **श्री वी० मायावन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे किसानों को मंडियों में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : (क) छोटे किसानों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक समस्या पर्याप्त विपणन सुविधाओं का कमी है।

(ख) लघु कृषक विकास एजेन्सी योजना के अन्तर्गत परिसंस्करण एकक, भडारणों की स्थापना तथा अन्य अवस्थापनात्मक सुविधाओं सहित एक कार्यक्रम विपणन सुविधाओं के विकास का भी है। एजेन्सियां पूंजीगत लागत के लिये अनुदान तथा प्रबन्धकीय राज-सहायता देकर वर्तमान संस्थाओं की सहायता करती है और इसी प्रकार नयी सहकारी संस्थाओं के संगठन में भी ये सहायता कर सकती है। छोटे कृषकों को अपना उत्पाद विपणन समितियों के माध्यम से बेचने के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एजेन्सियों द्वारा ब्याज पर 2% छूट दी जाती है।

भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन तथा परिसंस्करण अवस्थापना के विकास में महत्वपूर्ण कार्य करता है।

कृषि उत्पादों के लिये थोक-विक्रय मंडियों का नियमन तथा विक्रय से पूर्व कृषकों के उत्पादों का श्रेणीकरण करने के लिये श्रेणीकरण एककों की स्थापना भी मंडियों में छोटे कृषकों को सौदा करने की शक्ति सुदृढ़ करती है।

गर्भपात के लिए औषधि का विकास करने के लिए अनुसंधान

3012. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गर्भपात के लिए खाने की किसी औषधि का विकास करने हेतु कोई अनुसंधान कार्य किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कृषि के लिए विमान-सेवा का विस्तार

3013. **डा० रानेन सेन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि में हुए विकास और विस्तार को ध्यान में रखते हुए कृषि के लिये विमानों के और अधिक प्रयोग की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी, हां।

(ख) उपयुक्त कृषि वायुयान बनाने (जब तक ऐसे वायुयान काफी मात्रा में उपलब्ध न हों) और आवश्यक आयातों की व्यवस्था करने के लिये देशीय क्षमता का विकास करके कृषि विमानन उद्योग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। 82 वायुयानों के अभिग्रहण के लिये 60 लाख डालर ऋण के लिये विश्व बैंक से पत्र व्यवहार किया गया है और 24 विशिष्ट कृषि वायुयानों के आयात के लिये चैकोसलोवाकिया के साथ व्यापार योजनाओं में व्यवस्था की गई है। द्विपक्षीय करार के अन्तर्गत यूगोस्लाविया से 9 वायुयानों के आयात के लिये और 1.10 करोड़ रुपये के विमानों की, जिनमें रूस से प्रति वर्ष 5 वर्ष तक हैलीकाप्टर मंगाना भी सम्मिलित है, व्यवस्था की गई है।

चीनी का कारखाने के बाहर मूल्य

3014. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

देश में चीनी का कारखाने के बाहर मूल्य कितना है जिसमें गन्ने की लागत, उत्पादन लागत, शुल्क, लाभ और टूटफूट प्रभार शामिल हों ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : चीनी का निकासी मूल्य गन्ने की कीमत, संयंत्र की दक्षता तथा क्षमता, गन्ने से चीनी की उपलब्धि और पिराई मौसम आदि की अवधि पर निर्भर करता है, ये सभी तथ्य प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक कारखाने में भिन्न-भिन्न होते हैं। तथापि, सरकार ने वर्ष 1969-70 और 1970-71 के दौरान स्वयं अभिग्रहण की गई चीनी का मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा अभिस्तावित जोनों और लागत अनुसूचियों के अनुसार निर्धारित किया है। जैसाकि टैरिफ आयोग ने सितम्बर, 1969 में प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी, पांच वर्षों अर्थात् 1963-64 से 1967-68 तक की औसत पिराई अवधि और औसत उपलब्धि पर आधारित गन्ने से चीनी बनाने का प्रभार गुजरात में 19.43 रुपये प्रति क्विंटल से मध्य प्रदेश में 72.95 रुपये प्रति क्विंटल के बीच है। इन में किसी वर्ष विशेष में पिराई मौसम की वास्तविक अवधि और उपलब्धि के अनुसार समायोजन करना ही पड़ेगा। टैरिफ आयोग की रिपोर्ट के बाद गन्ने से चीनी बनाने की लागत में कुछ वृद्धि हुई है। इसका ज़ोन वार वास्तविक ब्यौरा अभी उपलब्ध नहीं है। चीनी पर इस समय उत्पादन शुल्क 30 प्रतिशत मूल्यानुसार है। टैरिफ मूल्य जिसके आधार पर

उत्पादन शुल्क का निर्धारण किया जाता है, में घट-बढ़ होने के कारण उत्पादन शुल्क की वास्तविक राशि प्रत्येक मास अलग-अलग होती है । ऊपर बतायी गई स्थिति की दृष्टि में देश में चीनी की निकासी लागत बताना कठिन है ।

तमिलनाडु के छोटे और बड़े पत्तनों के सुधार की योजनाएं

3015. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के छोटे और बड़े पत्तनों के सुधार की कौन-कौन सी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार का कुछ और योजनाओं को हाथ में लेने का विचार है, और यदि हां, तो उनका सार क्या है और उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राज बहादुर : (क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से तमिलनाडु में छोटे पत्तनों के सुधार के लिए जो परियोजना समय क्रियान्विति के अन्तर्गत है, उसका सम्बन्ध कुड्डालोर पत्तन से है ।

(ख) इस परियोजना में पनकट दीवारों का निर्माण और कुछ नदी साधक निर्माण कार्य शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

Books Missing from Library of Banaras Hindu University

3016. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether a number of books are missing from the Library of the Banaras Hindu University ;

(b) whether Government have received any report from the University authorities in this regard and if so, the main points thereof ; and

(c) whether any action has been taken or is being taken against the officers responsible therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) According to the information furnished by the Banaras Hindu University, losses of books much above normal have been noticed by the University on a test check done in some sections of the library during February, 1972. The University proposes to undertake comprehensive stock taking of the whole library during the next Summer vacation. Exact loss will be known only after the proposed check has been completed.

Request for G. D. R. Tractors from Madhya Pradesh

3017. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of tractors imported from G. D. R. and supplied to Madhya Pradesh during the last two years ;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh have requested the Central Government to supply more tractors even after the said period ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) 1,998 nos. of RS-09 tractors were imported from G. D. R. during 1969-70. No RS-09 tractors were allotted to Madhya Pradesh.

(b) No request was received from the Govt. of Madhya Pradesh for supply of more RS-09 tractors.

(c) Does not arise.

Publishers and Readers of Books in India

3018. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of **Education and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether the number of publishers and readers of books in India is less as compared to many other countries ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures to remedy the situation ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) to (c) In the absence of any statistics relating to the number of publishers in different countries was well as the number of readers, it is difficult to make any comparative study.

2. What, however, is known is that India produces per year 22 book titles per million of population against 32 book titles for Asia and 418 for Europe. Although it has been held that India is the second largest book producing country in Asia (this does not take into account the statistics of the Republic of China, because they are not available) and the eighth book producing country in the world, the per capita production of books, as stated above, indicates that there is scope for large scale expansion in book production activities. Various measures have been taken for promotion of books and for fostering of reading habits, such as publication of popular books, production of low-priced paperbacks, subsidised textbooks at school and college levels etc. The expansion of book production is also related to the general industrial expansion in the country.

काजू उत्पादक राज्यों को केन्द्रीय राजसहायता

3019. **श्री समर गुह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू का उत्पादन बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार विभिन्न काजू उत्पादक राज्यों को राजसहायता देती है जिससे कि इसके निर्यात से अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके ।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले में कन्टई उप-प्रभाग में काजू की खेती करने वालों को भी उसी तरह वित्तीय सहायता देगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिया में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। भारत सरकार राज्यों को निम्न मदों पर सहायता दे रही है।

1. प्रत्येक काजू की गुटी पर 20 पैसे की राजसहायता।

2. बनस्पति रक्षण रसायनों पर प्रति एकड़ 25 रुपये की राजसहायता।

3. प्रदर्शन प्लाटों के लिए प्रत्येक 2 एकड़ के प्लाट के लिए 300 रुपये की राजसहायता।

4. काजू की गुटियों के उत्पादन और वनस्पति रक्षण उपायों से सम्बन्धित योजनाओं और विपणन सर्वेक्षण विषयक योजनाओं के अधीन कर्मचारियों का व्यय।

(ख) और (ग) वर्ष 1971-72 के दौरान भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कन्टई उप-प्रखण्ड सहित क्षेत्रों में कृषकों को खेती की उन्नत पद्धतियों में प्रशिक्षित करने के लिए प्रदर्शनों के आयोजन हेतु सहायता प्रदान की गई है। किन्तु, राज्य सरकार ने अन्य मदों के अन्तर्गत सहायता नहीं मांगी है। जब कभी राज्य सरकार उपयुक्त योजना प्रस्तुत करेगी उन्हें सहायता दी जाएगी।

Housing Facilities to Employees of Autonomous Bodies

3020. Shri Narendra Singh Bisht : Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether the Central Government provide housing facility, as is done in the case of Central Government employees, to employees of autonomous bodies, whose entire expenditure is borne by them ;

(b) if not, the reasons therefor ;

(c) whether Government have under consideration any proposal to provide housing facility to them keeping in view the large number of autonomous bodies in Delhi and the large number of employees working therein ; and

(d) whether the Central Government provide this facility to the employees of the Delhi Administration ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) & (b). General pool accommodation under the administrative control of the Directorate of Estates is meant for officers employed in eligible offices who are required to reside on duty in Delhi with the Government of India or the Delhi Administration. Employees of autonomous bodies are not eligible for allotment of accommodation from the general pool. There is already an acute shortage of accommodation for the employees working in eligible offices and it has been possible to provide accommodation in Delhi/New Delhi only to about 43% of the employees working in eligible offices. The remaining 57% of the employees working in eligible offices have to fend for themselves. In view of this, it may not be possible to take additional responsibility in respect of employees of autonomous bodies.

(c) Government have decided that Public Enterprises may, if economics justify, be permitted to undertake construction projects for their own staff. Some of the autonomous bodies are constructing residential accommodation for their staff at Delhi.

(d) At present, employees of the Delhi Administration are eligible for allotment of accommodation from the general pool. The Delhi Administration has started constructing residential accommodation in their own pool and it has been decided that, as and when the percentage of satisfaction in their pool is comparable to that in the general pool in Delhi, the staff of the Administration will be declared ineligible for allotment from the general pool.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में काम के घन्टे

3021. **श्री अनन्त प्रसाद शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान भवन तथा अन्य स्थानों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियमित कर्मचारियों (ध्वनि कर्मचारियों) और कार्य भारित कर्मचारियों के काम, के घन्टों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो यह अन्तर क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस अन्तर को दूर करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैकल्पिक फसलों सम्बन्धी नीतियों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय फसल बोर्ड की स्थापना

3022. **श्री बी० आर० शुक्ल :**
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक ने हाल में यह सुझाव दिया था कि देश में वैकल्पिक फसलों सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण करने हेतु एक राष्ट्रीय फसल बोर्ड की स्थापना करना आवश्यक है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय कृषि सांख्यिकी समिति के तत्वावधान में डा० राजेन्द्रप्रसाद स्मारक भाषण-माला के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महा-निदेशक ने, देश के विभिन्न भागों के लिए विभिन्न मौसम माडलों पर आधारित वैकल्पिक फसल नीतियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने, ऐसी फसल योजनाओं के विकास के लिए एक राष्ट्रीय फसल योजना बोर्ड के संगठन का सुझाव दिया।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

कलकत्ता विश्वविद्यालय की डी० फिल० डिग्री के बारे में भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशें

3023. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने यह सिफारिश की है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की डी० फिल० डिग्री को पोस्ट-ग्रेजुएट चिकित्सा अनुसंधान अर्हता के समान मान्यता न प्रदान की जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बात से अवगत है कि इस प्रकार मान्यता न देने का अर्थ वरिष्ठ अनुसंधान कर्मचारी और उक्त डिग्रीधारी प्रोफेसरों के बीच भेदभाव बरतना होगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय चिकित्सा परिषद् की सिफारिश को अस्वीकार करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अभी तक ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

Production of Sugarcane and its Supply to Sugar Mills and Crushers

3024. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the total production of sugarcane during the year 1971-72 and the part thereof supplied to sugar mills ;

(b) the quantity thereof supplied to the crushers for 'Khandsari' and the quantity utilised for producing 'gur' ; and

(c) the arrangements being made by Government to make sugar lying with the sugar mills available to consumers at fair price with a view to check the rising prices ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b). The estimate of sugarcane production during the year 1971-72 is not yet available. However 269.84 lakh tonnes of sugarcane was crushed by sugar mills during the current year 1971-72 upto the 22nd March, 1972. In the absence of an estimate of production of sugarcane and the fact that the crushing season is still continuing, it is not possible to estimate the part of sugarcane production utilised for production of sugar, gur and khandsari during 1971-72.

(c) A scheme is already in force with effect from the 1st of January, 1972, under which 60 per cent of the released quota of sugar, made available to the Government by the sugar industry every month at a fixed price on a voluntary basis, is being allotted to State Governments for distribution mainly to domestic consumers through fair price shops.

Burning of Sugar-cane in Farms

3025. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether sugarcane was burnt in large quantity in farms on account of failure of sugar mills to crush sugarcane to their full capacity during 1969-70 ; and

(b) whether sugarcane was sown in lesser quantity in 1971 as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a). There was a report in the Press in April, 1970, about Haryana farmers having decided to burn their cane but the State Government intimated that there was no such report with them. Similarly, the Punjab Government also intimated that they had no such report. No report regarding the burning of sugarcane in any other State in the year 1969-70 came to the notice of the Government.

(b) Does not arise.

Supply of Sugar to Public

3026. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision in the Chief Ministers' Conference held last year that 70 per cent of sugar would be controlled and supplied to the public ;

(b) whether the decision taken in the said conference was ignored after some time ; and

(c) if so, the reasons for this relaxation ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a). The sugar policy was not discussed at any of the Chief Ministers' Conferences held last year.

(b) & (c). Do not arise.

केरल के क्विलोन जिले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के स्नातक

3027. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे केरल, विशेषकर क्विलोन जिले में, गत तीन वर्षों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कुल कितने व्यक्तियों ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर की योग्यता प्राप्त की;

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को अब तक रोजगार मिल गया है;

(ग) क्या उपरोक्त के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है। इसे एकत्रित करने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे।

खाद्यान्न के समर्थन मूल्य

3028. **श्री विक्रम महाजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गेहूं की विभिन्न किस्मों और अन्य खाद्यान्नों के लिए क्या समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) समर्थन-मूल्य कम करने के कारण क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1972-73 मौसम के लिए अधिप्राप्ति मूल्य सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति मूल्यों पर निर्धारित मानक किस्म की पेश की गई सभी गेहूं को खरीदने के वायदे को दृष्टि में रखते हुए, सरकार गेहूं का न्यूनतम साहाय्य मूल्य निर्धारित नहीं कर रही है। 1971-72 के विपणन मौसम के लिए देशी (लाल) किस्म को छोड़कर सभी किस्मों के गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य 76·00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। देशी (लाल) गेहूं का मूल्य 71·00 और 74·00 रुपये के बीच निर्धारित किया गया था।

1971-72 के मौसम के लिए खरीफ के खाद्यान्नों के साहाय्य मूल्य सभी राज्यों के लिए एक-से निम्न प्रकार निर्धारित किए गए हैं :—

	रु० प्रति क्विंटल
धान (मानक किस्म)	46·00
ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी।	45·00

बुआई मौसम से पहले ही न्यूनतम साहाय्य मूल्यों की घोषणा की जाती है। तथापि, कटाई मौसम के शुरू होने से पूर्व घोषित अधिप्राप्ति मूल्यों पर सभी खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति की जा रही है। क्योंकि उत्पादकों द्वारा पेश किए गए सभी खाद्यान्नों को अधिप्राप्ति मूल्यों पर अधिप्राप्त किया जा रहा है, वास्तव में ये मूल्य साहाय्य-मूल्य की भूमिका अदा कर रहे हैं। 1971-72 मौसम के लिए अधिप्राप्ति मूल्य इस प्रकार हैं :—

	रु० प्रति क्विंटल
धान (मानक किस्म)	47·00 और 58·00 रुपये के बीच।
ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी (केन्द्रीय सरकार की तरफ से खरीदारी के लिए)	55·00 रुपये।

भारत में क्षय रोग के रोगी

3029. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी :**
श्री देवेन्द्र सिंह गार्चा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रेस को दिए गए इस समाचार से अवगत है कि भारत में क्षय रोग से पीड़ित 20 लाख रोगी इस रोग को अन्य व्यक्तियों में फैला रहे हैं;

(ख) इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस रोग को रोकने तथा इसका इलाज करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रेस को दिए गए समाचार की एक प्रतिलिपि संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1783/72**]

(ग) देश में राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की क्रियान्विति पहले से ही की जा रही है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसके अधीन राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । देश भर में क्षय रोग से पीड़ित रोगियों के प्रभावी उपचारार्थ इस कार्यक्रम में जिला क्षय रोग केन्द्रों की स्थापना, उन्नयन, क्षय रोग पृथक्करण पतंग तथा क्षय रोग केन्द्रों को क्षय रोग निरोधी औषधियों की सप्लाई करने की व्यवस्था है ।

20 वर्ष से कम आयु के लोगों को निरोधी उपाय के रूप में बी० सी० जी० का टीका लगाया जा रहा है । जिला क्षय रोग केन्द्र वर्तमान स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संस्थाओं के सहयोग से सभी जिलों में रोग का पता लगाकर उसका उपचार करने तथा बी० सी० जी० का टीका कार्यक्रम को चलाने के लिए आधारभूत भूमिका अदा करते हैं ।

जमाकर सुखाई गई वेक्सीन के बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए गिन्डी स्थित बी० सी० जी० की प्रयोगशाला के विस्तार करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं ।

काशीपुर पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को बन्द करना

3030. **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के काशीपुर में भारतीय खाद्य निगम के दो गोदामों को बन्द करने का आदेश दिया गया है; और

(ख) कितने चावल को मानव उपभोग के योग्य नहीं बताया गया है, सरकार को इससे कितनी हानि हुई और इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां । इस गोदाम के दो शेड बन्द कर दिए गए थे क्योंकि इन दो शेडों में घटिया किस्म के संदिग्ध चावल की कुछ मात्रा देखी गई थी । प्रयोगशालाओं में इन स्टाकों के प्रतिनिधि-नमूनों के विश्लेषण किए जा रहे हैं ।

मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई मात्रा और परिणामी क्षति के बारे में अनुमान, विश्लेषण का परिणाम उपलब्ध होने पर ही, लगाया जाएगा।

दिल्ली में संगीतज्ञों एवं कलाकारों को आवास-स्थानों का आवंटन

3031. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय दिल्ली में रह रहे प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं कलाकारों को मकान आवंटित करने के विचार से सरकार ने कुछ मकानों का 'पूल' बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इन संगीतज्ञों एवं कलाकारों को कितने मकान आवंटित किए गए हैं और कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) दिल्ली में रह रहे प्रसिद्ध कलाकारों को (मकान) आवंटित करने के लिए फिलहाल कोई पृथक् पूल नहीं है परन्तु मामला विचाराधीन है। तथापि, प्रख्यात कलाकारों को सामान्य पूल से चार मकान तदर्थ आधार पर आवंटित किए गए हैं।

परिवार नियोजन के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3032. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन मैडिकल ऐसोसिएशन द्वारा हाल ही में दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्मेलन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ख) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) (क) 12 से 16 मार्च, 1972 तक नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा आयोजित परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पूर्णाधिवेशन के समापन पर स्वीकृत सुझावों और प्रस्तावों का मजमून परिशिष्ट में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1784/72]

(ख) सम्मेलन के सुझाव और प्रस्तावों पर जो भारत सरकार को हाल ही में मिले हैं विचार किया जा रहा है।

अनुसंधान और विकास का कृषि उत्पादन पर प्रभाव

3033. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के क्षेत्र में किए गए अनुसधान और विकास का कृषि समुदाय को कोई लाभ नहीं हुआ जिस के फलस्वरूप उत्पादन में असंतुलन आ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस असन्तुलन को रोकने और इसके कारणों को दूर करने के क्षेत्रों के उचित सन्तुलन और सन्तुलित विकास हेतु, सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अनुसन्धान विकास के क्षेत्रीय प्रयोग आरम्भ किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

जयंती शिपिंग कम्पनी के अंशधारियों को मुआवजा

3034. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जयंती शिपिंग कम्पनी, जिसका कि गत वर्ष राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, के अंशधारियों को कोई मुआवजा दिया है;

(ख) यदि हां, तो कितना मुआवजा दिया गया है; और

(ग) मुआवजा किस रूप में दिया गया है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) सभी हिस्सेदारों को देय समस्त मुआवजे की रकम सम्बन्धी आवश्यक चैक/वचन पत्र/स्टाक प्रमाणपत्र तैयार किए गए हैं सिवाय डा० धर्म तेजा और श्री एम० एम० कुलुकुंडिस के जिनके विरुद्ध कुर्किया हैं। शेष सभी हिस्सेदारों को अपना मुआवजा प्राप्त करने के लिए कहा गया है।

(ख) 3,99,041.42 रुपये।

(ग) लेखा आदाता कोष चैकों, वचन पत्रों या स्टाक प्रमाणपत्रों द्वारा।

इज्जतनगर स्थित भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान में पशुधन-क्रान्ति

3035. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** :
श्री बनमाली पटनायक :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसन्धान संस्थान, इज्जतनगर के वैज्ञानिक पशुधन-क्रांति के लिए कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर में पशु सुधार पर चल रहे अनुसन्धान कार्य में देशीय गाय, भैंस, भेड़ और सूअरों और मुर्गी पालन की औत्पत्तिक क्षमता में सुधार की कल्पना की गई है।

भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने हरियाणा पशुओं का तीन विदेशी नसलों के साथ संकरण का कार्य आरम्भ किया है अर्थात् होलसटीन फ्रीसियन, ब्राऊन, स्विस और जर्सी ताकि डेरी पशुओं का विकास किया जाए जो प्रति श्रवण 2000 लिटर से कम दूध न दें। संस्थान देशीय

भेड़ों का सफांक और डोरसैट जैसी विदेशी नसलों के साथ संकरण कर रही है ताकि मास सप्लाई के लिए एक उचित नसल का विकास किया जाए। संस्था सूअर की दो नसलों पर भी कार्य कर रही है ताकि एक ऐसी नस्ल तैयार की जाए जो शीघ्र बढ़े और उच्च रातिव से उस का स्वास्थ्य सुधार हो। इसके अतिरिक्त अंडे और मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन विकास का एक अनुसंधान कार्यक्रम भी आरम्भ किया है।

(ग) पशुओं भैंसों, बकरियों, भेड़ों, सूअरों और मुर्गियों के प्रजनन, खिलाने, प्रबन्ध और रोग नियन्त्रण हेतु अनुसंधान कार्यक्रम सुशक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

1969-70 से चीनी की वार्षिक आन्तरिक खपत और उसका निर्यात

3036 **श्री के० कोदंडा रामी रेड्डी :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गन्ने की उपज के मौसम की अवधि, गन्ने की पिराई के आंकड़े क्या हैं और 1971-72 में चीनी का कितना उत्पादन हुआ है ;

(ख) वर्ष 1971-72 में चीनी की आंतरिक खपत कितनी थी और उसका कितना निर्यात किया गया है ; और

(ग) क्या इस वर्ष के अन्त में चीनी की कमी होने का अनुमान है और यदि हा, तो सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें चीनी वर्ष 1971-72 (अक्तूबर, 71 से आगे) में 22 मार्च, 1972 तक पिराई मौसम की अवधि, पेरे गए गन्ने की मात्रा और उत्पादित चीनी की मात्रा के राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं।

(ख) चीनी वर्ष 1971-72 में 22 मार्च, 1972 तक चीनी की आन्तरिक खपत और निर्यात की गई चीनी की मात्रा इस प्रकार थी :—

	(लाख मी० टन)
आन्तरिक खपत	18.79
निर्यात	0.56

(ग) इस वर्ष के अन्त तक चीनी की कमी होने का कोई पूर्वानुमान नहीं है क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा बेची जाने वाली चीनी की निर्मुक्ति का विनियमन का वर्ष भर उपलब्ध सप्लाई का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

1971-72 सीजन के लिए 22 मार्च तक राज्यवार पेरे गए गन्ने की मात्रा, चीनी का उत्पादन तथा अवधि सम्बन्धी आंकड़े बताने वाला विवरण।

राज्य	अवधि	अस्थायी हज़ार मी० टन में आंकड़े	
	दिन (कारखाने में प्रति दिन 22 घंटे काम होने के आधार पर)	पेरे गए गन्ने की मात्रा	तैयार की गई चीनी की मात्रा
उत्तर प्रदेश	89	8642	819
बिहार	69	1700	153
प० बंगाल	11	9	1
असम	57	45	4
हरियाणा	108	618	59
पंजाब	75	357	32
राजस्थान	39	84	7
मध्य प्रदेश	57	217	21
उड़ीसा	65	67	6
महाराष्ट्र	134	7819	849
गुजरात	85	742	76
मैसूर	117	1818	197
केरल	49	120	11
आन्ध्र प्रदेश	98	2721	276
तमिलनाडु	95	1891	177
पांडिचेरी	88	134	12

भारतीय विद्यार्थियों को प्रदान की गई विदेशी छात्रवृत्तियां

3037. **श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1970 और 1971 के दौरान भारतीय विद्यार्थियों को राज्य-वार कितनी विदेशी छात्र-वृत्तियां प्रदान की गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : विदेशी सरकारों तथा संगठनों द्वारा शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय को दी गई विभिन्न छात्रवृत्तियों के अधीन विदेशों में पढ़ने के लिए भारतीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विदेशों में अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, अनुसूचित खानाबदोश तथा अर्ध खानाबदोश आदिम जातियों को विदेशों में अध्ययन के लिए समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अधीन भी विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवारों का चयन खुली प्रतियोगिता के द्वारा अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है। राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को छात्रवृत्तियों का कोई निर्धारण नहीं किया जाता है।

1970 तथा 1971 के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अधीन विदेशी छात्रवृत्तियां दिए जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों का राज्यवार बटवारा नीचे दिया गया है:—

क्रमांक	राज्य का नाम	भारतीय छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियों की सं०, 1970	1971
1.	आंध्र प्रदेश	39	33
2.	असम	5	4
3.	बिहार	15	10
4.	गुजरात	1	2
5.	हरियाणा	7	11
6.	हिमाचल प्रदेश	6	3
7.	जम्मू तथा काश्मीर	4	2
8.	केरल	21	25
9.	मध्य प्रदेश	14	16
10.	महाराष्ट्र	28	36
11.	मेघालय	1	3
12.	मैसूर	19	19
13.	नागालैंड	—	—
14.	उड़ीसा	3	8
15.	पंजाब	28	25
16.	राजस्थान	14	19
17.	तमिलनाडु	25	25

18.	उत्तर प्रदेश	69	63
19.	पश्चिम बंगाल	27	30
	संघ क्षेत्र		
1.	चंडीगढ़	1	3
2.	दिल्ली	37	28
3.	गोवा	2	1
4.	मनीपुर	—	1
5.	पांडिचेरी	3	5
6.	त्रिपुरा	—	2
		369	374

विश्व पुस्तक मेला के लिए स्वीकृत की गई धन राशि

3038. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल बुक ट्रस्ट को मार्च, 1972 में विश्व पुस्तक मेला आयोजित करने के लिए कुल कितना धन स्वीकृत किया गया था तथा उसे कितना धन दिया गया था ;

(ख) नेशनल बुक ट्रस्ट ने 'होटल इम्पीरियल' को उसके बाल रूम तथा फरनीचर सहित अन्य स्थान के लिए कुल कितना धन दिया है; अथवा देना है; और

(ग) क्या राजधानी में सरकारी अथवा अर्धसरकारी सभा कक्ष उपलब्ध नहीं था और यदि हां, तो उनको उपयोग में न लाए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) 6,60,000 रुपये।

(ख) इम्पीरियल होटल के हाल तथा प्रकाश व्यवस्था और टेलीफोन, पोर्च की सजावट, पिक्चरों इत्यादि जैसी अन्य सुविधाओं सहित प्रति दिन 500/ रुपये की दर से 17 दिनों के लिए कुल देय राशि 8, 500/ रुपये है।

(ग) विश्व पुस्तक मेले के स्थान और तिथियों में परिवर्तन हो जाने के कारण आडिटोरियम का बहुत कम समय के नोटिस पर प्रबन्ध करना था। सरकारी सभा-भवनों में जिनका इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा सकता था, विज्ञान भवन था, जो उपलब्ध नहीं था, होटल जनपथ का हाल जिसकी मरम्मत की जा रही थी, और मावलंकर हाल जो "कोटि-कोटि जन हेतु पुस्तकें" (बुक्स फार दि बिलियन "राष्ट्रीय लेखक शिविर" (नेशनल राईटर्स कैम्प) इत्यादि पर आयोजित होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार जैसी संगोष्ठियों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं था। इम्पीरियल होटल के पक्ष में जिन बातों का महत्त्व था, वे यह थी कि यह (होटल) विश्व-पुस्तक मेले के स्थान से बहुत ही कम दूरी पर स्थित था, इस हाल का उपयोग उन सभी कार्यकलापों के लिए किया जा,

सकता था, जो मेले के सम्बन्ध में आयोजित किए गए थे और इसका किराया भी वही था जो मावलंकर हाल का है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान

3039. **श्री विश्वनारायण शस्त्री** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितना अनुदान दिया जाता है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : वर्षवार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुस्तक न्यास को सरकार द्वारा दिए गए सहायक अनुदान निम्नलिखित थे :—

	1969-70	1970-71	1971-72
	रुपये	रुपये	रुपये
1 न्यास के सामान्य कार्यकलापों के लिए			
(क) योजनेतर	3,39,000	3,93,081	3,94,324
(ख) योजना	5,50,000	5,80,000	4,20,000
2. शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय पुस्तक न्यास द्वारा संचालित की जा रही योजनाएं।	2,35,500	25,58,065	27,05,022.06
3. विश्व पुस्तक मेले का आयोजन	———	10,000	6,50,000
योग	11,24,500	35,41,146	41,69,346.06

बाघ की गणना

3040. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाघों की संख्या प्रति वर्ष कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1956 में देश में, राज्य-वार बाघों की संख्या, कितनी थी और विभिन्न राज्यों में इस समय बाघों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार ने देश में बाघों का जीवन बचाने के लिए क्या विशेष कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) पहले चीतों की कोई गणना नहीं की गई थी, अतः वर्ष 1956 के सम्बन्ध में देश में (राज्यवार आधार पर) चीतों की संख्या का कोई ज्ञान नहीं है।

कुछ राज्यों ने उनके नामों के समक्ष लिखे वर्षों में अपने राज्यों में चीतों की गणना की थी। राज्यवार आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

क्रम संख्या	राज्य	गणना का वर्ष (अन्तिम)	संख्या
1.	असम	1969	521
2.	उड़ीसा	1968	409
3.	महाराष्ट्र	1971	214
4.	मध्य प्रदेश	1969	1405
5.	नागालैंड	वर्तमान	90

सरकार इस वर्ष चीतों की गणना करा रही है। आगामी वर्ष जांच के उद्देश्य से पुनः गणना की जाएगी। चीतों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी तभी उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) (i) सन् 1969 से सभी राज्यों में चीतों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(ii) सन् 1970 से चीतों की खाल का निर्यात, व्यक्तिगत सामान के रूप में ले जाना भी बन्द कर दिया गया है।

(iii) देश में वर्तमान शिकार नियमों को बढ़ाकर दिया गया है।

मध्य प्रदेश के आदिवासियों का उत्थान

3041. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ग्राम्य क्षेत्रों में तैनात हो जाने पर अध्यापक वहां जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहां पर कम विकास कार्य हो रहे हैं तथा आवास कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने राज्य में आदिवासियों के रचनात्मक शिक्षास्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या रचनात्मक कार्यवाही की है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) (क) तथा (ख) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

गोपालपुर से रायपुर को जाने वाली वर्तमान सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलना

3042. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोपालपुर (उड़ीसा में गंजम जिला) से रायपुर (मध्यप्रदेश) को जाने वाली वर्तमान सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में बदलने संबंधी उड़ीसा की सरकार के प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) बरहामपुर (गोपालपुर के निकट) से रायपुर तक की सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग पद्धति में शामिल करने का उड़ीसा सरकार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हो सका।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Check on Spread of Smallpox in States Adjoining Bangla Desh

3043. **Dr. Govind Das Richhariya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in newspapers in regard to outbreak of small pox in an epidemic form in Bangla Desh ;

(b) if so, the various steps taken by Government to check possible spread of small pox in the States adjoining Bangla Desh and protect the people from it ; and

(c) the long-term steps proposed to be taken keeping in view the possible movement of people for purposes of trade through borders under the recent trade treaty entered into between India and Bangla Desh ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a). Yes. Reports have been received regarding the outbreak of small pox in some areas in Bangla Desh.

(b) The Health authorities of the States adjoining Bangla Desh have been alerted to intensify the border surveillance and vaccination activities in their areas with special emphasis on the districts bordering Bangla Desh so that any imporation of infection could be detected in time and effective preventive measures taken.

(c) As a long-term measure, there will be frequent exchange of information on the small pox situation between Bangla Desh and India. A Small-pox Expert from India has already proceeded to Bangla Desh on the 10th April, 1972, to discuss details for organising anti-small pox activities there and collect more information about the situation in the districts bordering India.

दिल्ली राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड और नारी निकेतन बोर्ड

3044. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड और दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड सरकार द्वारा गठित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन दो बोर्डों का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है और सरकार प्रत्येक बोर्ड में कितने सदस्यों को मनोनीत करती है;

(ग) इन दोनों बोर्डों की अवधि किस तिथि को समाप्त होगी; और

(घ) वर्ष 1970-71 और वर्ष 1971-72 में, अलग-अलग इन दोनों बोर्डों में कितना धन व्यय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के साथ परामर्श करके एक अधिसूचना जारी करके किया जाता है। दिल्ली राज्य नारी निकेतन बोर्ड का गठन दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(ख) इन बोर्डों का गठन दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष को छोड़ कर 16 सदस्य हैं, जिनमें से 9 दिल्ली प्रशासन द्वारा मनोनीत किए गए थे। दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष को दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से मनोनीत किया जाता है।

नारी निकेतन में 16 सदस्य हैं, जिन्हें दिल्ली प्रशासन द्वारा मनोनीत किया जाता है।

(ग) दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा नारी निकेतन बोर्ड के कार्यकाल क्रमशः *14 मई, 1972* तथा 29 अप्रैल, 1972 को समाप्त होने वाले हैं।

(घ)	1970-71		1971-72	
1. दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड	5,25,717.35	रुपए	4,97,143.93	रुपए
2. दिल्ली नारी निकेतन	1,65,373	रुपए	1,99,000	रुपए

संसद सदस्यों के फ्लैटों के बरामदों को चमकाना

3045. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने अपने फ्लैटों के बरामदों को चमकाने के लिये बहुत समय पूर्व सरकार को लिखा था परन्तु अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और उन पर अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) 34 मामले हैं। मितव्ययता के उपाय स्वरूप सरकार ने समस्त रिहायशी भवनों में परिवर्तन तथा परिवर्धन पर प्रतिबंध लगा दिया है, अतः बरामदों पर शीशे लगाना संभव नहीं हो सका। प्रतिबंध के हटते ही निधियों की उपलब्धता होने पर काम आरम्भ कर दिया जाएगा।

विशेष पोषाहार कार्यक्रम

3046. **श्री अचल सिंह : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली राज्य सहित सम्पूर्ण देश में विशेष पोषाहार आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली राज्य समाज कल्याण परामर्शदात्री बोर्ड के द्वारा यह कार्यक्रम दिल्ली में किस तिथि से आरम्भ किया गया है;

(ग) उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक संगठन को कितना धन स्वीकृत किया गया है तथा प्रत्येक में कितने बच्चे हैं; और

(घ) ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं जिनको इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है यद्यपि अधिकारियों द्वारा उनका कार्य संतोषजनक बताया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह कार्यक्रम दिल्ली की शहरी गन्दी बस्तियों में 15-9-1970 से आरम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है न कि दिल्ली राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के द्वारा। अब तक 300 खाद्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं और प्रत्येक केन्द्र 200 बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्रत्येक बच्चे को ब्रेड का एक-दो सलाइस और 4 से 8 औंस तक डबल-टोण्ड दूध दिया जाता है।

दिल्ली में स्वयंसेवी संगठनों को विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान देना

3047. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान दिए गए हैं जिनके नाम वर्ष 1971-72 में दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड की सामान्य सहायता के अनुदान सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं जिनको वर्ष 1971-72 में दिल्ली समाज कल्याण बोर्ड से सहायता अनुदान मिल रहा है और उक्त वर्ष में प्रत्येक को कितना धन स्वीकृत किया गया है; और

(ग) ऐसे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने का मापदण्ड क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी नहीं। यह कार्यक्रम सीधे दिल्ली प्रशासन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अध्यापकों को राजकीय पुरस्कार

3048. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अध्यापकों को प्रतिवर्ष राजकीय पुरस्कार देता है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष राजकीय पुरस्कारों की घोषणा कब की जाएगी; और

(ग) गत वर्ष किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए थे ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) मामला राज्य समिति के विचाराधीन है।

(ग) 1. श्री रमेशचन्द्र पाठक।

2. श्री दामोदर स्वरूप शर्मा।

3. कुमारी सुशील कौर सचदेव।

4. श्री जय दयाल।

5. श्री पी० एम० रुद्र।

6. श्री अविनाश चन्द्र अग्निहोत्री।

7. श्री रिसाल सिंह।

8. श्री ब्रह्मजीत सिंह।

9. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा।

10. श्रीमती विमला गुप्त।

Talks on Setting up Sugar Mills on Co-operative Basis in Uttar Pradesh

3049. **Shri Ram Chandra Vikal :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Chief Minister of Uttar Pradesh has held talks with him to set up some new sugar mills on co-operative basis ;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the time by which approval would be given for the said mills ?

The Minister of Agriculture (Shri F. A. Ahmed) : (a) & (b). Yes, Sir. The Chief Minister of Uttar Pradesh discussed with the Union Minister of Agriculture about the establishment of more new cooperative sugar factories in Uttar Pradesh.

(c) Ten applications received altogether for the establishment of new cooperative sugar factories in Uttar Pradesh are under consideration of the Government and the decision is likely to take some time.

गेहूं की नई किस्मों को उगाने के प्रभाव

3050. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं की नई किस्में उगाने के फलस्वरूप देश में 1980 तक गेहूं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बात के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि किसानों को हानि न हो ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जबकि देश में गेहूं उत्पादन में वृद्धि की अच्छी सम्भावनाएं मौजूद हैं, इस अवस्था में वर्ष 1980 में गेहूं के उत्पादन और मांग के स्तरों का पूर्व निर्धारण करना कठिन है, क्योंकि यह गेहूं और अन्य खाद्यान्नों तथा अखाद्यान्न फसलों की अधिक उत्पादनशील किस्मों के विकास और उन्हें अपनाने की दिशा में प्रगति, फसल प्रतिमान की पारी, गेहूं और अन्य कृषि जिन्सों के मूल्यों में परिवर्तन, खपत प्रतिमानों की पारी और अन्य उद्देश्यों के लिए धान्यों के उपयोग आदि जैसी अनेक बातों पर निर्भर करता है। परन्तु सरकार की सामान्य नीति यह सुनिश्चित करना है कि कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त हो।

पूसा इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली में किसान मेला

3051. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, में एक किसान मेला आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां तो मेले का उद्देश्य क्या है; और

(ग) क्या सरकार के विचार में कोई ऐसा प्रस्ताव है कि छोटे तथा मध्यम स्तर के किसानों के लाभ के लिए इस प्रकार के मेले देश के अन्य भागों में भी आयोजित किए जाएं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान रबी और खरीफ़ के मौसमों में 'कृषि विज्ञान मेला' के नाम से एक किसान मेला आयोजित करता है।

(ख) प्रत्येक मेले का उद्देश्य अलग-अलग होता है जो विशेष फसलों की वर्तमान मांग, पेकेज प्रणालियों, कार्य पद्धतियों, नीतियों और लक्ष्यों पर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, 15 से 18 मार्च, 1972 तक हुए रबी कृषि विज्ञान मेले का उद्देश्य "अधिक लाभ, उत्तम पोषाहार, निर्यात और आत्म-निर्भरता के लिए भारतीय कृषि का नवीकरण" का था।

(ग) देश के विभिन्न भागों में किसान मेलों का आयोजन, कृषि विश्वविद्यालयों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के संस्थानों और केन्द्रों द्वारा किया जाता है। सामान्यत: भारत सरकार के कृषि विभाग का विस्तार निदेशालय, अनुदेशात्मक प्रदर्शनियां, फिल्में दिखाना, प्रकाशनों की बिक्री आदि की स्थापना करके भाग लेता है। विस्तार निदेशालय द्वारा कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्रबन्ध किए जाते हैं, किसानों द्वारा उनको देखने से भी इस उद्देश्य का आंशिक रूप में हल हो जाता है।

राजस्थान में कमी की स्थिति

3052. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के 11 जिलों में लगभग 3,000 गांव अकालग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) राजस्थान के प्रभावित जिलों में अकाल से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा राहत कार्य आरम्भ करने में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्य किया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 9 जिलों के लगभग 2600 गांवों को कमी से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अगस्त तथा सितम्बर, 1971 के महीनों में वर्षा न होने के कारण राज्य के पश्चिमी भागों में पानी की अत्यधिक कमी हो गई है। ट्रकों, रेल टैंकरों तथा ऊंटों द्वारा 152 स्थानों पर पानी ले जाने के प्रबन्ध किए गए हैं। पानी निकालने हेतु 28 स्थानों के लिए राजसहायता मंजूर की गई है। 39 स्थानों पर नलकूप चल रहे हैं और 6 गांवों में नहरें निकाल कर उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया गया है। ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, ग्रामीण रोज़गार के लिए क्रास योजना तथा राजस्थान नहर निर्माण के अन्तर्गत रोज़गार के अवसर प्रदान किए गए हैं।

अब तक चारे की कोई कमी नहीं है और मवेशियों का स्वास्थ्य भी संतोषजनक है।

(ग) सूखे सहित दैवी विपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, यदि सहायता उपाय इतनी अधिक मात्रा में किए जाने हों कि राज्य सरकार अपने स्रोतों से उनका प्रबन्ध करने में असमर्थ होती है, तब राज्य को निर्धारित कार्यविधि के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जाती है। इस संबंध में राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना पड़ता है, जिसके प्राप्त होने पर केन्द्रीय दल स्थल पर अध्ययन करने के लिए राज्य का दौरा करता है। दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्य के साथ मिलकर खर्चा करने के प्रयोजन हेतु खर्चे की सीमा निर्धारित करती है। साधारणतया केन्द्रीय सहायता, राज्य द्वारा शुरू में किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति के माध्यम से दी जाती है, हालांकि राज्य की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उनको अर्थोपाय ऋण भी दिए जा सकते हैं। इस मामले में, राज्य सरकार राज्य का दौरा करने के लिए केन्द्रीय दल को आमंत्रित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

आदिवासियों के कल्याण के लिए उड़ीसा को अनुदान

3053. **श्री गजाधर माझी : क्या शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा को आदिवासियों के कल्याण के लिये अनुदान समय पर दिया जा रहा है;

(ख) क्या राज्य सरकार उस पूरी राशि को पंचायत समितियों को दे रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) राज्य योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय मासिक किश्तों में अग्रिम के रूप में सहायता विमोचित करता है। राज्य सरकार से विलम्ब सम्बन्धी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

Recognition of M. B. B. S. Degree of Patna University By Medical Council of India

3055. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Medical Council of India have refused to recognise the MBBS degrees awarded by Patna University Medical Colleges ; and

(d) if so, the facts in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. D. P. Chattopadhyaya) : (a) & (b). Consequent on some irregularities being detected in the examination results of 1969, the Medical Council of India had recommended that the MBBS Degree of the Patna University granted subsequent to the 31s March, 1969 should be derecognised under section 19 of the Indian Medical Council Act, 1956. On being assured by the Bihar Government that the defects and deficiences will be removed, Government of India have asked Medical Council of India to carry out a fresh inspection and then report.

Delay in Completing Tuticorin Harbour Project

3056. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) when construction work of Tuticorin Harbour, which is in progress for the last many years, is expected to be completed ;

(b) the total expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the details of the facilities likely to be provided to traders of the area after its completion ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raj Bahadur) : (a) By December, 1973.

(b) The initial estimated cost was Rs. 24.40 crores. The revised cost will be higher but the extent of the excess has not yet been fully assessed by Government.

(c) Four berths each of 30 ft. draft will be provided with transit sheds, warehouses, railway sidings, handling equipment etc. Land will be allotted to willing traders on long-term lease basis within the harbour estate for construction of godowns, commercial centres, storage space etc.

Dilapidated Condition of Servant Quarters of M. Ps. Bungalows

3057. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether C. P. W. D. Enquiry Offices, Ferozeshah Road, North Avenue and South Avenue, New Delhi are in receipt of many complaints to the effect that floors of bath-rooms, lavatories and courtyard in the servant quarters provided to M. Ps. are in dilapidated condition, and the drains, doors and flush system are not in working order ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of state in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Replacement of Furniture Provided to Members of Parliament

3058. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some Members of Parliament have written to Government that the furniture provided to them may be replaced by new furniture as it has become very old ;

(b) whether some of the articles of furniture provided to Members of Parliament have become out dated but their rent is being charged at old rates ; and

(c) the number of such cases in respect of which tenders were accepted prior to emergency, but no action is being taken on them at present ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Some articles of furniture have become old but they are still serviceable. Rent for these is charged at the same old rate in accordance with the existing rules.

(c) There is no such case.

Installation of Water Taps in Servant Quarters of M. Ps.

3059. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether some of the servant quarters provided to M. Ps. which come under charge of the C. P. W. D. Enquiry Office, Ferozeshah Road have been provided with different types of watertaps, whereas there are no such arrangements in other quarters ;

(b) whether similar arrangements exist in some of the servant quarters located at North and South Avenue also ;

(c) whether Government would lay down any policy in regrad to installation of same type of watertaps in all the servant quarters provided to M. Ps. ; and

(d) if so, the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Works and Housing (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d). There have been several cases of thefts of brass water taps from common baths and lavateries of servants quarters. Such brass taps are, therefore, being replaced by plastic water taps.

चौथी योजना की अवधि में स्कूलों और कालेजों में खेल-कूद

3060. **श्री एच० एन० मुखर्जी :** क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है,

(ख) खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक संस्थानों को केन्द्र द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ग) इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1785/72]

रोजगार सेवा में केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था का अन्य स्थान पर ले जाया जाना

3061. **श्री चन्द्र शैलानी** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार सेवा में केन्द्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और पुनर्वास विभाग, पूसा, दिल्ली-12 को दिल्ली से बाहर किसी स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) (i) जनसंख्या के नियमित तथा अधिक वृद्धि के कारण भूमि और विभिन्न नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव से दिल्ली में कार्यालय और रिहायशी वास के आगे निर्माण की अत्यन्त सीमित संभावना।

(ii) रिहायशी तथा कार्यालय वास दोनों के मामले में संकुलता को कम करने की आवश्यकता।

(iii) रक्षा, विदेश-कार्य, गृह आदि जैसे मंत्रालयों/विभागों की बढ़ने वाली संभावित गतिविधियों के लिए व्यवस्था करने हेतु जिन को सामरिक तथा अन्य कारणों से दिल्ली में अवश्य ही रखना चाहिए।

राष्ट्रीय बाल बोर्ड

3062. **श्री अचल सिंह** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बाल बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) बोर्ड के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के बजट में कितनी धनराशि रखी गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) तथा (ख) हां। राष्ट्रीय बाल बोर्ड सम्बन्धी ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नही दिया गया है।

(ग) शून्य।

अमरीका द्वारा हनोई पर बमबारी करने के बारे में

RE : U. S. BOMBING OF HANOI

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : वियतनाम का प्रश्न समूचे विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस पर स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत होना चाहिए।

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : मैंने इस पर ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी जिसे स्वीकृत नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव उस मामले पर उठाया जाता है जो मंत्री के अधिकार क्षेत्र में होता है तथा जिस पर सरकार असफल हो जाती है। जहां तक ध्यानाकर्षण का सम्बन्ध है, तीन-चार दिन पहले मैंने एक प्रस्ताव पर अनुमति दी थी।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : U. S. bombing on North Vietnam is a serious matter. Discussion should be allowed on this.

अध्यक्ष महोदय : सरकार जब किसी विषय पर असफल हो जाती है तो स्थगन प्रस्ताव पर अनुमति दी जाती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सुरक्षा परिषद् के सदस्य के रूप में सरकार इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् के समक्ष लाने में असफल हो गई है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : आप अल्पकालीन चर्चा के लिए अनुमति दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता-- उत्तर-पूर्व) : मैंने पहले ही आपको सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुमति देने का मेरा विचार था परन्तु जब आप सभी इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग समय रख लिया जाए···

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : आज ही थोड़ा समय रख दीजिए ताकि सारा सदन अमरीकी नृशंस बमबारी के विरुद्ध आवाज उठा सके।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री राजबहादुर) : हम अल्पकालीन चर्चा के लिए सहमत हैं।

अध्यक्ष महोदय : किस समय ?

श्री एस० ए० कादर (बम्बई दक्षिण-मध्य) : इस विषय पर आज ही नहीं अपितु इसी समय चर्चा की जाए।

श्री राजबहादुर : जब आप चाहते हैं कि चर्चा हो, तो चर्चा कर ली जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम आज दो बजे चर्चा आरम्भ करें ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : The discussion should be initiated at 2.00 P. M.

अध्यक्ष महोदय : उनके पास और भी काम है अतः सरकार 3 बजे चर्चा आरम्भ कर सकती है ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

इंडियन एयरलाइंस के इंजीनियरों द्वारा 'धीरे काम करो' आन्दोलन को पुनः आरम्भ करने का समाचार

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : Sir, I call the attention of the Minister of Tourism and Civil Aviation to the following matter of urgent Public importance and I request that he may make a statement thereon.

"reported revival of 'Go Slow' agitation by engineers of the Indian Airlines following failure of talks with the management on their demands for higher pay and allowances, as a result of which Indian Airlines flights are being delayed or cancelled."

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग तथा अखिल भारतीय वैमानिक इंजीनियर संघ के बीच पहले वेतन-करार की अवधि 27 नवम्बर, 1968 को समाप्त हो गई । संघ ने 29 अप्रैल, 1970 को प्रबन्धकवर्ग को एक नया मांग-पत्र प्रस्तुत किया । दुर्भाग्यवश लम्बी बातचीत के बावजूद अभी तक कोई करार नहीं हो पाया है । इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धकवर्ग ने अपना आखिरी वेतन प्रस्ताव इंजीनियर संघ को 8 फरवरी, 1972 को सूचित कर दिया । 22 फरवरी को संघ ने उक्त प्रस्ताव के प्रति अपनी घोर निराशा प्रकट करते हुए प्रबन्धक वर्ग को एक पत्र भेजा । उसके साथ-साथ ही इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाओं में देरियां प्रारम्भ हो गईं और ये अब भी चल रही हैं । इसका अनिवार्य निष्कर्ष यही निकलता है कि इंजीनियर अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रबन्धकवर्ग पर दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

यद्यपि मैं प्रस्तावों के किसी विस्तृत ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता, मुझे संतोष है कि प्रबन्धक वर्ग द्वारा दिया गया अन्तिम वेतन प्रस्ताव न्याय एवं निःसन्देह उदार है । इण्डियन एयरलाइन्स का प्रबन्धकवर्ग इंजीनियर संघ के साथ मामले पर विचार विमर्श करता रहा है तथा उसने संघ को सूचित किया है कि वह मामले को मध्यस्थता अथवा न्याय निर्णय के लिए देने को तैयार है । मुझे हार्दिक आशा है कि सम्बन्धित इंजीनियर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो इस महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम के कार्य निष्पादन में विघ्न उत्पन्न करेगा अथवा यात्री जनता के लिए विकट असुविधा का कारण बनेगा अथवा राष्ट्रीय हित को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाएगा ।

Shri R. S. Pandey : The pilots and engineers working in Indian Airlines and Air India get a comparatively higher salary and even then they demand for a basic salary of Rs. 2550 p. m. and for Rs. 1500 p. m. as house sent allowance and an additional allowance of Rs. 1500 p. m. to their salary and Rs. 750 p. m. as city compensatory allowance. However

this matter relates to them and the Government. First of all these pilots and engineers submit a demand and then they start go-slow tactics. As a result of these go-slow tactics air flights are considerably delayed. After having waited for a long time it is announced that there will be no flight. This go-slow factic is a national offence. It is a public utility concern and whenever charter of demands have been submitted, the salaries of the employees have been increased.

May I know the salary of these engineers as compared to that of the engineers working in Air Force ?

When negotiation with pilots was going on and a proposal had to be referred to the National Industrial Tribunal for adjudication in which it was mentioned that salary allowance would be increased and at the same time productivity, efficiency and discipline would also have to be improved. May I know whether the pilots were agreed to that proposal or they refused to agree ? What steps have been taken in this regard ?

I request the hon. Minister to give details of their demands. The uneducated engineers and non-graduate engineers who get Rs. Two thousand. What is their demand ? It should be clarified.

What concrete steps are proposed to be taken to stop their go-slow tactics and cancellation of flights ?

Dr. Karan Singh : The hon. Member has rightly said that the go-slow activities of the engineers and pilots is a "national offence". Such activities are not in the national interest.

The hon. Member has also referred to the tendency of the pilots. I agree to that. He has asked about the salary of Air Force engineers as compared to the engineers in Indian Air lines. At this moment I have no figures about that but so far as I know the engineers in Air-Force and Hindustan Aeronatics get very low salary as compared to these engineers.

The hon. Member has termed them uneducated. It is not correct. They are under-graduates and not graduates.

The third thing he asked is about their demands. At present A. M. I. (2) gets Rs. 1587 p. m. and the Assistant Superintending Engineer gets Rs. 2337 p. m. Besides. A. M. I. (1), and A. M. I. (2) are eligible for overtime allowance, all the three categories get shift allowance. Now as per offer of the Management. A. M. I. (2) gets Rs. 1989 p. m. plus overtime allowance plus shift allowance. A. M. I. (1) gets Rs. 2560 p. m. plus overtime allowance plus the shift allowance. The Assistant Superintending Engineer who is not graduate gets Rs. 2955 p. m. plus shift allowance.

श्री वसंतराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : उनकी मांग क्या है ?

Dr. Karan Singh : They demand Rs. 300 / as an additional amount and one has demanded Rs. 800/

The salaries in Aviation Industry are much more than those in other countries, Even with this high salary they are not satisfied and they disrupt flights—now it is beyond my capacity to defend them.

The hon. Member has suggested to refer this matter to the National Industrial Tribunal. That is another thing. Their reasonable demand will be put before the Management and their demand would be accepted. We can refer other matters for arbitration. Even then if such activities take place, it is unfortunate.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : इण्डियन एयरलाइन्स में विलम्ब के दो कारण हैं। पहला इंडियन एयरलाइन्स की सामान्य अकार्यकुशलता तथा दूसरा इण्डियन एयरलाइन्स अपने कर्मचारियों के प्रति उदासीन है। मेंटीनेंस' इंजीनियरों का यह कार्य है कि वे विमान के उड़ने लायक होने का प्रमाण-पत्र दें, परन्तु उन्हें जांच करने के उपकरण समय पर नहीं मिलते हैं।

एयरक्राफ्ट इंजीनियरी एसोसियेशन ने यह घोषणा की है कि वे ऐसे किसी विमान को प्रमाणित नहीं करेंगे जो उड़ने लायक नहीं है। यदि वे ऐसा करते हैं तो इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके विपरीत प्रबन्धक इन व्यक्तियों के प्रति कठोर है ।

इण्डियन एयरलाइन्स ने श्रम सम्बन्धी अपनी मूल नीति में भी परिवर्तन कर दिया है। श्री कुमारमंगलम, तत्कालीन अध्यक्ष ने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की तथा उनमें यह बात तय हुई कि कर्मचारी 15 प्रतिशत मजूरी वृद्धि को स्वीकार कर लेंगे तथा श्री कुमारमंगलम ने आश्वासन दिया था कि भिन्न-भिन्न श्रेणियों में मजूरी में अन्तर रखा जाएगा। आज जब श्रमिक कुछ बात कहते हैं तो प्रबन्धक उनकी बात सुनते तक नहीं हैं और जो लाल-लाल आंखें दिखाते हैं उनकी बात सुनते हैं। इसलिए यह अन्तर बढ़ गया है।

बम्बई में चेकिंग काउन्टर निर्धारित समय से 45 मिनट अथवा एक घंटे बाद में खुलते हैं। एयरलाइन्स निगम के कर्मचारी इतने बेशर्म हो गए हैं कि वे यह घोषणा तक नहीं करते कि चेकिंग काउंटर कब खुलेंगे। हवाई अड्डों पर मंत्रियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। विमानों की उड़ान में यह विलम्ब कब समाप्त होगा ?

क्या इन 200 इंजीनियरों को 'धीरे-धीरे काम करो' गतिविधि के लिए चार्जशीट दिया गया था यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या 'इंजीनियरी एसोशियेशन' ने उन्हें दोषी पाए जाने के लिए चार्जशीट देने का सुझाव दिया है ? एयरलाइन्स प्रबन्ध के क्या निष्कर्ष हैं ? क्या इंजीनियर्स एसोशियेशन ने मंत्री महोदय से हस्तक्षेप करने के लिए अनुरोध किया है ? क्या वह हस्तक्षेप करना चाहते हैं ? क्या श्रम मंत्री तथा पदाधिकारियों के बीच उनकी मांगों को पंचाट के लिए भेजने के लिए कोई बातचीत चल रही है और यदि हां, तो क्या सरकार इस पर विचार कर रही है ?

डा० कर्णसिंह : उड़ान में विलम्ब केवल इंजीनियरों के ही कारण नहीं होता है अपितु आकाश में गिद्ध उड़ते रहते हैं, वे विमानों से टकरा जाते हैं, उस कारण भी ऐसा होता है ।

माननीय सदस्य ने कहा कि इंजीनियरों को विमानों की जांच करने के लिए उपकरण नहीं मिलते हैं। ऐसी कोई शिकायत हमें नहीं मिली है। उनसे कोई ऐसी आशा नहीं करता कि जो विमान उड़ान के लायक नहीं हैं उसे वे प्रमाणित करें।

उन्होंने भिन्न भिन्न संघों में अन्तर के बारे में कहा है। इण्डियन एयरलाइन्स में सात संघ तथा एक अधिकारी संघ है। उन अलग-अलग संघों में सही-सही अनुपात में अन्तर रखना कैसे सम्भव है।

माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि विलम्ब की समस्या कब समाप्त होगी। मैं वक्तव्य में कह चुका हूं कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी।

उन्होंने चार्जशीट करने के प्रश्न का भी उल्लेख किया है। इस बारे में हम उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों से इस प्रकार का बर्ताव और अधिक सहन नहीं करेंगे।

श्री समर गुह (कन्टाई) : एयरलाइन्स के कार्यालय द्वारा मुझे बताए गए आंकड़ों के अनुसार ग्राउन्ड इन्जीनियरों को भत्तों सहित 4000 रुपये से 5000 रुपये प्रति मास तक वेतन मिलता है। उसके बावजूद भी ये लोग 'धीरे-धीरे काम करो' जैसे हथकंडे अपनाते हैं तथा विमान सेवा अस्त-व्यस्त करते हैं, तो फिर उन साधारण श्रमिकों का क्या होगा जिन्हें बहुत थोड़ी मजूरी मिलती है।

मैं उनके प्रति कोई अन्याय नहीं करना चाहता हूँ। उनकी भी शिकायतें हो सकती हैं परन्तु उनकी मांगों को भिन्न ढंग से निपटाया जाना चाहिए। मैं निलम्बन, विस्थापन तथा विदारण के बारे में सही-सही आंकड़े जानना चाहता हूँ तथा क्या सरकार फैसला करने की कोई स्थायी व्यवस्था करेगी जिसे विवादास्पद मामले स्वतः ही सौंपे जायें तथा जिसका निर्णय सरकार तथा कर्मचारियों को मान्य हो ताकि उनकी शिकायतें दूर की जा सकें ?

क्या तकनीशनों को ट्रिप प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करने दिए जाते हैं। यदि इसकी अनुमति दे दी जाएं तो आउट स्टेशन ड्यूटी से छूट मिल सकती है। ग्राउन्ड इंजीनियरों के एक दिन में सात घंटे से दस घंटे तक के समयोपरि भत्ते को ध्यान में रखते हुए क्या, यदि आवश्यक हो, तो नई भर्ती की जाएगी ताकि समयोपरि भत्ता देने से भी छूट मिल सके ?

डा० कर्णसिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इतना अधिक वेतन पाने के बावजूद भी इंजीनियर्स 'धीरे-धीरे काम करो' जैसे हथकंडे अपनाते हैं।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि सही-सही कितनी बार विलम्ब हुआ। हमें प्रतिदिन स्थिति की सूचना मिलती है और इस समय पूरे आंकड़े देना संभव नहीं है। उन्होंने दूसरी बात यह पूछी है कि क्या विवाद निपटाने के लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी ? स्थायी व्यवस्था तो पहले से ही है परन्तु कर्मचारी इसका उपयोग नहीं करते हैं। हमने 'वर्कमैन' को विवाद का फैसला करवाने से कभी मना नहीं किया है।

ट्रिप प्रमाण-पत्र के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

समयोपरि भत्ते का प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है । हम इसका समाधान यही कर सकते हैं, अधिक कर्मचारी रखे जाएँ तथा उन सबको समयोपरि भत्ता दिया जाए । स्थिति की अपेक्षा को देखते हुए इस प्रश्न को ध्यान में रखना होगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य से मुझे घोर निराशा हुई है । विभिन्न संस्थानों और कार्मिक संघों में खटपट चलती रहती है और यह वर्षों से चल रही है । पर यह कहा गया है कि कार्मिक संघ गलती पर हैं । क्या इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया कार्मिक संघों के कार्य में बाधा डालने और उन्हें अपने वैध अधिकारों को प्राप्त करने से नहीं रोकते हैं, उसमें बाधा नहीं डालते हैं ? उचित वेतन पाना हमारा अधिकार है और कार्मिक संघों का काम यह देखना है कि कर्मचारियों को उनका प्राप्य मिले । और जब तक उन्हें उनका प्राप्य नहीं मिलता तब तक कार्मिक संघों को इसके प्रति जागरूक रहना है ।

1965 में खोसला समिति ने यह दृष्टिकोण रखा था कि एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलान्स के कर्मचारियों के बीच समानता होनी चाहिए । पर श्री जे० आर० डी० टाटा, अपने प्रगतिशील व्यक्तित्व के प्रभाव से एयर इण्डिया के पायलटों और इंजीनियरों आदि का वेतन बढ़ाने में सफल हो गए हैं और इससे इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों में असन्तोष होना स्वाभाविक है । क्या सरकार दोनों के कर्मचारियों के वेतन में समानता लाने का प्रयत्न करेगी । इन पिछले वर्षों में यह समानता बनाए रखी गई है अथवा नहीं ?

खोसला समिति ने विशेष रूप से यह उल्लेख किया था कि पायलट, तकनीशियनों और स्थल इंजीनियरों के वेतनमानों में अन्तर न रखा जाए । 1970 में पायलटों को बहुत अधिक वृद्धि दी गई । अन्य श्रेणियों में असन्तोष होना स्वाभाविक था । बहुत से कार्मिक संघ कार्य क्षेत्र में हैं । जब सरकार एक संघ से समझौता करती है, दूसरा भी अपनी मांग लेकर सामने आ जाता है । अतः क्या सरकार सभी संघों से समझौते के लिए संयुक्त वार्ता करेगी ? अप्रैल 1970 में मांगों की सूची प्रस्तुत की गई थी । अब 1972 है और दो वर्ष से वार्ता चल रही है । क्या सरकार पायलटों, इंजीनियरों आदि तथा एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के वेतन में समानता रखने जा रही है ?

कहा जाता है कि हम वार्ता करने को तैयार हैं । क्या यह आपसी बातचीत से तय नहीं हो सकता ? केवल पाइलटों के सम्बन्ध में समझौता किया गया क्योंकि उनके बिना हवाई जहाज नहीं उठाए जा सकते ।

डा० कर्णसिंह : हम आपसी बातचीत करना पसन्द करेंगे । सभा को पता होगा कि 1971 में सरकार ने यह सामान्य निर्देश जारी किया था कि सरकारी उपक्रमों और उसके कर्मचारियों के सभी समझौतों के लिए सरकार की स्वीकृति लेना अनिवार्य है । अतः विवादों के निपटारे के लिए हमेशा आपसी बातचीत की गई थी । कार्मिक संघों की सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए तथा यह देखते हुए कि क्या औचित्यपूर्ण है और क्या अनौचित्यपूर्ण, इस दिशा में प्रयत्न किए गये थे । यह कार्मिक संघ, जिससे चर्चा की गई, एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स दोनों में सक्रिय हैं ।

वेतन पर सीमा लगाने की बात पर विचार किया जा सकता है । खोसला समिति की वेतनमानों की समानता की बात को विस्तार के साथ लागू किया गया है । इन्जीनियरों के वेतनमानों

की समानता के सम्बन्ध में इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया दोनों में सक्रिय संघ से बातचीत चल रही है।

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

'पैट्रियट' में श्री ईश्वर चौधरी की दल सम्बद्धता के बारे में कथित गलत बयानी

Shri Ishwar Chaudhry (Gaya) : I would like to say one thing. There was a report in the "Patriot" of 14th April, 1972 to the effect that Mr. Ishwar Chaudhry, Mr. Bhogendra Jha, Mr. Ramavatar Shastri, Mr. S. M. Banerji, all C. P. I. have invented a new way of changing party loyalties. This report has created a confusion in my Jan Sangh Party. I have always spoken from the plateform of Jan Sangh. I raise the question of privilege.

I want your protection in this connection.

Mr. Speaker : I had written to the paper in this connection. They say that the report was received from the News Agency. They are ready to correct it. I will write to them. Please give me in writing.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम

संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटरगाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (58)/71—टी० पी० टी० में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1763/72]

आसाम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व का वितरण संशोधन आदेश

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 की धारा 56 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आसाम पुनर्गठन (मेघालय) राजस्व का वितरण संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 247 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1964/72]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और खुदाबख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं श्री डी० पी० यादव की ओर से सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रख सकता हूं :—

(1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1761/72]

(2) खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम, 1969 की धारा 21 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खुदा बख्श ओरियंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना, के वर्ष 1970-71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 1765/7.]

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

पन्द्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवातुपुझा) : मैं प्राक्कलन समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ :

(एक) कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग)—चीनी और वनस्पति निदेशालय—के सम्बन्ध में 15 वां प्रतिवेदन ; और

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

कृषि जोतों की अधिकतम सीमा के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : केन्द्रीय भूमि सुधार समिति ने विभिन्न राज्यों की भूमि की अधिकतम सीमा नियमों में व्यापक रूप से एकरूपता लाने के उद्देश्य से, अगस्त, 1971 में कुछ सिफारिशें की थीं । मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं कि अधिकतम सीमा सम्पूर्ण परिवार पर लागू होनी चाहिए ; किन्तु जहां किसी परिवार में पांच से अधिक सदस्य हों, तो पांच से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए भूमि इस प्रकार प्रदान की जाए कि एक परिवार को ग्राह्य कुल भूमि की अधिकतम सीमा के दुगुने से अधिक भूमि न मिले ; बारहमासी सिंचित भूमि अथवा सरकारी स्रोतों से दो फसलें उगाने के लिए निश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में पांच सदस्यों के परिवार

के लिए अधिकतम सीमा 10 से 18 एकड़ के मध्य निश्चित की जाए, अन्य श्रेणियों की भूमि के परिवर्तन अनुपात का निर्धारण, उसमें पानी की उपलब्धि, उत्पादकता, मुद्रा वर्गीकरण, उगाई जाने वाली फसलों आदि के आधार पर किया जाना चाहिए; बारानी भूमि के सम्बन्ध में भी पांच सदस्यों के परिवार के लिए भूमि की कुल अधिकतम सीमा 54 एकड़ निर्धारित की जानी चाहिए। किन्तु इस सीमा को भूमि की किस्म, वर्षा, निरन्तर सूखा पड़ने आदि की परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए, विशेष औचित्य होने पर, शिथिल किया जा सकता है ; और वर्तमान राज्य नियमों के अन्तर्गत यंत्रीकृत फार्मों तथा सुसंचालित फार्मों को मिलने वाली छूट समाप्त कर दी जानी चाहियें। ये सब सिफारिशें भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और 18 सितम्बर, 1971 को मैंने राज्यों की जोत अधिकतम सीमा के नियमों को समिति की सिफारिशों के अनुरूप परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में, समस्त राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था। हाल ही में मैंने पुन: राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है कि राज्य विधान सभाओं के वर्तमान अधिवेशन में इस सम्बन्ध में आवश्यक अधिनियम बनाने के उपाय किये जायें।

राज्य अधिकतम सीमा नियमों में अन्य छूटों के सम्बन्ध में, समिति ने सिफारिश की है कि चाय, काफी, इलायची तथा रबड़ बागानों को छूट देने के मामलों पर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाये और इसके उपरान्त राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से इस छूट तथा अन्य छूटों को जारी रखने की आवश्यकता पर मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया जाना चाहिए। तदनुसार इस मामले पर वित्त तथा विदेश व्यापार मंत्रालय और योजना आयोग के परामर्श से विचार किया गया। इसके उपरान्त शुक्रवार, 14 अप्रैल, 1972 को मैंने मुख्य मंत्रियों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श किया।

बैठक में निम्न बातों का निर्णय किया गया :—

(1) यह स्वीकार किया गया कि चाय, काफी, रबड़, इलायची और कोको रोपण के लिए दी जाने वाली छूट को जारी रखा जाए ;

(2) भूदान यज्ञ समिति, सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय या राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों द्वारा प्राप्त भूमि की छूट जारी रखी जाये। इसी प्रकार, औद्योगिक या वाणिज्यिक उपक्रमों की गैर-कृषि कार्यों की भूमि की भी अधिकतम सीमा कानून से छूट दी जाए ;

(3) पंजीकृत सहकारी खेती समाजों के मामले में, यह स्वीकार किया गया कि यह छूट इस प्रतिबन्ध पर दी जा सकती है कि किसी सदस्य के क्षेत्र की सीमा निर्धारित करते समय उसकी अन्य भूमि के साथ-साथ सहकारी समाज में उसके शेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा ;

(4) कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों, कृषि स्कूलों और अनुसन्धान संस्थाओं को भूमि की अधिकतम सीमा के कानून से छूट दी जानी चाहिये।

(5) धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ न्यासों के स्वामित्व की भूमि सशस्त्र सेना के सदस्यों

को शौर्य के कृत्यों के लिए प्रदान की गई भूमि और फलोद्यानों के अन्तर्गत की भूमि को छूट देने के विषय में काफी विचार-विमर्श हुआ था।

धार्मिक, शैक्षणिक या धर्मार्थ न्यासों के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया था कि केवल जनहित के वास्तविक न्यासों के लिए ही विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यासों की जिन उद्देश्यों से स्थापना की गई है उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें या तो वार्षिकी प्रदान की जाए या कोई अन्य उपयुक्त प्रबन्ध किए जायें। वीरता के पुरस्कारों के विषय में इस बात को स्वीकार किया गया कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदान की गई भूमि के लिए छूट दी जानी चाहिए। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व प्रदान की गई भूमि के लिए छूट जारी रखने के प्रश्न पर आगे और विचार किया जाएगा। फलोद्यानों के विषय में आम राय यह थी कि जिस व्यक्ति का फलोद्यान है उसके लिए अधिकतम सीमा, चाहे वह अन्य भूमि के अतिरिक्त हो या नहीं, 2 हैक्टार तक या फलोद्यान के अन्तर्गत वास्तविक क्षेत्र तक, जो भी कम हो, बढ़ा दी जाए। कुछ मुख्य मंत्रियों का विचार था कि बारानी भूमि की भांति, फलोद्यानों के क्षेत्र को और अधिक छूट दी जानी चाहिए। जो राज्य सरकारें फलोद्यानों की अधिकतम सीमा लागू करने में गम्भीर कठिनाइयों का सामना करती हैं, वे भारत सरकार के साथ इस विषय में अलग-अलग आगे विचार-विमर्श कर सकती हैं।

(6) इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि अन्य समस्त छूटों को वापिस ले लिया जाए।

नियम 377 के अधीन मामला
MATTER UNDER RULE 377

चुनावों के दौरान अमरीकी वाणिज्य दूतावास से जनसंघ द्वारा धन प्राप्त करने के बारे में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के वक्तव्य का समाचार

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I was not present in the House when Shri Samar Guha said that American Consul General had toured Madhya Pradesh during elections, met the Jan Sangh leaders and gave them money. This allegation is baseless and motivated None of the Jan Sangh candidates met the American Consul General. We would rather renounce politics than tight election with foreign money. These news are challenge to our patriotism. Fact of the matter is that tour of the American Consul General was arranged by the chief secretary. Whenever he went government officials accompanied him. It is possible that his programme might have been arranged during the time of out-going Chief Minister. But without confirmation such allegations should not be made. This practice should be stopped.

अनुदानों की मांगें 1972-73
DEMANDS FOR GRANTS 1972-73

संचार मंत्रालय—जारी

Shri Ram Bhagat Paswan (Rosera) : There is acute shortage of staff quarters in Post and Telegraph Training Centre, Darbhanga. New quarters for class three and four enployees

should be constructed for solving the accommodation problem of Darbhanga Division.

Still there are certain places where there is no Post office. Instructions should be issued to the authorities for opening new Post offices in Panchayat Areas.

The I. D. staff of this department even after working five hours daily, is not getting sufficient pay. Proper attention should be paid towards this problem They should also be given uniform.

Security and other facilities like water and light should be provided to all such post offices running in rented building where these basic facilities are not available.

The difference between the emoluments of officers and the lower staff should be minimised.

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई
The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई
The Lok Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : देशभक्तों के स्मारक डाक टिकट जारी करने में सरकार भारी अन्याय कर रही है।

वी० ओ० चिदाम्बरम् पिल्लई : जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लिया और दो बार उम्र कैद की सजा भुगती, की स्मृति में डाक टिकट निकाला जाना चाहिए। जब श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य का समर्थन किया, की स्मृति में डाक टिकट निकाला गया है तब श्री चिदाम्बरम् की इतनी अवहेलना क्यों ? चिदाम्बरम् स्मारक समिति ने उनकी शती पर स्मारक टिकट निकालने की मांग की थी। पर मुझे इस पर आश्चर्य होता है कि स्मारक टिकट सलाहकार समिति श्री चिदाम्बरम् के नाम तक से परिचित नहीं है और स्मारक टिकट का सुझाव रद्द कर दिया गया।

इसके अतिरिक्त श्री सिंहारावेलु चेट्टियार, श्री सुब्रह्मण्यम् भारती, श्री वी० कल्याणसुन्दर मुदालियर आदि के स्मारक टिकट निकालने पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

डाक तार विभाग एक जन-उपयोगिता का विभाग है। अतः इसके लाभ-हानि का हिसाब नहीं लगाया जाना चाहिए। सरकार को नये डाकखाने से खर्च के 25 प्रतिशत की आय की

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

शर्त को हटा देना चाहिए। सरकार को यह प्रबन्ध करना चाहिए कि गांवों में रोजाना डाक मिल सके।

टेलीफोन से सरकार को सबसे अधिक आय होती है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 4.04 करोड़ रुपये अधिक आय हुई है। एक ओर देश में पर्याप्त संख्या में केबल और टेलीफोन उपकरण उपलब्ध न होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में टेलीफोन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हैं। पर दूसरी ओर यह सामग्री मलयेशिया आदि देशों को निर्यात की जा रही है। देश की आवश्यकता को पहले पूरा किया जाना चाहिए तब कहीं निर्यात की बात सोचनी चाहिए।

मेरा सुझाव है कलकत्ता-मद्रास और कलकत्ता-बम्बई जैसे महत्वपूर्ण नगरों के बीच सीधे डायल करके टेलीफोन करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

डाक-तार विभाग में हानि होने के कारण बढ़े हुए वेतन और मतों को बताया जाता है पर यदि मैं पूछूं कि क्या इसका कारण अधिकारियों की अनियमितताएँ और गलतियां नहीं हैं।

टेलीफोन सर्किलों की सलाहकार समिति में स्थानीय संसद सदस्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता जबकि अन्य लोग उसमें घुस जाते हैं।

उदाहरण के लिए पटना टेलीफोन परामर्शदात्री समिति में स्थानीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री का नाम नहीं है। ऐसी परामर्शदात्री समिति में स्थानीय सदस्यों का नाम होना चाहिए।

विभागेतर एजेन्टों की समस्या की जांच करने के लिए एक-एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी, परन्तु उस समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? अर्द्ध-नगरीय केन्द्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक-फार्म उपलब्ध नहीं है। उन्हें ये फार्म उपलब्ध कराए जाने चाहिएँ।

विभाग के कर्मचारियों के लिए अब तक 14691 क्वार्टर बनाए गए हैं, इस कार्य को करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

Shri Shiva Chandika (Banka) : Bhagalpur city is a District headquarter in Bihar. But the telephone exchange there has not so far been converted into an automatic one. Bhagalpur is an industrial city also. People have been persistently demanding it. So this facility should be provided there.

There is great demand for telex system also. That is a business centre and if telex facility is provided, the businessmen can have direct contact with Bombay, Calcutta and other big cities.

Most of the post-offices in Bhagalpur sub-division are quite old and unable to cope with the increasing amount of work. The extension of these post offices should be so made that people can get every facility. At the same time the staff quarters should also be provided.

Now I would like to say a few words about letter-boxes. The letter-box at Deoghar has been damaged and at other place there is a post-office where registered letters etc. are booked but there is no letter-box for dropping letters. These small points should be considered.

A committee consisting of M. Ps. and M. L. As. should be appointed to go into the demand for new post-offices.

In Deoghar sub-division there is a small post-office, namely, Rohini. There the land meant for construction of post-office has been lying vacant for the last 30 years. If the work is delayed further, it is likely to be encroached upon by others. Therefore, I draw the attention of the hon. Minister to it and request him to get post-office opened there at the earliest.

A Telephone Advisory Committee was appointed earlier and it did commendable work within a period of one and a half year. That was wound up A Telephone Advisory Committee should be appointed soon.

The express letters, for which we have to pay more generally reach late and in the absence of the addressee it is returned. This point should be considered.

Prof. Abdul Bari of Bihar was a great labour leader. A commemorative stamp should be issued in his memory.

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : डाक तथा तार विभाग में 1962-63 से 1970-71 तक क्रमश: 39.28 करोड़ रुपये तथा 41.64 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। क्या विभिन्न डाक तथा तार दरों में पिछले वर्षों में वृद्धि की गई है अथवा नहीं ? गत आठ वर्षों में दरों में 200-300 गुना अधिक वृद्धि हुई है साथ ही साथ घाटा भी उतना ही हुआ है । इस विरोधाभास का क्या कारण है ?

प्रतिवर्ष तांबे के तारों तथा डाक की वस्तुओं की करोड़ों रुपये की चोरी होती है । इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

देश के दूरवर्ती देहातों में काम करने वाले 'रनर्स' को क्या साईकिल अथवा स्कूटर जैसी सुविधाएँ देने पर विचार किया जाएगा ?

1970 में 'लेटर-बाक्स' की संख्या 1,81,717 थी जो घट कर वर्ष 1971 में 1,81,618 हो गई । इसका क्या कारण है । तमिलनाडु में भी गतवर्ष लगभग 500 'लेटर-बाक्स' कम हो गए तथा डाकघरों में थोड़ी-सी वृद्धि हुई ।

---

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

डाक तथा तार विभाग एक सार्वजनिक उपयोग का संगठन है। मनीआर्डर फार्म अंग्रेजी अथवा हिन्दी में छपे हैं। जो लोग अहिन्दी भाषी हैं उनके लिए प्रादेशिक भाषाओं में मनीआर्डर फार्म छपे हुए होने चाहिएं। अब से पहले वाले संचार-मन्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि मनीआर्डर फार्म प्रादेशिक भाषाओं में छापे जाएँगे परन्तु इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है।

1-1-71 को 465 प्रथम श्रेणी के अधिकारियों में से केवल 1 प्रतिशत अधिकारी अनुसूचित जाति के थे। द्वितीय श्रेणी में अनुसूचित जाति के कोई भी अधिकारी नहीं हैं तथा तृतीय श्रेणी में 11.3 प्रतिशत हैं। परन्तु चतुर्थ श्रेणी में उनकी प्रतिशतता 89.6 है मानों इतने बड़े विभाग में अनुसूचित जातियों को ही रोजगार मिलता हो। अस्थायी प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत 4 अनुसूचित जाति तथा 2 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिनका स्थायी श्रेणी में प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्हें स्थायी बनाया जाना चाहिए।

कुछ पदों के न भरे जाने से बचत दिखाई गई है। क्या शिक्षित बेरोजगारी इतनी अधिक होते हुए भी इन पदों के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलते हैं ?

रेलवे डाक सेवा एवं डाक तथा तार कर्मचारियों के वेतनमानों में समानता बनाई रखी जानी चाहिए। वार्षिक प्रतिवेदन में अवकाश गृहों का उल्लेख है। दक्षिण में कोई भी अवकाश गृह नहीं है जबकि माउंट आबू, मसूरी, पंचमढ़ी आदि स्थानों पर है। दक्षिण में नीलगीरि हिल स्टेशनों की रानी है वहां अवकाश गृह बनाया जाना चाहिए।

पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों को मकान की बड़ी कठिनाई होती है। अतः मन्त्री महोदय को विशेष धन का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि पहाड़ी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए सरकारी मकान बनाए जा सकें।

विभाग जब भविष्य में योजनाएँ बनाए तो दक्षिण की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखे।

Shri Nathu Ram Ahirwar (Tikamgarh) : The P and T employees serve the public round the clock.

The class III and IV employees of the Post and Telegraph Department have to face great difficulty for getting uniform in winter.

The postal employees do not get medical allowances and no medical facilities are provided to them. The Government should provide a Hospital in a every district headquarter for their treatment.

Apart from that, some facilities for their children's education should also be provided. In Jhansi there is no housing facilities for postal employees.

A separate lavatory or bathroom should be constructed for the R. M. S. employees at Railway Stations.

The construction of a Rest House for R. M. S. employees at New Delhi Railway Station is pressing need.

In some villages the people of Gram Panchayats give financial help to the Post Offices running in loss. The Government should give them subsidy. The branch post offices which have been functioning for more than five years should be made permanent.

A certain part of Bundel Khand is dacoit-infested. The bungalows of the Collector and Superintendent of Police should be linked with direct telephone lines.

Public call offices should be provided in important towns in my constituency.

We have to face difficulty in making trunk calls to Bhopal. All the State capitals, especially Bhopal, should be linked with Delhi by the direct dialling system.

The members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given priority in appointments in the Department of post and telegraphs. There should be reserved quota for them in promotion also.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : Delhi has no direct telephone link with Bhopal, the Capital of Madhya Pradesh whereas many other state capitals are linked with Delhi with direct dialling system. This creates great difficulty specially when an urgent call has to be made.

Indore is an industrial and developing town of Madhya Pradesh but it has no direct telephone link with a number of important towns like Bombay, Calcutta. I have come to know that there are proposals of linking Indore with Bombay by micro-wave system. An alternative arrangement should be made until the micro-wave system is introduced.

Out of 245 new telephone exchanges granted to the towns in India in the year 1970-71, Madhya Pradesh got only 2 with a capacity of only 75 lines for each exchange.

This is the condition regarding Public Telephones. There are only 166 Public call offices in Madhya Pradesh while the number of such offices is very large even in smaller states A Survey Team from I. T. I. Bangalore made favourable recommendations for establishing a telephone factory near Ujjain. I would like to know the decision in this respect from the hon. Minister.

It is given in the Annual Report that a switch factory will be set-up in the country in 1973. Madhya Pradesh is a backward region. If that factory is set up at one of the important towns of Madhya Pradesh, it will help in providing employment opportunities to the people.

हनोई पर बड़े पैमाने पर अमरीका द्वारा बमबारी करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

DISCUSSION RE : SITUATION ARISING OUT OF ESCARATION OF US BOMBING OF HANOI

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 193 के अन्तर्गत श्री एच० एन० मुकर्जी हनोई पर अमरीका द्वारा व्यापक पैमाने पर बमबारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के विषय में चर्चा उठाएंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने नियम 338 के अन्तर्गत नियम के निलम्बन और नियम 193 के प्रतिस्थापन का नोटिस दिया था और स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो सदन के समक्ष विचारार्थ रखा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नियम 184 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव रखा था उस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा विचार किया गया तथा उन्होंने इसके लिए अपनी अनुमति नहीं दी है। इस सम्बन्ध में मध्याह्न पूर्व चर्चा हुई थी और सदन ने इस बात से सहमति प्रकट की है कि चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत होनी चाहिए। श्री एच० एन० मुकर्जी।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मध्याह्न पूर्व सदन में वियतनाम में अमरीका की दानवी कार्यवाही के प्रति रोष तथा घृणा व्यक्त की गई। मेरा विचार है कि हमें केवल चर्चा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए अपितु सदन को सर्व सम्मति से इस विषय में एक प्रस्ताव पारित करने का निर्णय करना चाहिए।

राष्ट्रपति निक्सन को पीछे बड़ा दम्भ था क्योंकि चीन उसके साथ है अत: विश्व का भविष्य उसके हाथ में है। समस्त विश्व को विदित है कि ह्वाईट हाउस के क्षुद्राभिव्यक्ता की भ्रष्ट नीतियों सहित उसका स्वप्न इतिहास के न्यायालय के समक्ष शून्य में विलीन हो जाएगा।

मुझे विश्वास है कि चाहे संसार के साम्राज्यवादियों की कितनी भी बटालियनें, ब्रिगेडें वियतनाम में लड़ने के लिए आएं परन्तु वियतनाम के मुक्ति संग्राम की ही विजय होगी। वियतनाम के लोगों के विरुद्ध अमरीकी साम्राज्यवादियों की विशाल वायुसेना तथा नौसेना की विध्वंसात्मक गतिविधियों के विरुद्ध भारत को स्पष्ट तथा जोरदार शब्दों में आवाज उठानी चाहिए।

पिछले 48 घण्टों में उत्तर वियतनाम के हायफोंग पत्तन पर जो इतनी भारी बमबारी की गई है उसका उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता। माई लाई में और अन्य स्थानों पर निस्सहाय जनता पर अब तक जो अत्याचार हुए हैं उससे निक्सन का रिकार्ड कहीं अधिक है और वियतनाम की वीर जनता इसे 'हमारे युग' का सर्वाधिक जघन्य अपराध कहती है।

दूसरे विश्वयुद्ध में फासिस्ट शक्तियों के विरुद्ध जो बमबारी की थी उसकी तुलना में उत्तरी वियतनाम में अमरीका ने जो बमबारी की है वह कहीं अधिक है। गतवर्ष के अन्त में अमरीका ने 6800 किलोग्राम के बम गिराये जो उन्हीं के शब्दों में अणुबम के समान ही विनाशकारी हैं। वे उन्हें अणबम के दूसरे स्थान पर मानते हैं। ये बम 3270 फुट की परिधि मे आने वाली सभी वस्तुओं को ध्वस्त करने में सक्षम हैं। इन आततायियों को स्मरण रखना चाहिए कि यदि इन्होंने

अपने विनाशकारी मार्ग में परिवर्तन न किया तो ऐसे विप्लव होंगे जिनसे उनका नाम ही इतिहास से मिट जाएगा और जो रूसी तथा चीनी क्रान्तियों को भी मात कर देंगे।

वियतनाम के प्रश्न को लोगों की उपनिवेश विरोधी भावना से पृथक् नहीं किया जा सकता। यह एशिया में उपनिवेशवाद के अन्तिम अवशेषों के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम है। यह छोटे से देश के गरीब लोगों का संघर्ष है जिन्होंने दृढ़ निश्चय किया है तथा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को धूल चटा दी है। इस सम्बन्ध में भारत को विशेष कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारी निभानी है क्योंकि भारत अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष है। भारत के साथ-साथ कनाडा तथा पोलैण्ड को भी इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हमें मालूम नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग, जिसका भारत अध्यक्ष है, इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है ? मामला सुरक्षा परिषद् में ले जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? क्या हम जनेवा सम्मेलन के सहयोगी अध्यक्ष से मिले हैं। जिससे हम मामले को प्रभावी ढंग से उठा सकें। भारत ने कौन से निश्चित कदम उठाये हैं ; सर्वप्रथम हमें अमरीकी राजदूत को बुलाकर वियतनाम में अमरीकी कार्यवाही की निन्दा करनी चाहिए।

भारत को वियतनाम के लोगों के मुक्ति संग्राम के और निकट आना चाहिए। इसके लिए वहां की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देनी चाहिए और उनसे पूरे राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं। विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि भारत दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देगा। हमें नियमों को परिवर्तित करके सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित करना चाहिए कि हम सभी अमरीकी महापराध का विरोध करते हैं तथा वीरता और साहस से लड़ने वाले वियतनाम निवासियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

श्री शंकर दयाल शर्मा (भोपाल) : वियतनाम के लोगों के विरुद्ध अमरीका द्वारा किये जा रहे बर्बर एवं घृणित युद्ध की मैं निन्दा करता हूँ। आज प्रात:काल यह समाचार मिला है कि हनोई तथा हाइफांग में बड़े पैमाने पर बमबारी आरम्भ कर दी गई है। यह बमबारी असैनिक लोगों पर की गई है। यदि अमरीका यह सोचता है कि वह उत्तर वियतनाम के लोगों को पराजित कर सकता है और उन्हें जनता की मुक्तिसेना की सहायता करने से रोक सकता है, तो वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वियतनाम के लोगों के अतिरिक्त विश्वभर के स्वतन्त्रता प्रेमी अमरीकी नृशंसकों के विरुद्ध लड़ने वाले वीर लोगों के साथ सहानुभूति रखते हैं।

उत्तरी वियतनाम पर बमबारी रोकने की घोषणा इसलिए की गई थी कि उस समय राष्ट्रपति निक्सन निर्वाचन लड़ रहे थे। हमें जो भय था वह सत्य निकला। वियतनामीकरण के विषय में बताया गया था। इससे अमरीका का तात्पर्य यह था कि उसके पिट्ठू अर्थात् दक्षिण वियतनाम की कठपुतली सरकार के भाड़े के सैनिक अमरीकी युद्ध-सामग्री बनाने वाले कारखानों द्वारा सप्लाई किए गए हथियारों से पेन्टागन के परामर्श पर लड़ें। शस्त्रास्त्र निर्माता अपने नए हथियारों का परीक्षण करना चाहते हैं और परीक्षण के लिए उन्हें किसी क्षेत्र की आवश्यकता है, और वह क्षेत्र एशिया अथवा अफ्रीका में मिलना चाहिए। इस स्थान पर निष्कंटक परीक्षण किये जा सकते हैं।

जिस बम के प्रयोग के विषय में श्री मुकर्जी कह रहे थे उसे डेजी-कटर कहा जाता है। यह बम आधे मील की परिधि में आने वाले सभी जीवों का विनाश कर सकता है। परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये प्रयास सफल सिद्ध नहीं होंगे। इतनी भारी बमबारी के उपरान्त भी मुक्ति सेना दक्षिण वियतनाम के नगरों पर अपना अधिकार बनाती बढ़ रही है।

हमने वर्ष 1970 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में स्पष्ट कहा था कि वियतनाम की जनता को अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करना चाहिए। हमने यह भी कहा था कि विदेशी शक्तियों को वियतनाम छोड़ना चाहिए। उस समय हमारी नीति को लोगों ने भेदभावपूर्ण बताया था। आज हमारा दृष्टिकोण ठीक प्रमाणित हुआ है। हम जानते थे कि यदि अमरीकी सेना वहाँ रहेगी तो बातचीत के आधार पर कोई समझौता नहीं हो सकेगा। जो वहाँ बमबारी कर रहे हैं सबसे पहले उनसे कहा जाना चाहिए कि वे उस क्षेत्र को छोड़ दें। जहाँ तक भारत द्वारा उत्तरी वियतनाम की सहायता का प्रश्न है, हमारे दल के 1972 के घोषणापत्र में कहा गया है कि हमें उत्तरी वियतनाम से अपने सम्बन्धों में सुधार करना है। वियतनाम की जनता के साहसपूर्ण संघर्ष की स्पष्ट शब्दों में सराहना की गई थी। हाल ही के हमारे निर्णय में दोनों देशों के बीच निकट राजनयिक सम्बन्धों की स्थापना की बात से इसकी फिर से पुष्टि की गई है। हमारी सद्‌भावनाएं उत्तरी वियतनाम के वीर सेनानियों के साथ हैं जो अमरीका की नृशंस बमबारी का सामना कर रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह बमबारी कुछ समय पूव की निक्सन-माओ की बातचीत से सम्बन्धित है। यह भी स्पष्ट है कि चीन ने अब तक इस बमबारी की खुले शब्दों में निन्दा नहीं की है।

यदि किसी एक बड़ी शक्ति अर्थात् सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य द्वारा यह मामला उठाया जाता है तो भारत अवश्य वियतनाम की जनता का पक्ष लेगा। इसमें उत्तर अथवा दक्षिण वियतनाम का कोई प्रश्न नहीं है। हमारी सरकार का रवैया स्पष्ट है। संकल्प पारित करने अथवा न करने से कोई अन्तर नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सभा की तथा जनता की सम्मति यह होनी चाहिए कि निक्सन प्रशासन की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बड़े खेद का विषय है कि हनोई पर अमरीकी बमबारी के सम्बन्ध में जो संकल्प दस दिन पहले प्रस्तुत किया गया था, सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य उसे सर्वसम्मति से सदन द्वारा पारित नहीं कराना चाहते।

अमरीका सरकार की यह बर्बरता इतिहास की ऐसी सभी बर्बरताओं में सर्वोपरि है। उनकी कार्यवाही मानवीय अधिकारों पर कुठाराघात करती है अतः अमरीका निवासियों को आज सभ्य व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। यह अभूतपूर्व बमबारी हाल ही की क्रान्तिकारी भावना का विरोध करने के लिए तेज कर दी गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत ने गत 18 वर्षों में क्या किया है? अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले वियतनाम के नागरिकों की कहां तक सहायता की है? अमरीकी कार्यवाही के विरुद्ध जनमत जाग्रत

करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? वियतनाम समस्या के शान्तिपूर्ण हल के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाये हैं ? अमरीका सरकार, पेन्टागन के अधीन, दक्षिण वियतनाम सरकार और भारत को घृणा की दृष्टि से देखती है। वीजा की अनुमति देने के मामले में हमारे अधिकारियों के साथ जिस ढंग से दक्षिण वियतनाम सरकार ने व्यवहार किया है उसे हमारी सरकार ने सरल रूप में ही लिया है। ऐसा करना सरकार के लिए उचित नहीं है।

हमारा देश सुरक्षा परिषद् का सदस्य है। क्या हमने सुरक्षा परिषद् में पीछे इस प्रश्न को कभी उठाया है ? क्या माईलाई जैसी घटनाओं को मानवीय अधिकार आयोग के समक्ष लाने का प्रयत्न किया है ? इन मामलों को क्यों नहीं उठाया गया ? इसके बजाय सरकार ने वैस्टयोरलैंड को भारत के दौरे पर बुलाया। अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता न देने पर हमारी सरकार क्यों दृढ़ है ?

इसके विपरीत हमारी सरकार दक्षिण वियतनाम के साथ व्यापार करती रही है और उन्हें सामरिक महत्व की सामग्री प्रदान की जाती रही है जिसकी मात्रा वर्ष 1971 से और बढ़ा दी गई है। अमरीका के दबाव से सरकार ने क्यूबा तथा उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इस सरकार ने यह बहाना बनाया कि यदि भारत उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार करता है तो व्यापार सामग्री चीन पहुंच जाएगी। नेपाल के साथ आज व्यापार किया जा जा रहा है। क्या कोई आश्वस्त करा सकता है कि नेपाल को भेजी जाने वाली वस्तुएं चीन नहीं पहुंचाई जाएंगी ? अमरीका सरकार ने एक परिपत्र जारी किया था कि उत्तरी वियतनाम को सामान ले जाने वाली कोई भी पनडुब्बी भारत को अमरीकी सहायता के अन्तर्गत दिया जाने वाला खाद्यान्न नहीं ले जा सकेगी। तत्कालीन विदेश मंत्री श्री छागला ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वीकार किया था कि कोई भी विभाग उत्तरी वियतनाम को सामान ले जाने वाली पनडुब्बी को भाड़े पर नहीं लेगा।

हमारी प्रधान मन्त्री ने वर्ष 1966 में अपने अमरीका के दौरे के समय श्री जानसन को शांतिप्रिय बताया था। इससे सरकार के दृष्टिकोण का पता चलता है। रीताफेरिया को दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सैनिकों के मनोरंजन हेतु जाने से नहीं रोका गया। सरकार का यह दृष्टिकोण हमने देखा है।

अस्थायी क्रन्तिकारी सरकार की विदेश मंत्री, मदाम बिन्ह कुछ समय पूर्व जब भारत आई थीं तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया ? एक भी मंत्री उनके स्वागत के लिए नहीं गया। अमरीकी दबाव के अन्तर्गत उनके विमान के भारत में उतरने पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा था। हमारे दबाव डालने के फलस्वरूप ही उनका विमान भारत भूमि पर उतर सका। दक्षिण वियतनाम की सरकार से किसी प्रकार का भी व्यवहार रखना अनुचित है। हमारे विदेश मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिए जिसमें बमबारी को तुरन्त रोकने, वियतनाम और समूचे इन्डोचीन से अमरीकी तथा अन्य विदेशी सेनाओं की तुरन्त वापसी, तथा अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को पूर्ण रूप से मान्यता देने की घोषणा की जानी चाहिए। इसके पश्चात् सरकार को अमरीका सरकार को एक नोट लिखना चाहिए जिसमें अमरीका की कार्यवाही की निन्दा की जाये तथा भारत की जनता की इस नृशंस कार्यवाही के प्रति अप्रसन्नता की सूचना दी जाये।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई—मध्य दक्षिण) : इतिहास इस बात का प्रमाण है कि विश्व में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के लोग पैदा हुए हैं। तैमूर, चंगेज़ खाँ, नादिरशाह के नाम आततायियों में गिने जाते हैं। हाल ही में हमने उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले टिक्का खाँ को पूर्वी बंगाल में देखा है। और अब निक्सन विश्व से निरीह लोगों का उन्मूलन करके नया इतिहास लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बंगला देश में किए गए अत्याचारों के प्रति अमरीका सरकार मौन रही। इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को उकसाया, भड़काया जिससे भारत और पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर युद्ध हो तथा बंगला देश एक स्वतन्त्र देश का रूप न ले पाए। अब अमरीका अन्य क्षेत्रों पर अपना ध्यान जमाये है। वे अपने हथियारों तथा प्रक्षेपणास्त्रों के परीक्षणों में व्यस्त हैं।

वियतनाम में अणुबम को छोड़कर सभी शस्त्रास्त्रों के परीक्षण किए जा रहे हैं। वियतनाम के लोगों को समूल नष्ट करने के लिए किसी समय अणुबम का प्रयोग भी किया जा सकता है। यदि हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय जटिलताओं की ओर ध्यान नहीं देती है, वियतनाम जैसी घटनाओं का विरोध नहीं करती है तो यह समझना ठीक है कि सरकार अपना कर्त्तव्य पालन नहीं कर रही है।

यह उपयुक्त समय है जब हमारे दूतावासों को विश्वमत, जो पहले ही वियतनाम में अमरीका द्वारा किए गए अत्याचारों के विरुद्ध हो चुका है, जगाना चाहिए। दूसरे, उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार से तुरन्त प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए और उनके साथ व्यापार करना आरम्भ करना चाहिए। अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को शीघ्रातिशीघ्र मान्यता देनी चाहिए। इस मामले को या तो सुरक्षा परिषद् में उठाया जाना चाहिए अथवा इस उद्देश्य से संयुक्तराष्ट्र संघ की आवश्यक बैठक बुलाकर इस मामले को उसमें प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम इतना कर पाते हैं तो हम मानवता के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर लेते हैं।

हमें उन मासूम बच्चों, आदमियों और औरतों को नहीं भूलना चाहिए जो हनोई में बमबारी के शिकार हुए। हम इस कत्लेआम पर खेद ही प्रकट नहीं करते हैं बल्कि निक्सन प्रशासन के प्रति घोर विरोध भी प्रकट करते हैं।

***श्री पी० ए० सामिनाथन** (गोबीचेट्टिपलयन) : मैं अमरीका द्वारा हनोई और हाइफोंग पर की गई अमानवीय और बर्बरतापूर्ण बमबारी की सख्त भर्त्सना करता हूं।

[श्री नरेन्द्र साल्वे पीठासीन हुए
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

मैं यह जानना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद् का सदस्य होने पर भी भारत ने इस नीच कर्म के सम्बन्ध में सुरक्षा परिषद् में अब तक आवाज क्यों नहीं उठाई। वहाँ स्थिति दिन-ब-दिन बिगड़ती

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

ही जा रही है। हजारों स्वतन्त्रता सैनिक मर रहे हैं। इस बार अमरीका ने नगरीय जनता को भी नहीं छोड़ा और उन्हें अपनी बमबारी का निशाना बनाया। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इससे कितनी हानि हुई होगी। इतने पर भी निक्सन साहब कहते हैं कि वियतनाम का मसला वहां के निवासियों को ही निपटाने दिया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में निक्सन प्रशासन के इस रवैये पर गहरी प्रतिक्रिया हुई है।

वियतनाम में शान्ति स्थापना के लिए भारत को सक्रिय कदम उठाना चाहिए, विचारों के प्रकटीकरण मात्र से काम नहीं चलेगा। इतने बड़े और नृशंस हत्याकाण्ड से समस्त संसार स्तब्ध रह गया है।

पिछले दो वर्षों से निक्सन प्रशासन लगातार कहता रहा है कि वे वियतनाम से अपनी सेना हटाना चाहते हैं पर इस दिशा में उनकी गतिविधि उलटी ही रही है। उन्होंने सातवें बेड़े की शक्ति दुगुनी कर दी है।

वियतनाम युद्ध के प्रारम्भ से अब तक 58 लाख लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। उनकी याचनाएं बंगला देश के लोगों से किसी सीमा में भी कम नहीं हैं।

बंगला देश के समान ही वियतनाम के सम्बन्ध में भी हमें संसार के देशों की विचार-धारा को प्रभावित करना चाहिए। कम से कम सरकार को यह मामला सुरक्षा परिषद् में तो उठाना ही चाहिए।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे (अकोला) : यह निस्सन्देह एक दया के योग्य बात है कि अमरीका जैसे शक्तिशाली और समृद्ध देश का राष्ट्रपति स्वयं को बहुत ही निराश, हारा हुआ और उदासीन सा प्रदर्शित कर रहा है तथा अपने इस प्रदर्शन में वियतनाम जैसे छोटे देश के लोगों के साथ पागलों जैसा व्यवहार कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ संसार में शान्ति बनाए रखने के लिए स्थापित किया गया था और राष्ट्रपति रूजवेल्ट उसके संस्थापकों में से एक थे। और यदि किसी एक घटना ने संयुक्त राष्ट्र के इस उद्देश्य को झुठलाया है तो वह अमरीका का वियतनाम में किया जा रहा बर्बर अत्याचार है।

अमरीका और चीन के मैत्री की ओर अग्रसर होने पर यह अनुमान था कि कम से कम अब वियतनाम से अमरीकी सेनाएं हट जाएंगी और वहां बमबारी बन्द हो जाएगी। पर हुआ उसके विपरीत ही। वास्तव में उसके बाद गोलाबारी में वृद्धि ही हुई है। यदि चीन, भारत, रूस, ब्रिटेन और फ्रान्स के साथ मिलकर अमरीका पर दबाव डाले तो यह बर्बर बमबारी तत्काल समाप्त हो सकती है।

यह कहना सर्वथा गलत सिद्ध हुआ है कि अमरीकी वहां वियतनामियों के निमन्त्रण पर ही गए थे। पर स्वतन्त्रता की लड़ाई 14 वर्ष न चल कर बंगला देश के समान 14-दिन तक ही चलती है। वियतनाम के चप्पे-चप्पे पर बम बरसाए गए हैं और पिछले 10-12 वर्षों से यह क्रम चलता आ रहा है। अमरीकी जनता इस दर्दनाक और बर्बरतापूर्ण युद्ध के विरुद्ध है पर निक्सन प्रशासन को

इसकी चिन्ता नहीं। अतः इस समस्या का एकमात्र समाधान अमरीका पर विश्व जनमत का दबाव है।

सुरक्षा परिषद् एक प्रभावकारी साधन सिद्ध नहीं हुई है। फिर भी जिस प्रकार हो सके हमें हर सम्भव प्रयत्न इस दिशा में करना चाहिए अन्यथा कहीं इसकी लपेट में सारा विश्व न आ जाए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : For the past so many Centuries the people of Vietnam have been fighting for their independence against a number of countries like China, Japan, France and now with America.

In the Geneva Conference of 1954, Vietnam was divided and America appointed an unknown person to be President of South Vietnam without holding elections. Vietnamese so far did not get the chance to elect their own representatives and Government.

India should have tried to defend the cease fire and hold the elections through the International Control Commission. But I feel that the Control Commission has not proved to be an effective body, It is simply a Commission and not a Control Commission.

India does not wish that type of Vietnam which will emerge out of this war. We want a peace loving, neutral and non-aligned Vietnam. Big powers are trying to continue war. Chinese are trying to improve their relations with America in the shade of this war.

We should raise our voice to stop this war in the Security Council. A date for the removal of all American Army from Vietnam should be fixed. India should try to have the date fixed for the elections in Vietnam so that Vietnamese could decide their fate themselves.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

Vietnam is fighting for its independence and she will continue to fight. India should not only give moral support to it but she should take some effective steps and I am sure that if India does something solid this will help a lot in solving the broblem of Vietnam.

श्री कृष्ण मेनन (त्रिवेन्द्रम) : हम यहां वास्तव में वियतनाम पर हुई बमबारी पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वरन् हम इस बात से चिन्तित हैं कि वियतनाम युद्ध के वर्तमान रुख से विश्व शान्ति को खतरा पैदा हो गया है।

हिन्द चीन पर आक्रामक युद्ध अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के मूलभूत सिद्धान्तों का उल्लंघन है तथा इन सबसे अधिक जनेवा सम्मेलन के अनेक अभिसमयों का उल्लंघन है। वियतनाम पर आक्रमण करके अमरीका ने अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता आरम्भ कर दी है।

अमरीका इन सभी बातों के उल्लंघन का ही दोषी नहीं है वरन् वह युद्ध-बन्दियों के साथ दुर्व्यवहार, बर्बरता तथा गैस एवं अन्य हथियारों के प्रयोग के कारण अनेक अभिसमयों को भंग करने का दोषी भी है। अगले कई वर्षों तक हिन्द-चीन में खेती नहीं हो सकेगी क्योंकि वहाँ का सारा वातावरण विषैला हो गया है।

इतना ही नहीं, अमरीका अपने देश के आन्तरिक कानून का उल्लंघन करने का दोषी भी है पर इसका दोष एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता।

वियतनाम के लोगों का कहना है कि बातचीत की केवल गुंजाइश ही नहीं है वरन् बातचीत अवश्य होनी चाहिए। यह बातचीत सेनाओं को हटाने और आक्रमण को समाप्त करने के लिए होनी चाहिए। परन्तु इस बातचीत को अमरीका ने असफल किया।

इस समय युद्ध इतनी तेजी से हो रहा है और इतनी अधिक बमबारी हो रही है जिसका अन्यत्र उदाहरण नहीं मिलता। वियतनाम में इतने बच्चे मरे हैं जितने कि जर्मनी में पिछले विश्व-युद्ध में सब मिलाकर आदमी नहीं मरे थे। यदि अन्तर्राष्ट्रीय कानून अपनी भूमिका निभाए तो राष्ट्रपति निक्सन, अमरीकी विदेश मंत्री तथा अन्य युद्ध नेताओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अत्याचारों और नरसंहार के लिए मुकदमा चलाया जाए।

खेद है कि विदेश मंत्री ने अपने वक्तव्य में सभा को बताया था कि दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार मान्यता दिए जाने की योग्यता नहीं रखती, जबकि यह अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार मान्यता की सभी शर्तों को पूरा करती है। उसका $\frac{4}{5}$ क्षेत्र पर अधिकार, लोगों की उसके प्रति निष्ठा है। वह अपने सभी कार्य निभा रही है। यदि न निभाती तो विदेश मंत्री उसके विदेश मंत्री को न बुलाते पर मैं यह नहीं कहता कि सरकार यह बताए, उसे मान्यता कब दी जाएगी। नहीं, यह कहने के लिए मैं सभा से कहता हूँ। यह सरकार की जिम्मेदारी है। यदि वे गलती करते हैं तो उन्हें पूर्वी बंगाल के समान हानि उठानी पड़ेगी।

लड़ाई अब अन्तिम चरण में पहुँच गई है। सैगोन का पतन, उसका अन्त होगा। जब तक उसका पतन नहीं होता, तब तक लड़ाई चलती रहेगी।

सैगोन को स्वतन्त्र कराने में लगी सेनाओं को हमें हर संभव सहायता देनी चाहिए। सरकार को वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को मान्यता दे देनी चाहिए। यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो इसका अर्थ यह होगा कि सरकार को उन लोगों में विश्वास नहीं, जो पूरे देश को मुक्त कराने में प्रयत्नशील हैं।

सुरक्षा परिषद् की बैठक बुलाने से इस स्थिति को सुधारने में सहायता नहीं मिलेगी। यदि हमारी कूटनीति काफी शक्तिशाली है तो अन्य अनेक ऐसे ढंग भी हैं जिनके द्वारा उस संगठन के

माध्यम से विश्वलोक-मत का उपयोग किया जा सकता है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें यह मानना पड़ेगा कि जो कुछ वियतनाम में हो रहा है वैसा संसार के अनेक भागों में हुआ है । हम सभी युद्ध और हिंसा से घृणा करते हैं । हम निर्दोष लोगों के जीवन के विनाश और कुछ जातियों द्वारा अन्य जातियों पर ढाए गए अत्याचारों से भी घृणा करते हैं । इन अत्याचारों को रोकने के लिए विधिनियम बनाए गए हैं और हमें यह मानना होगा कि नरसंहार की जितनी भी घटनाएं हमारे सामने आती हैं उनका कारण विधिनियमों का उल्लंघन है । विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए विधि-नियमों की उपेक्षा न की हो । उनके ऐसे रवैये के कारण ही भीषण नर-संहार हुआ । कहा जाता है, जितना बड़ा देश होता है उतनी वह ज्यादा गलतियां करता है । भारत एक बड़ा प्रजातांत्रिक देश है । हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो बड़े देश कर चुके हैं ।

मेरा अनुरोध है कि वियतनाम को वियतनामियों पर छोड़ देना चाहिए । उन्हें अपने भविष्य का निर्णय करने की अनुमति दी जानी चाहिए । अमरीका, रूस और चीन सभी को वियतनाम के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । उत्तर वियतनामियों से मेरा अनुरोध है कि वे दक्षिण वियतनाम को दक्षिण वियतनामियों पर छोड़ दें ।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : वियतनाम में हो रहा संग्राम केवल उत्तर वियतनाम अथवा दक्षिण वियतनाम या हिन्द-चीन का स्वतन्त्रता संग्राम नहीं, अपितु वह एशियाई जनता की मुक्ति का संग्राम है । अतः यह हमारे लिए चिन्तनीय विषय है । इस बात से मैं सहमत हूँ कि वियतनाम को वियतनामियों पर छोड़ दिया जाए । लेकिन ऐसा हम एक सीमा तक ही कर सकते हैं । जब स्वतन्त्रता खतरे में हो तो मामले की उपेक्षा नहीं की जा सकती । हमारा कर्त्तव्य है कि हम शान्ति बनाए रखने, आधिपत्य और उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए प्रयास करें तथा दलित लोगों की सहायता करें ।

कुछ दिन पहले इस सम्बन्ध में मैंने एक लेख पढ़ा था । यह लेख कारनल विश्वविद्यालय के अध्ययन पर आधारित है । लेख में कहा गया है कि हिन्द-चीन में गिराए गए बमों की संख्या विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए बमों की संख्या से कहीं अधिक है । वियतनाम एक प्रयोगशाला बन चुका है जिसमें नए हथियारों का प्रयोग करने का काम आरम्भ हो चुका है जिसमें अमरीका, पावा केंटम, स्मार्ट बम, लेसर बम, टी॰ बी॰ बम, कमांड वाल्ट आदि का प्रयोग कर रहा है । अमरीकी महा-शक्ति द्वारा आणविक युद्ध फैलाने के लिए एशिया को प्रयोगशाला बनाया जा रहा है । एशिया में और एशियाई जनता पर इन बमों का प्रयोग करने पर हम किस प्रकार चुप बैठ सकते हैं । वियत-नामी लोगों के संघर्ष के परिणामस्वरूप जनेवा सम्मेलन हुआ था और यह आशा की गई थी कि वियतनाम से उपनिवेशवादी राज्य समाप्त कर दिया जाएगा । इसके परिणामस्वरूप उपनिवेशवादी शक्ति फ्रांस को वियतनाम छोड़ देना पड़ा । फ्रांस ने तो वियतनाम छोड़ दिया परन्तु अमरीका ने फ्रांस की जगह ले ली । बड़े ही आश्चर्य की बात है कि अमरीका दक्षिण वियतनाम में सरकारों को बदलता रहा है । अमरीका को वियतनाम के आपसी मामले में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है । दक्षिण वियतनाम की जनता ने, जिसने दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार बनाई है, प्रत्येक व्यक्ति की राय पर ध्यान दिया है । इसमें उन्होंने अमरीका की राय पर भी विचार

किया है। उन्होंने कहा है कि वह समझौता करने और यह सुनिश्चित करने के लिए इच्छुक हैं कि विदेशी सेनाओं को वहां से हटाया जाए। ऐसा होने के बाद वहां एक अस्थायी सरकार बनाई जाएगी जो चुनावों का भी प्रबन्ध करेगी। दक्षिण वियतनाम की सरकार से इससे अधिक सद्भावना की आशा नहीं की जा सकती और तब भी अमरीका युद्ध प्रयास को बढ़ाने में संलग्न है।

मैं माननीय सदस्य श्री कृष्ण मेनन के इस तर्क से इन्कार नहीं करता कि हम वहां अभियान सेना नहीं भेज सकते। पर कम से कम विश्वमत तो प्राप्त कर सकते हैं। अतः राजनयिक तरीकों से हमें एक सशक्त जनमत बनाना चाहिए। इस कार्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता ली जा सकती है।

10 अप्रैल को मंत्री महोदय ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि सरकार बमबारी का विरोध करती है और चाहती है कि यह शीघ्र रुक जाए, परन्तु यदि बमबारी इतनी आसानी से रुक सकती तो कई वर्ष पूर्व रुक चुकी होती। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में क्या हमने एशियाई राजदूतों से बातचीत की, क्या अमरीकी राजदूत को निमन्त्रित किया अथवा विश्व जनमत का संग्रह किया ? आशा है मंत्री महोदय इन प्रश्नों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

इस कार्य में हमें पहल करनी है। अंतर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में, जिसे जनेवा समझौता कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व दिया गया है, हमने अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व ग्रहण करना स्वीकार कर लिया है। जनेवा समझौते में वियतनाम को स्वतन्त्रता देने की बात निहित है। इस बात को लाने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यदि उसे कार्यान्वित नहीं किया गया तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि इसका और कोई विकल्प नहीं है। हमें अब यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि अन्य प्रयास विफल हो जाते हैं और अमरीका बमबारी नहीं रोकता तो अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रह जाएगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : इस विषय पर बार-बार चर्चा का होना इस बात का द्योतक है कि सम्पूर्ण देश इस बारे में एकमत है।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए
Shri N. K. P. Salve in the Chair]

वर्तमान स्थिति सभी स्तरों पर विफलता की परिचायक है। संयुक्त राष्ट्र संघ सब स्तरों पर विफल रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग भी असफल रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए बड़ी शक्तियों ने भी कुछ नहीं किया। जहां तक इस महान् दुःखद घटना का सम्बन्ध है, तथाकथित गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का योगदान भी नहीं के बराबर ही रहा है। हमारी सरकार का योगदान भी विशेषतया इस बात को देखते हुए कि हम अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष हैं, नगण्य रहा है।

यह एशिया के इतिहास में बड़े संकट का समय है। एशिया को तीसरे विश्व युद्ध का अखाड़ा बनाया जा रहा है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ को अविलम्ब निर्णय लेना चाहिए। यह एक ऐसा

समय है जबकि एशियाई राष्ट्रों को आत्मतुष्टि की भावना को त्याग देना चाहिए। उनकी यह जिम्मेदारी है कि एशिया को एक और युद्ध में न झोंका जाए। अतः भारत को अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते एशियाई राष्ट्रों का तुरन्त एक सम्मेलन बुलाने की दिशा में पहल करनी चाहिए।

वियतनाम की जनता ने, जिसे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश परास्त नहीं कर पाया है, संकल्प शक्ति का एक उदाहरण पेश किया है, हालांकि उन्हें अकथनीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

अमरीका द्वारा बर्बरतापूर्ण बमबारी बन्द की जानी चाहिए। उन्हें वहां से हट जाना चाहिए तथा वियतनाम की जनता को स्वयं अपनी समस्याओं को हल करने का अवसर देना चाहिए।

मेरा सुझाव है कि इस विषय पर निरर्थक चर्चा करने के बजाय सरकार को ऐसा संकल्प पेश करना चाहिए जिसमें देश के लोगो की भावनाएं अभिव्यक्त की गई हों।

अमरीका को श्री थीयू के सिद्धान्त पर अडिग नहीं रहना चाहिए और वास्तविकता को स्वीकार करने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही अमरीकी सरकार को यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि हमारे देशवासी चाहते हैं कि अमरीका वियतनाम से हट जाए। दूसरे एशियाई सम्मेलन बुलाने के लिए भारत को शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार प्रयत्न करेंगे तो निस्सन्देह ही दक्षिण वियतनाम स्वतन्त्र रूप में हमारे सामने आएगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडगारा) : विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि हमारा देश इस सम्बन्ध में सजग है।

मुझे माननीय सदस्य श्री पीलू मोदी के इस कथन से कि 'वियतनाम को वियतनामियों पर छोड़ दिया जाए' बड़ा दुख हुआ है। शायद बंगला देश के बारे में भी वह यही धारणा रखते हों। यह बड़े खेद की बात है कि जब कुछ एशियाई लोगों को खतरा हो तो हम उन्हें उनके भाग्य पर छोड़ दें। आज साम्राज्यवाद लोगों की स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता पर आक्रमण कर रहा है। वियतनामी लोगों का स्वतंत्रता के लिए यह पहला संघर्ष नहीं है। इससे पूर्व उन्होंने मंगोलों, जापानियों और फ्रांसीसियों से संघर्ष किया है। मुझे यकीन है कि उनका संघर्ष अवश्य कामयाब होगा। यह युद्ध 1965 से चल रहा है और वहां के लोग बड़ी दृढ़ता से इसका सामना कर रहे हैं। यह कहना गलत है कि वे रूसी या चीनी शस्त्रों की सहायता से लड़ रहे हैं। यह वियतनाम के लोगों की शौर्य भावना है जो युद्ध लड़ रही है। सदन में यह सुझाव दिया गया था कि वियतनाम का युद्ध हमारे लिए अच्छा है क्योंकि चीन हमारा मित्र देश नहीं है और वियतनाम चीन के प्रभाव में है। हमें इस सुझाव का विरोध करना चाहिए। यह बात उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वतन्त्रता के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध है जिसका हमें समर्थन करना चाहिए।

विश्व के समाचार पत्रों तथा बुद्धिजीवी लोगों ने यही कहा है कि वियतनाम में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पेंटागन के लोग ही दोषी हैं, फिर भी यह बात यहां ठीक ही कही गई है कि हमारा रवैया अमरीका के विरुद्ध नहीं है। यहां तक कि यह निक्सन के भी विरुद्ध नहीं है। क्योंकि वह स्वयं

वहां की प्रणाली से जकड़ा हुआ है वास्तव में अमरीकी प्रणाली, जिसने पूंजीवाद तथा बहुराष्ट्र-वादी सिद्धान्त को प्रोत्साहन दिया है, वर्तमान नीति तथा सैनिक औद्योगिक समूह के लिए जो अमरीकी अर्थ-व्यवस्था को एक युद्ध-तंत्र बनाने में लगा हुआ है, जिम्मेदार है। उन्होंने शक्ति-शून्यता के विचित्र सिद्धान्त के माध्यम से पहले सीटो में हस्तक्षेप करके युद्ध आरंभ किया और तत्पश्चात् इसको पूर्ण युद्ध का रूप दे दिया।

वियतनाम में इस समय 5 लाख अमरीकी फौजी हैं। यह बात कोई भी स्वतंत्रता प्रेमी सहन नहीं कर सकता। उन्होंने रसायनिक युद्ध जारी किया है। यह युद्ध मानवता के विरुद्ध है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस गम्भीर समस्या के प्रति ठीक रवैया अपनाएं और चुप्पी साध कर न बैठें।

अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम या तो कनाडा और पौलेंड की सहायता से आयोग को प्रभावशाली बनाएं अथवा अस्थायी क्रांतिकारी सरकार को स्पष्ट रूप से मान्यता दें।

मेरा विश्वास है कि इस चर्चा से न केवल जनमत को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रूस, चीन आदि भी इस ओर ध्यान देंगे।

श्री रण बहादुर सिंह (सिधी) : सदन की बैठक बहुत ही शोकाकुल वातावरण में हो रही है। वियतनाम में जो व्यक्ति शहीद हुए हैं उनके लिए हमारे हृदय में सहानुभूति है। ऐसी परि-स्थितियों को हम प्रायः दो रूपों में लेते हैं। एक तो हम परिस्थितियों की विवादग्रस्त बातों में उलझ जाते हैं और उसके संबंध में बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं तथा लोगों द्वारा बहाए रक्त पर शोक प्रकट करते हैं। दूसरा रास्ता जो इस सदन और राष्ट्र की गरिमा के अधिक अनुकूल है हमें यह देखना चाहिए कि इस सम्बन्ध मे हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए।

हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं और हमें उसे करना चाहिए।

जनरल मैकार्थर ने कोरिया के युद्ध के पश्चात् अमरीका को भविष्य में पूर्व में स्थल युद्ध से असम्बद्ध रहने का परामर्श दिया था। उसके अनुसार ही अमरीका ने वियतनाम से अपनी स्थल सेनाएं हटा ली हैं। परन्तु अपने विमानों द्वारा की जा रही कार्यवाही को बढ़ावा दिया है। समस्या का कोई समाधान खोजने से पूर्व हमें परिस्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि सैगोन की सरकार वहां की जनता का समर्थन खो चुकी है। परिस्थितियां ऐसा रूप लेती जा रही हैं कि वहां संयुक्त सरकार की स्थापना हो सके। इस उद्देश्य से हमारे प्रयत्नों को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अमरीका की पाकिस्तान नीति हमारे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध रही है। हमारी नीति से यह प्रकट नहीं होना चाहिए कि यह नीति अमरीकी नीति की प्रतिक्रिया के रूप में अपनाई गई है।

हमें इसके लिए कोई अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष चलाना चाहिए। हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और इस बारे में हमारी एक परम्परा रही है।

सभापति महोदय : मुझे भय है कि मैं इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को समय नहीं दे सकूंगा। क्योंकि मंत्री महोदय साढ़े पांच बजे भाषणों का उत्तर देंगे। अतएव हम कार्यवाही 6.30 तक करें।

श्री बी०आर०भगत (शाहबाद) : वियतनाम के नेता हो चीमिन ने अपनी विसारत में जनता से राष्ट्रीय मुक्ति तथा एकता के संघर्ष को जारी रखने को कहा था। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अनेक पराजयों के बावजूद एक शक्तिशाली देश अपनी नीतियों को जारी रख रहा है। घातक बम वर्षा की जहां पर चर्चा की गई है, अब तक वहां पर 7 करोड़ टन बम गिराए गए हैं जोकि पिछले विश्व युद्ध में गिराए गए बमों से दुगुने हैं।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि अमरीका ने वियतनाम के एकीकरण के लिए निर्वाचन सम्बन्धी जनेवा समझौते को स्वीकार नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप वहां यह संघर्ष शुरू हुआ। अमरीका का युवा वर्ग वहां की सरकार की नीतियों के विरुद्ध है। वहां की सरकार दक्षिण वियतनाम में अपनी पिछलग्गू सरकार बनाए रखना चाहती है।

वर्तमान बम वर्षा अमरीका ने 26 दिसम्बर, 1971 को आरम्भ की थी जोकि अब तक जारी है। आधुनिकतम बमों का प्रयोग किया जा रहा है और स्थिति गम्भीर रूप धारण कर गई है। पैरिसवार्ता देर तक चलती रही। हमें ज्ञात नहीं, निक्सन और किसींगर चीन के साथ क्या गुप्त वार्त्ता करते रहे। अब वे कह रहे हैं कि उत्तर वियतनाम से आक्रमण जारी हैं। वियतनाम समस्या का हल ही एशिया में शान्ति का स्रोत है। हमें अमरीका-चीन वार्ता से शान्ति स्थापना की आशाएं थीं जो अब धूमिल हो गई हैं। भारत का रुख स्पष्ट है कि अमरीकी बम वर्षा बन्द होनी चाहिए। मंत्री महोदय द्वारा 6 और 7 तारीख को दिए गए वक्तव्य को अमरीकी सरकार अमैत्रीपूर्ण मानती है। परन्तु हमारे महान् देश का उद्देश्य ऐसी परिस्थिति पैदा करना है जिसमें वार्ता द्वारा समस्या का हल हो सके।

श्री समर गुह (कण्टाई) : अमरीकी बम वर्षा की निन्दा के लिए कहे गए शब्द अपर्याप्त हैं।। हमें वियतनाम के उन योद्धाओं के श्रद्धांजलि देनी चाहिए जिन्होंने इतनी वीरता प्रदर्शित की है, तथा जो विश्व की महानतम सैनिक शक्ति का सामना कर रहे हैं।

वियतनाम का मामला न केवल मानवीय है और न केवल वियतनाम के लोगों की स्वाधीनता का मामला है अपितु यह एशिया की सुरक्षा का मामला बन गया है। वियतनाम का एक बड़ा भाग चम्पा राज्य कहलाता था, जहां भारतीय सभ्यता गई थी। उनके राष्ट्रीय नेता का गांधीवादी दृष्टि-कोण था तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की श्री हो से मैत्री थी।

भारत के लोग स्वीकार करते हैं कि अन्य सभी लोगों से वियतनाम के लोगों को साम्राज्य-वादियों के अत्याचारों से छुटकारा पाने का अधिकार है। अतएव हमारा मुख्य कर्त्तव्य यही होना चाहिए कि हम अमरीका को तुरन्त वियतनाम छोड़ने के लिए कहें और उसका भविष्य वहां की जनता के हाथों में सौंप दें। किसी अन्य बड़ी शक्ति को भी उस देश के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

वास्तव में वियतनाम न केवल अमरीका, अपितु बड़ी शक्तियों के लिए अपने आधुनिकतम शस्त्रों का परीक्षण-स्थल बन गया है ।

इस संकट के न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में अपितु समग्र एशिया में फैल जाने का भय है । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अमरीका एक ऐसे ही घातक अस्त्र का उपयोग कर रहा है जैसा उसने हिरोशिमा पर किया था । यहां विविध सुझाव रखे गए हैं । मैं नहीं समझता कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी कोई शक्ति अथवा प्रभाव है । विश्व-जनमत जागृत करके ही हम अपना योगदान दे सकते हैं । अमरीका से हमें कहना चाहिए कि वाशिंगटन और लिंकन के अमरीका को क्या हो गया है । साम्यवाद को रोकने के नाम पर वह उसे बढ़ावा दे रहा है ।

वियतनाम की समस्या को हमें उसी देश के लिए छोड़ देना चाहिए ।

Shri Shashi Bhushan (Delhi South) : A small but brave nation is being sacrificed. According to the decision taken at Paris conference Shri Krishna Manan and other delegates from various countries went to see American Ambassador but he refused to meet them. U. S. A. has used chemical and biological weapons in Vietnam.

Today U. S. A. acts as a watchman for the nations of the world. Madam Ben visited India. She said that they want to settle the dispute at the conference table. The sacrifice made by brave people of Vietnam is highest paid by any country in the world.

If U. S. S. R., India and China use their influence in U. N. O., they can Isolate U. S. A.

You ought to recognise it and raise the issue in Security Council so that the problem may be urgently solved. We should help Vietnam actively.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय) : हमें वियतनाम की जनता के नर-संहार की खुलकर निन्दा करनी चाहिए । वियतनाम की वीर जनता के पास अभौतिक शक्ति है जिससे वह अमरीकी सेनाओं को परास्त कर रही है ।

वहां पर महिलाओं का घोर अपमान किया गया है जिसका वर्णन यहां नहीं किया जा सकता ।

मैं विदेश मंत्री से आग्रह करती हूं कि इस प्रश्न को सुरक्षा परिषद् में उठाएं और श्री निक्सन तथा उसके युद्ध भड़काने वाले साथियों को अपनी कार्यवाही समाप्त करने के लिए विवश कर दें ।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : एक पूरी पीढ़ी गुजर गई है, परन्तु वियतनाम के लोगों ने अपनी धरती पर शान्ति नहीं देखी । भोले-भाले स्त्री-पुरुषों का इस प्रकार संहार करना अनुचित है ।

अमरीका की फैक्ट्रियां दिन रात शस्त्र-अस्त्रों का निर्माण कर रही हैं । उनका उपयोग वे जनता के विरुद्ध करते रहे हैं ।

यह संघर्ष किस बात के लिए है । यह प्रगतिवाद और प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध संघर्ष है । न केवल वियतनाम, अपितु सारे विश्व में यह चल रहा है ।

मैं अपनी अमरीकी बहनों से आग्रह करती हूँ कि वे इस बर्बरता को समाप्त करवायें ।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : मैं अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा किये जा रहे इन अत्याचारों की घोर निन्दा करता हूं।

मैं अनुभव करता हूं कि सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के नाते कुछ उत्तरदायित्व है। उन्हें अमरीकी सेनाओं की वापसी तथा तुरन्त बम वर्षा बन्द करने की मांग करनी चाहिए।

मैं वहां के स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करता हूं।

प्रो० एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : हमारे प्रधान मंत्री को विश्व में वही स्थिति प्राप्त करनी चाहिए जो उनके पिता को प्राप्त थी। अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति के नाते हमें अपनी स्थिति का उपयोग करना चाहिए और तुरन्त बम वर्षा समाप्त करानी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि विदेश मंत्री कुछ संकेत देंगे कि वह इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं वियतनाम के वीरों को बधाई देता हूं, क्योंकि वे विश्व के शक्तिशाली देश के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। हिन्द-चीन में युद्ध सी० बी० आई० के संकेत पर हो रहा है। सी० बी० आई० के निदेशक तथा संयुक्त चीफ आफ स्टाफ के वक्तव्यों से स्पष्ट है कि वे पूरी युद्ध की स्थिति में हैं। भारत के जन-मत को जागृत करके विश्व-जनमत को जगाना चाहिए।

चीन स्वयं को विश्व के क्रान्तिकारी संघर्षों का नेता मानता है। यदि वे अपने प्रयत्नों में सच्चे हैं तो उन्हें खुले रूप से वियतनाम की जनता की सहायता करनी चाहिए। मैं श्री निक्सन को बताना चाहता हूं कि उनकी वही हालत होगी जो नाजी जनरल मार्शल गोहरिंग की हुई थी। अमरीका का कोई ऐतिहासिक हित नहीं, और न ही भूगोलक। साम्यवाद को रोके रखना भी अब कोई महत्त्व नहीं, क्योंकि साम्यवादी चीन से उनका गठजोड़ है। अतएव अमरीका को अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए बमवर्षा बन्द करके पैरिस वार्ता शुरू करनी चाहिए।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : वियतनाम जैसे युद्ध में कोई भी देश, जाति या व्यक्ति निरपेक्ष नहीं रह सकता और यह प्रसन्नता की बात है कि सदन में वियतनाम पर होने वाली बमबारी पर चिन्ता व्यक्त की गई है।

वास्तव में यही तथ्य कि अमरीकी सैनिक अपने घरों से हजारों मील दूर लड़ रहे हैं, इस बात का प्रमाण है कि वह आक्रमणकारी हैं। यह विधि की बिडम्बना है कि एक ओर आज अपोलो-16 चांद की ओर बढ़ रहा है तो दूसरी ओर वियतनाम में हजारों बच्चे बमों के विष का शिकार हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में विश्व के प्रत्येक नागरिक का यह परम कर्त्तव्य है कि वह वियतनाम के बहादुर लोगों का साथ दे।

अमरीका द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उत्तरी वियतनाम वाले दक्षिणी वियतनाम वालों पर आक्रमण कर रहे हैं। परन्तु क्या अमरीका वाले इस प्रश्न का कोई उत्तर दे सकते हैं कि वियतनाम में अमरीका की उपस्थिति का क्या कारण है ? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं राष्ट्रपति निक्सन भी नहीं दे सकते। अमरीकी सरकार अपने लोगों के समक्ष झूठ बोलने के लिए प्रसिद्ध है

और आज भी वर्तमान युद्ध को तीव्र करने के लिए अमरीकी दूतावास द्वारा, संसद सदस्यों को जो कुछ बताया गया है वह सफेद झूठ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चीन इस मामले में पूर्णतया चुप्पी साधे हुआ है। इस सम्बन्ध में सोवियत संघ का रवैया भी सराहनीय नहीं है।

इस सम्बन्ध में भारत का सबसे पहला कर्त्तव्य यह है कि वह बंगला देश की तरह ही वियतनाम के बारे में भी सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करे। अतः स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करने वाले वियतनाम के लोगों को अपना समर्थन दे कर हमें विश्व को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम वियतनाम के साथ हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मंत्री महोदय के ऐसा करने में क्या झिझक है ? आज अमरीका के लोग ही अमरीकी प्रशासन के विरुद्ध हैं। वह वियतनाम में लड़ने वाले अमरीकी सैनिकों का ही विरोध कर रहे हैं और आगामी चुनाव में वह निक्सन प्रशासन को ही समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील मालूम हो रहे हैं।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : सभापति महोदय, सदन के सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों ने वियतनाम की समस्या के बारे में लगभग सर्वसम्मति से जो विचार व्यक्त किए हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इस में मुझे कोई सन्देह नहीं कि जिस दृढ़ता से उन्होंने वियतनाम के लोगों के संघर्ष का समर्थन किया है, उससे न केवल वियतनामवासियों को ही बल मिलेगा अपितु अमरीका में भी उनके हित में वातावरण तैयार करने में सहायता मिलेगी।

सरकार इस समस्या के बारे में अपनी नीति पहले ही स्पष्ट कर चुकी है परन्तु फिर भी मैं उसे अब दोहरा देना चाहता हूं। वियतनाम के लोग विभिन्न संकटों का सामना करते हुए गत 25 वर्षों से अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्षशील हैं। भारत सरकार यह बात अच्छी तरह समझती है चाहे वहां कितना भी खून खराबा किया जाए, सैनिक कार्यवाहियों से यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। इस समस्या का शांतिपूर्ण राजनीतिक हल खोजना पड़ेगा। गत कुछ दिनों से अमरीका द्वारा हनोई जैसी शहरी बस्तियों पर बी 52 बमों द्वारा बमवर्षा की जा रही है। यह बहुत ही खेदपूर्ण बात है और इससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इतने बड़े पैमाने पर किए जा रहे इन विनाशकारी कार्यों की हमारी सरकार कटु आलोचना करती है। इसके साथ ही हमारी सरकार यह आशा भी करती है कि अमरीकी सरकार को भगवान् सद्बुद्धि प्रदान करेगा और वह भारी बमबारी को समाप्त कर, पैरिस में बातचीत आरम्भ कर, इस समस्या का समाधान खोजेगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने श्री निक्सन की हाल ही की पीकिंग यात्रा का उल्लेख भी किया है। राष्ट्रपति निक्सन की यात्रा के बाद जो संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें इस अन्तर्राष्ट्रीय नियम को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मामले को निपटाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस विज्ञप्ति के कुछ ही सप्ताह बाद होने वाले इस आक्रमण से यह स्पष्ट है कि श्री निक्सन ने इस दस्तावेज़ को कितना महत्त्व दिया है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है, मैं समझता हूँ कि उसका अन्तर्राष्ट्रीय-जनमत पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें अपने ही देश में इसके विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। वास्तव में यही अपने आप में कुछ कम नहीं है कि यहां

सभी दलों ने लगभग सर्वसम्मति से इस आक्रमण की निंदा की है। लोगों के प्रतिनिधित्व की इस सदन से बड़ी संस्था तो और कोई नहीं है।

कुछ सदस्यों द्वारा भारत के पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष होने के नाते, हमारे दायित्व के प्रश्न को भी उठाया गया है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आयोग के पास शांति बनाए रखने की कोई शक्ति नहीं है। इस का गठन 1954 में जनेवा सम्मेलन के बाद, केवल कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया था। इस आयोग के कृत्य बहुत सीमित हैं और यह समस्या किसी भी प्रकार उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आती। कुछ सदस्यों ने दोनों सह-अध्यक्षों से बातचीत करने का अनुरोध किया है। परन्तु यह सह-अध्यक्ष ब्रिटेन और रूस दोनों ही, इस समस्या के बारे में विभिन्न विचार रखते हैं। अतः इस विषय में उनकी सहमति किसी प्रकार सम्भव नहीं है।

प्रो० एस० एल० सक्सेना : परन्तु वह बमबारी समाप्त करने के लिए सहमत हो जाएंगे। आयोग को अपनी बैठक में यह प्रस्ताव पास करना चाहिए कि अमरीका को बमबारी समाप्त कर देनी चाहिए।

श्री स्वर्ण सिंह : संधिपत्र के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकता। हमें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जहां संसद सर्वोच्च होती है, वहां की सरकार कोई भी रवैया अपना सकती है। अतः आयोग की भूमिका हमें स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। यद्यपि आयोग के पास इस समस्या को हल करने की कोई विशेष शक्ति नहीं है परन्तु फिर भी इस आयोग को बनाए रखने का कुछ महत्त्व अवश्य है।

एक सुझाव यह भी दिया गया है कि यह मामला सुरक्षा परिषद में उठाया जाना चाहिए। मैं इस के दो पहलू समझता हूं। इस प्रश्न का उद्देश्य तो सुरक्षा परिषद् में अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करना हो सकता है। इस दृष्टि से तो मैं इस सुझाव को स्वीकार कर सकता हूं कि चाहे सुरक्षा परिषद् हो या महासभा या किसी अन्य मंच से हमें इसके लिए जनमत तैयार करना चाहिए। यदि इस सुझाव का दूसरा पहलू यह हो कि सुरक्षा परिषद् द्वारा इसके लिए कोई कार्यवाही की जाए, तो मैं इस बारे में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुरक्षा परिषद् इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती और न ही करेगी। इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तर वियतनाम अभी सुरक्षा परिषद् का सदस्य नहीं है तथा वह और उसके साथी देश भी इस मामले को सुरक्षा परिषद् में उठाने के पक्ष में नहीं हैं। वह सभी जनेवा समझौते को पूर्ण महत्त्व देने के पक्ष में हैं।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हम वियतनाम की समस्या के प्रति उदासीन रहे हैं। परन्तु ऐसा कहना उचित नहीं है। समस्या की जटिलता को दृष्टिगत रखते हुए, सदस्यों को स्वयं समझ लेना चाहिए कि हम यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में क्यों नहीं उठा रहे हैं।

अन्त में मैं एक बार फिर यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का मूल सिद्धांत यह है कि शांति स्थापित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व इसके पांच स्थायी सदस्यों का

ही होगा। इसी सिद्धांत के अनुसार ही इन पांच सदस्यों को 'वीटो' का विशेषाधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार यह सदस्य अन्य देशों द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव की अवहेलना कर सकते हैं। परन्तु इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान में यह व्यवस्था भी है कि यह स्थायी सदस्य अपना व्यवहार इस प्रकार करेंगे जिससे विश्व के अन्य देश यह न समझें कि यह देश विश्व में अशान्ति उत्पन्न करना चाहते हैं। अतः स्थायी सदस्यों को वीटो का जो विशेषाधिकार दिया गया है, उसे दृष्टिगत रखते हुए, किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का कोई महत्त्व नहीं है।

कुछ सदस्यों द्वारा एक सुझाव यह भी दिया गया है कि वियतनाम समस्या का समाधान खोजने के लिए एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया जाए। एशिया में आने वाले प्रमुख देश चीन, जापान, थाईलैंड, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया, पाकिस्तान और तुर्की आदि हैं। क्या यह समस्या सुलझाने में इन लोगों का कोई योगदान हो सकता है? मैं समझता हूं कि इस प्रकार के सम्मेलन से कोई भी लाभ होना संभव नहीं है।

अपने वक्तव्य के बाद मैं अब माननीय सदस्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं जो निर्णय हमने वर्तमान परिस्थितियों में लिया है वह ठीक है। हम निरन्तर इस स्थिति पर दृष्टि रखे हुए हैं और उपयुक्त समय पर और उपयुक्त परिस्थितियों में उपयुक्त निर्णय लेने में हम पीछे नहीं रहेंगे। आप इस बात की पूरी जिम्मेदारी हमारे पर छोड़ दीजिये। इस विषय पर जो चर्चा हुई है वह निश्चय ही हमारे लिए काफी लाभकारी सिद्ध होगी।

सभापति महोदय : अब कृषि मंत्री, वर्ष 1972-73 के विपणन मौसम के लिए गेहूं की मूल्य नीति के बारे में अपना वक्तव्य देंगे।

वर्ष 1972-73 के लिए गेहूं सम्बन्धी मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. WHEAT PRICE POLICY FOR 1972-73.

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : सरकार ने कृषि मूल्य आयोग की 1972-73 के मौसम के लिए रबी खाद्यान्नों की मूल्य नीति' पर उनकी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों, संसद में माननीय सदस्यों और नई दिल्ली में 13 अप्रैल, 1972 को हुए सम्मेलन में मुख्य मन्त्रियों द्वारा व्यक्त विचारों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए हैं —

(i) 1972-73 के मौसम के गेहूं का अधिप्राप्ति मूल्य पिछले मौसम के लिए निर्धारित मूल्य के स्तर पर अर्थात् देशी साधारण सफेद और विभिन्न मैक्सिकन किस्मों का 76 रुपये प्रति क्विंटल और देशी लाल किस्म का 71 रुपये और 74 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चलता रहेगा।

(ii) वर्ष 1972-73 के लिए गेहूं का 78 रुपये प्रति क्विटल का मौजूदा निर्गम मूल्य भी चलता रहेगा ।

२. अगले वर्ष की गेहूं की फसल का अधिप्राप्ति मूल्य रबी की बुवाई का मौसम प्रारम्भ होने से काफी समय पहले घोषित करने के लिए सरकार द्वारा गेहूं की उत्पादन लागत के अध्ययन का कार्य शीघ्र ही शुरू किया जा रहा है ।

सभापति महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार, 18 **अप्रैल,** 1972/29 **चैत्र**,1894 (**शक**) **के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, April 18, 1972/ Chaitra 29, 1894 (Saka).

Printed at Shahdara Printing Press : 17-4-72/490